



सत्यमेव जयते

वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षा
सहित समेकित वार्षिक लेखा रिपोर्ट
**CONSOLIDATED ANNUAL
ACCOUNTS WITH AUDIT
REPORT FOR THE YEAR
2023-24**



**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT
FUND ORGANISATION**

वर्ष 2023-24 के समेकित वार्षिक लेखे
CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS FOR
THE YEAR 2023-24



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organization

मुख्य कार्यालय/ Head Office

प्लेट ए, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar,
नई दिल्ली- 110023/New Delhi- 110023

INDEX

| S.NO. | CONTENTS | PAGE |
|--------------|---|-------------|
| 1. | Consolidated Balance Sheet | 1-2 |
| 2. | Schedules forming the part of Balance Sheet | 3-13 |
| 3. | Consolidated Income & Expenditure Account | 14-16 |
| 4. | Schedules forming the part of Income & Expenditure Account | 17-19 |
| 5. | Details of Fixed Assets and Investment Schedules | 20-22 |
| 6. | Receipt and Payment Account, EPS, 1995 (Contribution Account) | 23 |
| 7. | Receipt and Payment Accounts, EDLI, 1976 (Contribution Account) | 24 |
| 8. | Receipt & Payment Accounts, EDLI, 1976 (Administration Account) | 25 |
| 9. | Schedule forming part of the Accounts | 26-46 |
| 10. | Audit Report with Certificate | 47-72 |

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH

| Amount-Rs. | | | |
|---|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Schedule | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
| CAPITAL FUND AND LIABILITIES | | | |
| <i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i> | | | |
| EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C | | | |
| Members Operative A/c | 1 | 1,37,99,61,29,07,933.90 | 1,17,73,40,19,94,087.20 |
| Members Inoperative A/c | 2 | 85,05,23,53,792.00 | 68,04,87,90,103.00 |
| RESERVES AND SURPLUS | | | |
| Special Reserve Fund | 3 | 5,57,48,27,845.38 | 5,14,99,56,300.58 |
| Interest A/c - EPF Contribution Fund | 4 | 3,97,81,73,75,114.14 | 3,21,85,34,62,587.10 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| | 5 | 13,01,92,88,43,955.30 | 11,09,60,24,98,363.96 |
| SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND | | 1,55,89,98,63,08,640.70 | 1,32,78,05,67,01,441.90 |
| <i>Employees' Pension Scheme, 1995</i> | | | |
| EPS CONTRIBUTION FUND | | | |
| | 6 | 88,49,18,43,15,617.00 | 77,71,46,51,85,419.52 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| Sundry Credits | 7 | 33,50,57,39,800.86 | 33,47,59,27,850.23 |
| SUB -TOTAL - PENSION FUND | | 88,82,69,00,55,417.86 | 78,04,94,11,13,269.75 |
| <i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i> | | | |
| EDLI CONTRIBUTION FUND | | | |
| | 8 | 4,60,89,31,46,186.39 | 4,15,81,55,26,421.06 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| Sundry Credits | 9 | 73,33,42,106.29 | 83,17,69,943.46 |
| SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND | | 4,61,62,64,88,292.68 | 4,16,64,72,96,364.52 |
| <i>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</i> | | | |
| EPF - ADMINISTRATION FUND | | | |
| | 10 | 3,55,39,13,30,775.64 | 3,31,17,45,81,031.29 |
| RESERVES AND SURPLUS | | | |
| Staff Provident Fund- Interest A/c | 11 | 6,21,92,54,794.73 | 5,27,57,97,222.47 |
| EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS | | | |
| Building Construction Fund | 12 | - | - |
| Staff Provident Fund A/c | 13 | 19,63,52,53,151.80 | 18,63,61,45,267.80 |
| Staff Pension-cum-Gratuity A/c | 14 | 2,25,26,72,71,655.16 | 1,85,37,09,03,631.23 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| | 15 | 3,77,39,60,922.91 | 3,25,13,16,781.22 |
| SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND | | 6,10,28,70,71,300.24 | 5,43,70,87,43,934.02 |
| <i>EDLI Administration Fund</i> | | | |
| EDLI ADMINISTRATION FUND | | | |
| | 16 | 43,28,37,30,970.32 | 40,75,90,79,152.91 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | | | |
| | 17 | 59,55,24,266.92 | 59,81,94,633.52 |
| SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND | | 43,87,92,55,237.24 | 41,35,72,73,786.43 |
| GRAND TOTAL | | 2,55,88,46,91,78,888.70 | 2,20,84,71,11,28,796.60 |

| ASSETS | | | |
|---|----|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u> | | | |
| EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS | 18 | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,30,50,94,70,17,089.00 |
| CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. | 19 | 2,73,47,79,57,561.39 | 2,27,10,96,84,352.85 |
| SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND | | 1,55,89,98,63,08,640.70 | 1,32,78,05,67,01,441.90 |
| <u>Employees' Pension Scheme, 1995</u> | | | |
| EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS | 20 | 87,59,55,78,07,809.97 | 77,03,08,05,95,145.84 |
| CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. | 21 | 1,23,13,22,47,607.90 | 1,01,86,05,18,123.91 |
| SUB -TOTAL - PENSION FUND | | 88,82,69,00,55,417.87 | 78,04,94,11,13,269.75 |
| <u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u> | | | |
| EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS | 22 | 4,56,15,51,55,189.62 | 4,11,67,86,12,071.97 |
| CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. | 23 | 5,47,13,33,103.06 | 4,96,86,84,292.55 |
| SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND | | 4,61,62,64,88,292.68 | 4,16,64,72,96,364.52 |
| <u>Employees' Administration Fund (EPF scheme-1952)</u> | | | |
| FIXED ASSETS | 24 | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 |
| CAPITAL WORK IN PROGRESS | | 9,69,95,73,468.50 | 8,71,83,96,118.90 |
| EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS | 25 | 3,33,08,53,85,923.27 | 3,10,85,38,95,353.19 |
| STAFF PROVIDENT FUND - INVESTEMENTS | 26 | 25,45,08,90,226.65 | 23,52,15,76,162.60 |
| PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMNETS | 27 | 2,21,93,79,56,261.18 | 1,82,70,40,08,517.05 |
| CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. | 28 | 13,65,77,63,078.72 | 11,90,97,46,430.15 |
| SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND | | 6,10,28,70,71,300.24 | 5,43,70,87,43,934.02 |
| <u>EDLI Administration Fund</u> | | | |
| EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS | 29 | 43,03,79,03,334.34 | 40,18,47,83,692.19 |
| CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC. | 30 | 84,13,51,902.91 | 1,17,24,90,094.24 |
| SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND | | 43,87,92,55,237.24 | 41,35,72,73,786.43 |
| GRAND TOTAL | | 2,55,88,46,91,78,888.80 | 2,20,84,71,11,28,796.60 |

Sd/-
(SANJAY PANDEY)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u> | | | |
| <u>SCHEDULE No. 1</u> | | | |
| <u>EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS OPERATIVE A/C</u> | | | |
| | Opening Balance | 1,17,73,40,19,94,087.20 | 1,00,07,99,52,42,638.70 |
| Add : | | | |
| 1 | Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received | 21,08,36,11,03,069.30 | 19,11,16,65,87,779.23 |
| 2 | Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.) | 16,18,20,31,877.38 | 14,04,97,30,339.06 |
| 3 | Interest credited to members Account | 8,79,67,65,18,924.00 | 7,30,36,38,35,293.00 |
| 4 | Transferred from Inoperative A/c during the year | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Other Receipts | 77,20,98,56,436.13 | 39,63,04,88,929.00 |
| 6 | Past Accumulations (A/c No. 1) | 2,10,35,48,37,635.19 | 2,89,51,13,50,377.70 |
| | Total | 32,91,78,43,47,942.00 | 29,84,72,19,92,717.99 |
| Less : | | | |
| 1. | Payment made during the year to outgoing members on final settlement | 5,13,58,27,18,136.97 | 5,20,34,74,69,399.01 |
| 2. | Premia paid on members life insurance policy | 7,88,03,482.00 | 11,19,73,698.00 |
| 3. | Withdrawals / Loan paid during the year to the members | 6,46,92,21,41,055.64 | 5,97,76,52,24,576.00 |
| 4. | Transferred to Inoperative A/c during the year | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| 5. | Other Payments | 61,66,32,74,311.71 | 55,92,90,26,761.51 |
| | Total | 12,65,57,34,34,095.32 | 12,19,31,52,41,269.52 |
| | Balance as on 31st March | 1,37,99,61,29,07,933.90 | 1,17,73,40,19,94,087.20 |
| <u>SCHEDULE No. 2</u> | | | |
| <u>EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS INOPERATIVE A/C</u> | | | |
| | Opening Balance | 68,04,87,90,103.00 | 49,62,70,00,178.00 |
| Add : | | | |
| 1. | Amount transferred from Operative A/c during the year | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| 2 | Interest credited to members Account | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| Less : | | | |
| 1 | Amount transferred to Operative Members A/c during the year | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Payment made during the year to members on settlement | 26,32,29,33,420.00 | 26,73,97,56,910.00 |
| | Total | 26,32,29,33,420.00 | 26,73,97,56,910.00 |
| | Balance as on 31st March | 85,05,23,53,792.00 | 68,04,87,90,103.00 |
| <u>SCHEDULE No. 3</u> | | | |
| <u>Special Reserve Fund :</u> | | | |
| | Balance as per last Balance Sheet | 5,14,99,56,300.58 | 4,76,18,64,355.60 |
| Add : | | | |
| 1. | Amount recovered from Employers | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Interest on S.R.F. Account | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| | Total | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| Less : | | | |
| 1. | Amount paid from Special Reserve Fund | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Amount transferred to Death Relief Fund | -150.00 | 0.00 |
| | Total | -150.00 | 0.00 |
| | Balance as on 31st March | 5,57,48,27,845.38 | 5,14,99,56,300.58 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| SCHEDULE No. 4 | | | |
| Interest A/c - EPF Contribution Fund | | | |
| | Opening Balance | 3,21,85,34,62,587.10 | 3,84,94,19,60,965.08 |
| Add : | | | |
| 1. | Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund | 75,96,39,12,527.04 | 42,73,34,71,463.37 |
| | PY Accrued Interest Overstated | | -1,05,82,19,69,841.35 |
| | Balance as on 31st March | 3,97,81,73,75,114.14 | 3,21,85,34,62,587.10 |
| SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision) | | | |
| I - CURRENT LIABILITIES | | | |
| 1 | TDS Payable-deducted on claim settlements | 97,27,43,983.16 | 39,86,61,648.00 |
| 2 | Sundry Credits : | | |
| | A. Regional : | | |
| a | Suspense Account (Unclassified) (EPF) | 84,10,45,321.27 | 53,93,28,824.34 |
| b | Irregular payments | 70,80,67,213.35 | 9,93,72,458.82 |
| c | Over Payments | 4,34,40,279.02 | 25,19,06,758.54 |
| | B. Central : | | |
| a | Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central) | 12,13,13,339.00 | 12,13,13,339.00 |
| b | Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central) | 3,06,30,80,989.61 | 3,07,65,33,588.60 |
| c | Excess credits in EPF investment A/c | 0.00 | 13,59,27,112.62 |
| d | Advance from Govt. towards Disabilities Scheme | 44,06,975.00 | 44,06,975.00 |
| e | Recovery of PMRPY Benefits | 12,19,64,912.00 | 11,88,34,310.00 |
| 3 | Cash Book Balance | | |
| | State Bank of India (Over Draft) | | |
| | Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) | 10,80,52,35,902.62 | 15,01,98,44,109.18 |
| | Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central) | 15,68,51,82,005.55 | 12,95,89,06,963.14 |
| 4 | EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Others | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 32,36,64,80,920.58 | 32,72,50,36,087.24 |
| II - PROVISIONS | | | |
| a | Provision for Interest payable on Members PF A/c | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| b | Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years | 1,96,73,17,63,034.72 | 1,78,54,08,62,276.72 |
| | Total | 12,69,56,23,63,034.72 | 10,76,87,74,62,276.72 |
| | Balance as on 31st March | 13,01,92,88,43,955.30 | 11,09,60,24,98,363.96 |
| Employees' Pension Scheme, 1995 | | | |
| SCHEDULE No. 6 | | | |
| EPS Contribution Fund | | | |
| | Opening Balance | 77,71,46,51,85,419.52 | 68,62,01,10,75,316.22 |
| Add : | | | |
| | Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund | 10,77,71,91,30,197.48 | 9,48,60,87,70,800.04 |
| | PY Accrued Interest Overstated | | -39,15,46,60,696.74 |
| | Balance as on 31st March | 88,49,18,43,15,617.00 | 77,71,46,51,85,419.52 |
| SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | | |
| | Sundry Credits : | | |
| 1. | Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional) | 31,44,37,777.99 | 6,14,04,117.31 |
| 2. | Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central) | 87,57,83,589.84 | 60,36,95,982.84 |
| b | Recovery of PMRPY Benefits payable to PMRPY A/c | 54,98,85,434.00 | 53,60,37,038.00 |
| 3. | EPS Investment A/c-TREP Borrowing- Payable | 0.00 | 0.00 |
| | Cash Book Balance | | |
| 4. | State Bank of India (Over Draft) | | |
| | Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional) | 6,35,07,61,665.63 | 7,43,22,67,928.02 |
| | Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central) | 15,19,10,10,352.04 | 14,91,79,69,365.38 |
| 5 | Amount payable to EP Fund (PMRPY) | 9,64,24,20,087.00 | 9,64,24,20,087.00 |
| 6 | Excess received from Government of India under Minimum Pension scheme | 9,57,21,767.00 | 28,21,33,331.68 |
| 7 | Others (TDS payable on Higher Pension) | 48,57,19,127.36 | |
| | Balance as on 31st March : | 33,50,57,39,800.86 | 33,47,59,27,850.23 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u> | | | |
| SCHEDULE No. 8 | | | |
| EDLI Contribution Fund | | | |
| | Opening Balance | 4,15,81,55,26,421.06 | 3,77,56,53,90,867.05 |
| Add : | Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund | 45,07,76,19,765.33 | 38,07,71,81,737.40 |
| | PY Accrued Interest Understated | | 17,29,53,816.61 |
| | Balance as on 31st March | 4,60,89,31,46,186.39 | 4,15,81,55,26,421.06 |
| SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | | |
| Sundry Credits : | | | |
| 1. | Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional) | 1,97,27,688.78 | 2,52,21,867.15 |
| 2. | Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Cont. A/c -Central) | 9,64,45,033.21 | 9,63,95,144.21 |
| 3. | Excess credit in R.B.I. A/c | 13,44,061.55 | 13,44,061.55 |
| 4 | Excess credits in EDLI Investment A/c | | |
| 5 | Amount payable to EDLI Adm. A/c | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Cash Book Balance | | |
| | State Bank of India (Over Draft) | | |
| | A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional) | 36,01,974.47 | 0.00 |
| | A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central) | 61,22,23,348.28 | 70,88,08,870.55 |
| | Balance with Investment A/c(SCB) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Others | 0.00 | 0.00 |
| | Balance as on 31st March | 73,33,42,106.29 | 83,17,69,943.46 |
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</u> | | | |
| SCHEDULE No. 10 | | | |
| EPF - ADMINISTRATION FUND | | | |
| | Opening Balance | 3,31,17,45,81,031.29 | 3,00,21,78,78,898.92 |
| Add : | | | |
| 1. | Amount adjusted by the Regional Offices | 19,63,20,367.29 | 1,02,92,548.73 |
| 2. | Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund | 24,20,77,03,873.55 | 22,08,31,46,497.00 |
| 3. | Others | 0.00 | 8,87,25,41,897.04 |
| | Total | 24,40,40,24,240.84 | 30,96,59,80,942.77 |
| Less | | | |
| 1. | Amount adjusted by the Regional Offices | 18,72,74,496.50 | 42,78,767.40 |
| 2. | Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Others | | 50,00,043.00 |
| | Total | 18,72,74,496.50 | 92,78,810.40 |
| | Balance as on 31st March | 3,55,39,13,30,775.64 | 3,31,17,45,81,031.29 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| SCHEDULE No. 11 | | | |
| Staff Provident Fund Interest Account : | | | |
| | Opening Balance | 5,27,57,97,222.47 | 4,52,33,35,303.39 |
| Add : | | | |
| 1. | Interest realised on investment of securities | 1,36,96,86,345.05 | 1,27,51,49,477.82 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 41,95,22,979.45 | 39,29,80,311.19 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 35,65,500.00 | 30,01,500.00 |
| 4 | Interest on S.B. Account | 17,927.00 | 16,310.00 |
| 5 | Profit on Sale of ETF Securities | 0.00 | 3,27,388.75 |
| 6 | PY Accrued Interest Understated | | 1,36,30,425.16 |
| | Total | 1,79,27,92,751.50 | 1,68,51,05,412.92 |
| Less : | | | |
| 1. | Interest credited to members account | 84,55,35,250.00 | 92,36,23,952.24 |
| 2. | Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment | 37,99,929.24 | 90,19,541.60 |
| 3 | Loss on Sale of ETF Securities | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 84,93,35,179.24 | 93,26,43,493.84 |
| | Balance as on 31st March | 6,21,92,54,794.73 | 5,27,57,97,222.47 |
| SCHEDULE No. 12 | | | |
| Building Construction Fund : | | | |
| | Opening Balance | 0.00 | 8,87,25,41,897.04 |
| Add : | | | |
| 1. | Provision made during the year | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Interest credited to the Fund | 0.00 | 0.00 |
| Less: | Written back to EPF Adm. Fund | | 8,87,25,41,897.04 |
| | Balance as on 31st March | 0.00 | 0.00 |
| SCHEDULE No. 13 | | | |
| A. Staff Provident Fund : | | | |
| | Opening Balance | 11,53,83,28,364.29 | 11,39,80,53,164.66 |
| Add : | | | |
| 1. | Contribution (including refund of withdrawal) | 1,91,89,83,471.40 | 2,00,38,07,318.00 |
| 2. | Interest credited to member's account | 84,51,94,646.00 | 92,33,28,461.24 |
| 3. | Other receipts | 1,42,65,71,302.00 | 78,16,22,543.39 |
| | Total | 4,19,07,49,419.40 | 3,70,87,58,322.63 |
| Less : | | | |
| 1. | Payment made during the year to outgoing members on final settlement | 2,34,41,77,142.00 | 2,58,72,34,123.00 |
| 2. | Premia paid on members life insurance policy | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Loan paid during the year to members | 27,11,16,980.80 | 24,47,61,558.00 |
| 4. | Other Payments (Transfer to other Regions) | 1,44,37,33,256.00 | 73,64,87,442.00 |
| | Total | 4,05,90,27,378.80 | 3,56,84,83,123.00 |
| | Balance as on 31st March | 11,67,00,50,404.89 | 11,53,83,28,364.29 |
| B. S.P.F. A/c transferred from other Regions : | | | |
| | Opening Balance | 61,57,19,081.55 | 66,08,54,182.94 |
| Add : | Amount transferred out to the Regions | 1,44,37,33,256.00 | 73,64,87,442.00 |
| | Total | 2,05,94,52,337.55 | 1,39,73,41,624.94 |
| Less : | Amount received from other Regions | 1,42,65,71,302.00 | 78,16,22,543.39 |
| | Balance as on 31st March | 63,28,81,035.55 | 61,57,19,081.55 |
| C. | Amount payable from SPF A/c to EPF Adm. A/c | 7,33,23,21,711.36 | 6,48,20,97,821.96 |
| | Total (A+B+C) | 19,63,52,53,151.80 | 18,63,61,45,267.80 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| SCHEDULE No. 14 | | | |
| Staff Pension-cum-Gratuity Fund | | | |
| | Opening Balance | 1,85,37,09,03,631.23 | 1,51,73,02,75,201.43 |
| Add : | | | |
| 1 | Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central) | 26,73,23,06,924.45 | 22,85,55,00,000.00 |
| 2. | Interest realised on S.B. Account | 26,94,842.00 | 20,76,539.00 |
| 3. | Interest realised on investment of securities | 9,82,57,34,939.20 | 8,22,37,73,885.28 |
| 4 | Interest accrued but not due on Investments | 3,33,94,87,362.78 | 2,66,63,63,484.77 |
| 5 | Interest due but not received on Investments | 1,81,02,400.00 | 1,46,24,400.00 |
| 6 | Profit on Sale of ETF Securities | 0.00 | 52,50,811.82 |
| 7 | Amount paid by the Regions from A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional) | 7,60,59,40,236.52 | 6,82,01,02,546.17 |
| 8 | PY Accrued Interest Understated/PY Adjustments | 5,22,700.00 | 5,12,06,226.13 |
| | Total | 47,52,47,89,404.95 | 40,63,88,97,893.17 |
| Less : | | | |
| 1. | Payment made by the Regions | 7,60,59,40,236.52 | 6,82,01,02,546.17 |
| 2. | Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year | 2,24,81,144.50 | 17,81,66,917.20 |
| 3 | Loss on Sale of ETF Securities | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 7,62,84,21,381.02 | 6,99,82,69,463.37 |
| | Balance as on 31st March | 2,25,26,72,71,655.16 | 1,85,37,09,03,631.23 |
| SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | | |
| I-CURRENT LIABILITIES | | | |
| 1 | New Pension Scheme Contribution Payable | 81,01,147.51 | 17,57,012.94 |
| 2 | Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Security Deposit Refundable | 2,43,14,558.57 | 2,05,04,477.32 |
| 4 | Group Insurance Scheme (New) | 53,09,813.82 | 51,24,147.82 |
| 5 | Sundry Credits : | | |
| | A. Regional : | | |
| a | Suspense Account (Admn. Fund) | 30,12,91,821.45 | 23,33,74,038.94 |
| | B. Central : | | |
| a | Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c) | 3,21,85,494.88 | 3,21,85,494.88 |
| b | Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c) | 8,29,781.01 | 8,29,781.01 |
| c | Amount payable to EPF Contribution A/c | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Cash Book Balance | | |
| | State Bank of India : (Over Draft) | - | |
| | EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional) | 35,14,78,173.34 | 39,25,89,065.25 |
| | EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c - Central) | 0.00 | 0.00 |
| | Account No.8 (Staff Provident Fund A/c) | 0.00 | 0.00 |
| | Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c) | 0.00 | 0.00 |
| | Head Office | 4,55,63,206.44 | 1,81,27,187.44 |
| | PDNASS | 1,62,52,476.00 | 55,13,858.00 |
| | EPF Appellate Tribunal | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central) | 79,33,44,560.51 | 1,11,84,52,880.20 |
| 8 | Others (Excess credit Pen. Cum Gratuity Fund Inv. A/c) | 0.00 | |
| 9 | Recovery of ABRY benefits refundable to MoL&E | 39,67,11,335.00 | 0.00 |
| | Total | 1,97,53,82,368.53 | 1,82,84,57,943.80 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| II - PROVISIONS | | | |
| a | Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund) | 0.00 | 0.00 |
| b | Provision for Rent, Rates & Taxes Payable (SPF TDS payable) | 4,97,058.00 | 2,59,476.00 |
| c | Other Expenses Payable | 1,79,80,81,496.38 | 1,42,25,99,361.42 |
| | Total | 1,79,85,78,554.38 | 1,42,28,58,837.42 |
| | Balance as on 31st March | 3,77,39,60,922.91 | 3,25,13,16,781.22 |
| <u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</u> | | | |
| SCHEDULE No. 16 | | | |
| EDLI Administration Fund | | | |
| | Opening Balance | 40,75,90,79,152.91 | 38,36,13,33,285.89 |
| Add : | | | |
| 1. | Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund | 2,52,46,51,817.41 | 2,39,77,45,867.02 |
| | Balance as on 31st March | 43,28,37,30,970.32 | 40,75,90,79,152.91 |
| SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS | | | |
| a | <u>Sundry Credits :</u> | | |
| 1 | Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional) | 87,03,228.97 | 1,27,87,746.47 |
| 2 | Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges -Central) | 4,83,68,578.52 | 4,83,68,577.89 |
| b | Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c -Central) | 0.00 | 0.00 |
| c | Cash Book Balance : (Over Draft) | | |
| | A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional) | 6,44,090.77 | 6,64,674.83 |
| | A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) | 53,78,08,368.66 | 53,63,73,634.33 |
| d | Others | 0.00 | 0.00 |
| | Balance as on 31st March | 59,55,24,266.92 | 59,81,94,633.52 |
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u> | | | |
| SCHEDULE No. 18 | | | |
| | Employees' Provident Fund -Investments | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,30,50,94,70,17,089.00 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances) | | | |
| I - CURRENT ASSETS | | | |
| 1 | Amount in Transit : | | |
| | Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central) | 1,92,60,30,487.43 | 4,49,79,15,128.43 |
| 2 | Cash Book Balance | | |
| | State Bank of India : | | |
| | Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) | 0.00 | 0.00 |
| | Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central) | 0.00 | 0.00 |
| | E.P.F. Investment Account (Standard Chartered Bank) | 1,33,71,23,508.77 | 76,09,50,047.62 |
| 3 | Interest on EPF Investment receivable | | |
| a | Interest accrued but not due on Investments | 2,46,09,25,00,578.56 | 2,02,50,19,88,504.52 |
| b | Interest due but not received on Investments | 8,96,67,94,569.99 | 7,00,56,79,769.85 |
| c | Interest accrued on FDRs | 4,59,80,87,750.00 | 2,11,65,14,998.36 |
| 4 | Sundry Debits : | | |
| a | Suspense Account (Unclassified) : | | |
| | Suspense Account (Unclassified) (EPF) | 79,10,24,371.28 | 1,13,26,29,174.72 |
| b | Irregular Payments | 70,80,67,213.35 | 9,93,72,458.82 |
| c | Over Payments | 4,34,40,279.02 | 25,19,06,758.54 |
| d | Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 : | | |
| i | Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 5 from A/c No.1 and vice-versa | 44,70,07,726.70 | 44,70,07,726.70 |
| ii | Extra debit made to Account No. 5 by bank | 29,06,74,355.38 | 1,68,84,235.38 |
| iii | Amount debited to A/c No. 5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa | 3,67,26,624.29 | 3,67,26,624.29 |
| 5 | Amount receivable from EPF Admn. A/c | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Amount receivable from EPS Fund (PMRPY) | 4,48,62,02,533.00 | 4,48,62,02,533.00 |
| 7 | Amount receivable from Govt. (PMRPY) | 3,06,12,07,405.00 | 3,06,12,07,405.00 |
| 8 | Others | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 2,72,78,48,87,402.77 | 2,26,41,49,85,365.23 |
| II - LOAN & ADVANCES | | | |
| | Special Reserve Fund (Recoverable) : | | |
| | Balance as per last Balance Sheet | 69,46,98,987.62 | 69,46,98,987.62 |
| Add : | Amount paid to Members during the year | 0.00 | 0.00 |
| Less : | Amount received from Employers | 16,28,829.00 | - |
| | Total | 69,30,70,158.62 | 69,46,98,987.62 |
| | Balance as on 31st March | 2,73,47,79,57,561.39 | 2,27,10,96,84,352.85 |
| Employees' Pension Scheme, 1995 | | | |
| SCHEDULE No. 20 | | | |
| | Employees' Pension Fund -Investments | 87,59,55,78,07,809.97 | 77,03,08,05,95,145.84 |
| | | | |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|---|-----------------------------|
| SCHEDULE No.21- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES | | |
| a | Cash Book Balance : | |
| 1. | Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional) | 0.00 |
| | Account No. 10 (Pension Disbursement Savings Bank Account) | 3,81,88,06,513.64 |
| 2. | Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central) | 0.00 |
| 3. | Balance in Investment Account (Standard Chartered Bank) | 54,50,48,631.13 |
| | | 29,52,66,177.30 |
| b | Sundry Debits : | |
| 1. | Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional) | 1,27,93,36,593.57 |
| 2. | Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central) | 6,95,28,579.80 |
| 3. | Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 10 to 11 & vice-versa | 20,17,63,057.60 |
| | | 20,17,63,057.60 |
| 4. | Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No. 10 & vice-versa | 1,01,38,839.20 |
| | | 1,01,38,839.20 |
| c | Remittance in Transit | 66,95,63,342.68 |
| | | 1,66,79,71,362.68 |
| d | Interest on EPS Fund Investment receivable | |
| 1 | Interest accrued but not due on Investments | 1,05,56,16,66,252.63 |
| 2 | Interest due but not received on Investments | 3,35,04,91,761.65 |
| | | 2,60,11,67,761.65 |
| 3 | Interest accrued on FDRs | 1,04,26,38,966.00 |
| | | 53,03,09,840.55 |
| 4 | Interest receivable on Public Account of Govt. of India | 4,24,92,00,000.00 |
| | | 3,41,39,00,000.00 |
| 5 | Interest receivable under Minimum Pension scheme | 0.00 |
| | | 0.00 |
| e | Pension contribution receivable from Central Govt. | 2,33,40,65,070.00 |
| | | 22,56,78,896.00 |
| f | Others | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | Balance as on 31st March | 1,23,13,22,47,607.90 |
| | | 1,01,86,05,18,123.91 |
| <i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i> | | |
| SCHEDULE No. 22 | | |
| EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS | | |
| | 4,56,15,51,55,189.62 | 4,11,67,86,12,071.97 |
| SCHEDULE No.23-CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES | | |
| a | Cash Book Balance : | |
| 1. | A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional) | 0.00 |
| | | 3,77,02,590.30 |
| 2. | A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central) | 0.00 |
| | | 0.00 |
| 3. | Balance in Investment Account (Standard Chartered Bank) | 23,34,112.90 |
| | | 3,97,72,335.45 |
| b | Remittance in Transit : | |
| 1. | From A/c No. 21 to 25 | 9,74,96,579.96 |
| | | 9,74,96,579.96 |
| 2. | From Bank to A/c No. 25 | 5,32,224.15 |
| | | 5,32,224.15 |
| c | Sundry Debits : | |
| 1. | A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional) | 10,90,48,310.07 |
| | | 10,71,70,924.35 |
| 2. | A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central) | 1,65,96,357.50 |
| | | 2,39,87,768.04 |
| 3. | Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c. 21 to 25 & vice-versa | 1,35,47,809.14 |
| | | 1,35,47,809.14 |
| d | Interest on EDLI Fund Investment receivable | |
| 1 | Interest accrued but not due on Investments | 5,06,75,26,735.72 |
| | | 4,52,77,91,374.58 |
| 2 | Interest due but not received on Investments | 7,95,69,635.62 |
| | | 6,23,11,635.62 |
| 3 | Interest accrued on FDRs | 8,46,81,338.00 |
| | | 5,83,71,050.96 |
| 4 | Interest receivable on Public Account of Govt. of India | 0.00 |
| | | 0.00 |
| e | Others | 0.00 |
| | | 0.00 |
| | Balance as on 31st March | 5,47,13,33,103.06 |
| | | 4,96,86,84,292.55 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|---|-------------------------|
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</u> | | |
| SCHEDULE No. 24 | | |
| FIXED ASSETS | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 |
| SCHEDULE No. 25 | | |
| <u>EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS</u> | | |
| Special Deposit Account | 3,30,76,53,85,923.27 | 3,08,83,78,95,353.19 |
| FDRs | 2,32,00,00,000.00 | 2,01,60,00,000.00 |
| Balance as on 31st March | 3,33,08,53,85,923.27 | 3,10,85,38,95,353.19 |
| SCHEDULE No. 26 | | |
| <u>EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS</u> | | |
| | 25,45,08,90,226.65 | 23,52,15,76,162.60 |
| SCHEDULE No. 27 | | |
| <u>EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS</u> | | |
| | 2,21,93,79,56,261.18 | 1,82,70,40,08,517.05 |
| SCHEDULE No.28-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES | | |
| 1 | <u>Amount in Transit :</u> | |
| a | EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central) | 5,18,03,113.18 |
| b | Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c) | 1,22,68,499.25 |
| | Total | 6,40,71,612.43 |
| 2 | <u>Cash Book Balance</u> | |
| (A) | <u>State Bank of India :</u> | |
| a | EPF A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c- Regional) | 0.00 |
| b | EPF A/c No.4 (EPF Administrative Charges A/c- Central) | 3,11,37,777.12 |
| c | Account No.8 (Staff Provident Fund A/c) | 5,295.70 |
| d | Account No.9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c) | 9,949.24 |
| e | Head Office | 0.00 |
| f | PDNASS | 0.00 |
| g | EPF Appellate Tribunal | 43,21,27,997.57 |
| | Total | 46,32,81,019.63 |
| (B) | <u>Standard Chartered Bank:</u> | |
| a | S.P.F. Investment Account | 2,62,601.36 |
| b | Pension-cum-Gratuity Investment A/c | 6,56,503.80 |
| | Total | 9,19,105.16 |
| (C) | <u>Imprest Account</u> | |
| | 3,41,818.90 | 3,09,552.90 |
| 3 | <u>Sundry Debits :</u> | |
| | <u>Suspense Account (Unclassified) :</u> | |
| a. | Suspense Account (Admn. Fund) | 15,92,28,790.97 |
| 4 | <u>Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :</u> | |
| a | Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No. 8 from A/c No. 2 and vice-versa | 2,04,38,794.97 |
| b | Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Prov. Fund A/c) | 1,78,339.00 |
| c | Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pen cum Gr. A/c) | 0.00 |
| | Total | 17,98,45,924.94 |
| | 21,11,91,761.84 | |

SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 5 | <u>Recoverable Advances (Staff)</u> | | |
| a | Conveyance advance | 18,26,385.80 | 50,08,393.86 |
| b | House Building advance | 34,32,44,898.97 | 27,70,26,144.58 |
| c | Fan advance | 434.00 | 64,704.00 |
| d | Warm Clothing advance | 0.00 | 1,234.75 |
| e | Festival advance | 12,10,785.84 | 5,65,890.88 |
| f | Natural Calamity advance | 4,56,054.89 | 1,96,400.45 |
| g | Advance of Pay | 25,63,187.19 | -11,60,493.27 |
| h | Advance of DA/TA | 28,36,113.55 | 1,53,14,467.94 |
| i | Food grain advance | 0.00 | 0.00 |
| j | Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores | 1,17,500.00 | 1,91,444.00 |
| k | Computer Advance | 2,34,53,001.74 | 2,10,05,664.57 |
| l | Unorganised Workers Social Security Scheme | 0.00 | 0.00 |
| m | Miscellaneous Payments | 41,35,656.30 | 35,88,014.30 |
| | TOTAL | 37,98,44,018.28 | 32,18,01,866.06 |
| 6 | <u>Prepaid Expenditure</u> | 0.00 | 0.00 |
| 7 | <u>Interest on EPF Adm. Fund Investment receivable</u> | | |
| 1 | Interest accrued but not due on Special Deposit A/c | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Interest due but not received on Special Deposit A/c | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Interest accrued on FDRs | 17,88,46,404.00 | 9,12,11,572.60 |
| 8 | <u>Interest on Staff Provident Fund Investment receivable</u> | | |
| | Interest accrued but not due on Investments | 41,95,22,979.45 | 39,29,80,311.19 |
| | Interest due but not received on Investments | 35,65,500.00 | 30,01,500.00 |
| 9 | <u>Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable</u> | | |
| | Interest accrued but not due on Investments | 3,33,94,87,362.78 | 2,66,63,63,484.77 |
| | Interest due but not received on Investments | 1,81,02,400.00 | 1,46,24,400.00 |
| 10 | Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Security Deposits (Advance to parties) | 3,56,65,884.19 | 3,52,79,431.19 |
| 12 | Others (TDS refundable) | | |
| 13 | Advance to Agencies/Contractors (Capital Work) | 1,14,32,70,073.42 | 88,49,25,784.42 |
| 14 | Accrued Interest recoverable on Advances paid to staff | 9,86,77,264.18 | 5,86,91,475.83 |
| 15 | Amount receivable from SPF a/c | 7,33,23,21,711.36 | 6,48,08,90,321.96 |
| | Balance as on 31st March | 13,65,77,63,078.72 | 11,90,97,46,430.15 |

| SCHEDULES FORMING THE PART OF BALANCE SHEET | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|
| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
| <u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Fund</u> | | | |
| <u>SCHEDULE No. 29</u> | | | |
| <u>EDLI ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS</u> | | | |
| | Special Deposit Accounts | 43,03,79,03,334.34 | 40,18,47,83,692.19 |
| <u>SCHEDULE No.30-CURRENT ASSETS,LOANS & ADVANCES</u> | | | |
| <u>A Cash Book Balance :</u> | | | |
| 1. | A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional) | 0.00 | 0.00 |
| 2. | A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) | 0.00 | 0.00 |
| <u>B Remittance in Transit :</u> | | | |
| 1. | From A/c No. 22 to 24 | 1,54,34,043.77 | 1,54,34,043.77 |
| <u>C Sundry Debits :</u> | | | |
| 1. | A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional) | 40,75,530.26 | 1,01,55,290.91 |
| 2. | A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) | 1,18,89,647.32 | 1,18,39,758.32 |
| 3. | Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice - versa | 1,66,08,121.04 | 1,66,08,121.04 |
| <u>D Interest on EDLI Adm. Fund Investment receivable :</u> | | | |
| | Interest accrued but not due on Investments | 0.00 | 0.00 |
| | Interest due but not received on Investments | 0.00 | 0.00 |
| E | Amount receivable from EDLI Contribution A/c | 0.00 | 0.00 |
| F | Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c Central) | 79,33,44,560.51 | 1,11,84,52,880.20 |
| G | Others | 0.00 | 0.00 |
| Balance as on 31st March | | 84,13,51,902.91 | 1,17,24,90,094.24 |

| EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION | | | |
|--|----------|------------------------------|------------------------------|
| CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH | | | |
| Amount-Rs. | | | |
| | Schedule | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
| INCOME | | | |
| <u><i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i></u> | | | |
| <u>EPF- Contributions Fund</u> | | | |
| Interest Income | 31 | 11,42,95,69,42,139.19 | 9,43,57,22,97,777.76 |
| Other Income | 32 | 12,13,20,59,405.46 | 9,03,81,24,957.85 |
| TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A) | | 11,55,08,90,01,544.65 | 9,52,61,04,22,735.61 |
| <u><i>Employees' Pension Scheme, 1995</i></u> | | | |
| <u>EPS CONTRIBUTION FUND</u> | | | |
| Income from Pension Contribution | 33 | 7,17,80,40,89,074.71 | 6,48,85,60,59,493.24 |
| Interest Income | 34 | 5,86,68,72,71,272.05 | 5,21,71,00,10,942.82 |
| Other Income | 35 | 8,63,62,24,916.99 | 5,64,20,52,588.65 |
| TOTAL INCOME - PENSION FUND (B) | | 13,13,12,75,85,263.75 | 11,76,20,81,23,024.71 |
| <u><i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i></u> | | | |
| <u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u> | | | |
| Income from Contribution from employers | | 33,58,10,01,838.11 | 30,30,84,97,211.12 |
| Interest Income | 36 | 31,53,15,47,331.44 | 28,77,59,36,806.75 |
| Other Income | 37 | 53,80,49,459.31 | 50,02,89,676.84 |
| TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C) | | 65,65,05,98,628.86 | 59,58,47,23,694.71 |
| <u><i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i></u> | | | |
| <u>EPF - Administration Fund</u> | | | |
| Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year | 38 | 60,71,00,11,049.47 | 53,74,88,20,365.16 |
| Interest income | 39 | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| Receipt from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received | | 59,41,97,499.60 | 52,90,77,061.48 |
| Other Income - Miscellaneous Receipts | | 21,86,56,713.40 | 6,93,90,282.68 |
| TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D) | | 83,63,27,07,688.82 | 74,99,08,52,644.68 |
| <u><i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i></u> | | | |
| <u>EDLI ADMINISTRATION FUND</u> | | | |
| Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year | 40 | 26,61,12,832.57 | 28,14,01,051.62 |
| Interest income | 41 | 2,85,31,26,759.44 | 2,64,06,75,640.66 |
| Other Income -Receipts from A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional) | | 178.40 | 2,86,923.22 |
| Other Income -Receipts from A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central) | | - | 50,00,043.00 |
| TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E) | | 3,11,92,39,770.41 | 2,92,73,63,658.50 |

| EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION | | | |
|---|----------|------------------------------|-----------------------------|
| CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH | | | |
| | | | Amount-Rs. |
| EXPENDITURE | Schedule | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u> | | | |
| EPF- Contributions Fund | | | |
| Interest payment to the Members | 42 | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| Interest paid to vendors on purchase of securities | | 5,06,29,87,515.53 | 10,44,78,27,257.85 |
| Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments | | (38,07,66,352.94) | - |
| Interest accrued on SRF | | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| Interest on overdraft paid to Banks | | 1,18,73,96,460.22 | 70,44,32,069.41 |
| Misc-Intt. paid on deposits refunded to exempted trusts | | - | - |
| TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1) | | 10,79,12,50,89,017.61 | 9,09,87,69,51,272.24 |
| I - Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet | | 75,96,39,12,527.04 | 42,73,34,71,463.37 |
| <u>Employees' Pension Scheme, 1995</u> | | | |
| EPS CONTRIBUTION FUND | | | |
| Amount paid to outgoing members / beneficiaries | 43 | 2,30,28,28,83,883.39 | 2,21,12,82,42,371.69 |
| Commission to Banks for disbursement of pension | | 2,49,45,32,267.24 | 1,46,07,01,620.24 |
| Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities) | | 2,37,66,76,444.16 | 4,77,55,05,083.76 |
| Loss on Sale of ETF Securities/PY adjustments | | (10,11,56,416.47) | - |
| Other payments: | | | |
| A/c No. 10 (EPS Contribution A/c Regional) | | (1,14,41,082.12) | 1,59,47,808.96 |
| A/c No. 11 (EPS Contribution A/c Central) | | - | - |
| Interest on overdraft paid to Banks | | 36,69,59,970.07 | 21,89,55,340.02 |
| TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1) | | 2,35,40,84,55,066.27 | 2,27,59,93,52,224.67 |
| II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet | | 10,77,71,91,30,197.48 | 9,48,60,87,70,800.04 |
| <u>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</u> | | | |
| EDLI CONTRIBUTION FUND | | | |
| Assurance Benefits paid | | 20,51,83,73,943.55 | 21,33,91,38,648.08 |
| Accrued Intt. paid on purchase of Invest. (Securities) | | 1,93,22,482.76 | 14,42,21,750.00 |
| Loss on Sale of ETF Securities/PY Adjustments | | (7,54,497.65) | - |
| Other payments: | | | |
| A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional) | | 5,81,952.50 | 60,581.20 |
| A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c - Central) | | - | - |
| Interest on overdraft paid to Banks | | 3,54,54,982.37 | 2,41,20,978.03 |
| TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1) | | 20,57,29,78,863.53 | 21,50,75,41,957.31 |
| III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet | | 45,07,76,19,765.33 | 38,07,71,81,737.40 |

| EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH | | | |
| <u>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</u> | | Amount-Rs. | |
| <u>EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)</u> | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
| A- Establishment Expenses | | | |
| Salaries of Officers and Staff & Bonus | | 14,08,68,54,634.47 | 13,45,80,69,164.39 |
| Allowances and Honorarium | | 3,37,38,45,986.00 | 3,33,08,57,857.00 |
| Grants - Welfare Funds etc | | 12,13,11,495.00 | 11,96,11,233.00 |
| Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund | | 34,33,29,40,236.52 | 29,67,56,02,546.17 |
| S.P.F. D.L.I. Benefits | | 5,70,333.00 | 7,07,253.00 |
| Board's share towards N.P.S. | | 94,05,96,869.34 | 73,51,00,347.87 |
| Interest on N.P.S. Contribution | | 23,53,641.00 | 416.00 |
| Service Charges towards N.P.S. | | 7,88,480.00 | -30,898.56 |
| TA & LTC | | 6,68,25,730.00 | 9,70,85,660.80 |
| TOTAL A | | 52,92,60,87,405.33 | 47,41,70,03,579.67 |
| B- Other Administrative Expenses | | | |
| Electricity Expenses | | 33,47,87,581.75 | 31,09,28,893.20 |
| Postage | | 5,81,14,577.00 | 5,11,31,425.00 |
| Printing & Stationery | | 16,70,47,531.00 | 13,92,92,963.23 |
| Rent, Rates & Taxes | | 38,70,02,544.19 | 33,87,54,049.14 |
| Vehicle Running & Maintenance Expenses | | 1,08,42,647.00 | 1,05,72,659.00 |
| Telephone, Internet & Communication Charges | | 8,56,53,563.09 | 8,16,40,595.51 |
| Insurance Expenses | | | |
| Water Charges | | 1,31,26,091.00 | 87,73,131.00 |
| Staff Paid from contingencies | | 1,51,44,79,112.00 | 1,23,05,60,226.00 |
| Audit Fee | | 1,07,70,100.00 | 40,38,936.00 |
| Legal Charges | | 10,71,82,800.00 | 11,67,46,197.00 |
| Consultancy Expenses | | 7,80,06,160.14 | 1,03,95,633.00 |
| Conveyance Hire | | 11,98,74,946.00 | 10,16,73,262.00 |
| Advertisement & Publicity | | 9,26,06,532.00 | 3,51,39,785.00 |
| AMC - Computers, Servers, Elect. Equip. & other Office Equip. | | 1,13,74,22,215.22 | 1,04,97,82,334.41 |
| Travelling Expenses | | 25,71,92,622.50 | 19,69,77,433.52 |
| Other Charges (Recurring/Non-Recurring) | | 28,62,82,900.47 | 30,41,63,426.32 |
| Bank Commission and T.T. Charges | | 82,25,47,989.03 | 77,89,33,143.98 |
| Maintenance of Office Buildings/Staff Quarters | | 39,84,35,175.00 | 26,99,51,466.00 |
| Net Depreciation on Fixed Assets | | 55,28,31,746.80 | 41,58,92,253.94 |
| Loss/Gain on Liquidation of Assets | | 4,21,002.30 | -19,25,654.54 |
| Provision for Building Construction Fund | | 0.00 | 0.00 |
| Interest on overdraft paid to Banks | | 6,43,41,642.69 | 3,72,80,409.31 |
| Total B | | 6,49,89,69,479.18 | 5,49,07,02,568.02 |
| TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1) | | 59,42,50,56,884.51 | 52,90,77,06,147.69 |
| IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet | | 24,20,77,03,873.55 | 22,08,31,46,497.00 |
| Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 | | | |
| EDLI ADMINISTRATION FUND | | | |
| Proportionate share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO | | 59,42,50,568.85 | 52,90,77,061.48 |
| Other payment: | | | |
| Account No. 22 | | 3,37,384.15 | 5,40,730.00 |
| Account No. 24 | | - | - |
| TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1) | | 59,45,87,953.00 | 52,96,17,791.48 |
| V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet | | 2,52,46,51,817.41 | 2,39,77,45,867.02 |
| TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V) | | 12,25,49,30,18,180.82 | 10,53,90,03,16,364.83 |

Sd/-
(SANJAY PANDEY)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| <u>EPF Contributions Fund</u> | | | |
| SCHEDULE No. 31 | | | |
| Interest Income | | | |
| 1 | Interest received on investment for the year | 7,26,02,26,96,957.03 | 6,22,37,27,03,925.26 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 2,46,09,25,00,578.56 | 2,02,50,19,88,504.52 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 8,96,67,94,569.99 | 7,00,56,79,769.85 |
| 4 | Profit on Sale of ETF Securities | 1,57,26,46,49,668.44 | 1,09,57,53,06,005.53 |
| 5 | Interest accrued on FDRs | 4,59,80,87,750.00 | 2,11,65,14,998.36 |
| 6 | Interest on Regional Savings Bank Account | 1,22,12,615.17 | 34,776.24 |
| 7 | Interest on Securities received from estts. | 0.00 | 69,798.00 |
| 8 | Interest from subscribers / members on loans | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 11,42,95,69,42,139.19 | 9,43,57,22,97,777.76 |
| SCHEDULE No. 32 | | | |
| Other Income | | | |
| 1 | Penal Damages collected during the year | 7,85,76,39,850.11 | 5,47,20,13,523.23 |
| 2 | 7Q Interest collected during the year | 4,27,44,19,555.35 | 3,56,61,11,066.62 |
| 3 | Other receipts (INTEREST ON S.B. A/C) | 0.00 | 368.00 |
| Total | | 12,13,20,59,405.46 | 9,03,81,24,957.85 |
| <u>EPS CONTRIBUTION FUND</u> | | | |
| SCHEDULE No. 33 | | | |
| Income from Pension Contribution | | | |
| 1 | Pension contribution received from employers | 6,24,23,92,91,336.03 | 5,61,70,84,28,799.22 |
| 2 | Pension contribution received from Central Govt. during FY | 91,23,07,32,668.68 | 86,92,19,51,798.02 |
| 3 | Pension contribution receivable from Central Govt. during the FY | 2,33,40,65,070.00 | 22,56,78,896.00 |
| Total | | 7,17,80,40,89,074.71 | 6,48,85,60,59,493.24 |
| SCHEDULE No. 34 | | | |
| Interest Income | | | |
| 1 | Interest received on investment for the year | 3,01,60,39,30,377.62 | 2,64,45,50,44,303.27 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 1,05,56,16,66,252.63 | 91,50,14,87,603.61 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 3,35,04,91,761.65 | 2,60,11,67,761.65 |
| 4 | Profit on Sale of ETF Securities | 0.00 | 12,29,57,481.51 |
| 5 | Interest accrued on FDRs | 1,04,26,38,966.00 | 53,03,09,840.55 |
| 6 | Interest received on Public Account of Govt. of India | 1,70,87,12,00,000.00 | 1,59,08,47,00,000.00 |
| 7 | Interest receivable on Public Account of Govt. of India | 4,24,92,00,000.00 | 3,41,39,00,000.00 |
| 8 | Interest received under Minimum Pension scheme | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Interest receivable under Minimum Pension scheme | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Interest on Regional Savings Bank Account | 81,43,914.15 | 4,43,952.23 |
| Total | | 5,86,68,72,71,272.05 | 5,21,71,00,10,942.82 |
| SCHEDULE No. 35 | | | |
| Other Income | | | |
| 1 | Penal Damages collected during the year | 3,61,92,26,880.22 | 2,61,37,48,356.42 |
| 2 | 7Q Interest collected during the year | 1,75,55,10,746.52 | 1,56,60,52,074.70 |
| 3 | Other receipts - Regional Contribution A/c No. 10 | 3,26,14,87,290.25 | 1,46,22,52,153.53 |
| 4 | Other receipts - Central Contribution A/c No. 11 | | 4.00 |
| Total | | 8,63,62,24,916.99 | 5,64,20,52,588.65 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u> | | | |
| <u>SCHEDULE No. 36</u> | | | |
| Interest Income | | | |
| 1 | Interest received on investment for the year | 14,23,15,13,707.74 | 12,99,77,66,497.36 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 5,06,75,26,735.72 | 4,52,77,91,374.58 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 7,95,69,635.62 | 6,23,11,635.62 |
| 4 | Profit on Sale of ETF Securities | 0.00 | 73,91,430.54 |
| 5 | Interest accrued on FDRs | 8,46,81,338.00 | 5,83,71,050.96 |
| 6 | Interest received on Public Account of Govt. of India | 12,06,77,00,000.00 | 11,12,23,00,000.00 |
| 7 | Interest receivable on Public Account of Govt. of India | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Interest on Regional Savings Bank Account | 5,55,914.36 | 4,817.69 |
| Total | | 31,53,15,47,331.44 | 28,77,59,36,806.75 |
| <u>SCHEDULE No. 37</u> | | | |
| Other Income | | | |
| 1 | Penal Damages collected during the year | 20,74,60,187.50 | 16,26,19,372.68 |
| 2 | 7Q Interest collected during the year | 9,86,49,886.34 | 9,27,46,700.97 |
| 3 | Other receipts in A/c No. 21 | 23,19,39,385.47 | 24,49,23,603.19 |
| 4 | Other receipts in A/c No. 25 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 53,80,49,459.31 | 50,02,89,676.84 |
| <u>EPF - Administration Fund</u> | | | |
| <u>SCHEDULE No. 38</u> | | | |
| Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q | | | |
| 1 | EPF Administration Charges received during the year | 56,33,57,05,126.34 | 49,74,29,43,822.99 |
| 2 | EPF Inspection Charges received during the year | 3,65,12,26,278.00 | 3,48,91,39,913.00 |
| 3 | Penal Damages collected during the year | 41,29,76,222.37 | 31,54,68,799.34 |
| 4 | 7Q Interest collected during the year | 31,01,03,422.76 | 20,12,67,829.83 |
| Total | | 60,71,00,11,049.47 | 53,74,88,20,365.16 |
| <u>SCHEDULE No. 39</u> | | | |
| Interest Income | | | |
| 1 | Interest received on investment for the year | 21,93,03,60,402.91 | 20,55,21,29,717.61 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Interest accrued on FDRs | 17,88,46,404.00 | 9,12,11,572.60 |
| 5 | Interest on Regional Savings Bank Account | 6,35,619.44 | 2,23,645.16 |
| Total | | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| Less: | Interest credited to Building Construction Fund | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| <u>EDLI ADMINISTRATION FUND</u> | | | |
| <u>SCHEDULE No. 40</u> | | | |
| Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q | | | |
| 1 | EDLI Administration Charges received during the year | 18,59,89,860.68 | 20,25,33,543.04 |
| 2 | EDLI Inspection Charges received during the year | 5,36,41,727.90 | 5,51,77,253.00 |
| 3 | Penal Damages collected during the year | 1,78,97,191.63 | 1,62,55,897.60 |
| 4 | 7Q Interest collected during the year | 85,84,052.36 | 74,34,357.98 |
| Total | | 26,61,12,832.57 | 28,14,01,051.62 |
| <u>SCHEDULE No. 41</u> | | | |
| Interest Income | | | |
| 1 | Interest received on investment for the year | 2,85,31,19,642.15 | 2,64,06,70,432.43 |
| 2 | Interest accrued but not due on Investments | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Interest due but not received on Investments | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Interest on Savings Bank Account | 7,117.29 | 5,208.23 |
| Total | | 2,85,31,26,759.44 | 2,64,06,75,640.66 |

SCHEDULES FORMING THE PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

| | | Current year(2023-24) | Previous Year (2022-23) |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|
| <u>EPF Contributions Fund</u> | | | |
| SCHEDULE No. 42 | | | |
| Interest payment to the Members | | | |
| 1 | Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2023-24 | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| 3 | Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| <u>EPS Contributions Fund</u> | | | |
| SCHEDULE No. 43 | | | |
| Amount paid to outgoing members / beneficiaries | | | |
| 1 | Withdrawal / retirement benefits | 80,37,48,29,392.82 | 76,88,66,58,963.34 |
| 2 | Life Assurance Benefits | 35,95,788.00 | 0.00 |
| 3 | Pension Payments | 1,49,90,44,58,702.57 | 1,44,24,15,83,408.35 |
| Total | | 2,30,28,28,83,883.39 | 2,21,12,82,42,371.69 |

Investment Schedule

SCHEDULE No. 18

Amount (in Rs.)

Employees' Provident Fund -Investments

| S No. | Nature of Investment | Opening Balance | | Amount Invested during the year | Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption | Value of securities redeemed during the year | Cost of Amortisation | Current Value | |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Face Value | Amortized/Cost value | | | | | Amortized/Cost Value | Face Value |
| 1 | Central Govt Securities -CTG | 24,71,89,80,91,700.00 | 24,32,85,97,49,859.38 | 1,88,37,66,23,615.00 | 1,19,67,30,000.00 | 60,33,99,04,000.00 | -1,99,86,92,385.58 | 25,64,09,18,91,859.96 | 26,06,13,74,17,700.00 |
| 2(i) | Public Sector Undertaking -PSU | 22,31,35,56,27,239.00 | 22,30,90,89,79,557.84 | 5,79,51,92,36,900.00 | - | 1,31,49,44,89,661.00 | -10,56,36,510.05 | 26,79,03,93,63,306.89 | 26,79,25,42,37,578.00 |
| 2(ii) | CBLO/TREPS | 25,92,06,14,177.02 | 25,92,06,14,177.02 | 40,51,91,15,595.22 | - | - | - | 66,43,97,29,772.24 | 66,43,97,29,772.24 |
| 3 | Private Securities | 7,51,33,64,15,494.00 | 7,51,34,98,43,850.36 | 16,55,00,00,000.00 | - | 67,33,87,437.93 | 36,27,610.58 | 7,67,22,28,28,801.85 | 7,67,21,30,28,056.07 |
| 4 | CCIL Margin Money | - | 25,42,00,000.00 | 1,69,88,92,354.07 | - | 90,00,00,000.00 | - | 1,05,30,92,354.07 | - |
| 5 | State development Loans -SDL | 56,41,21,55,94,900.00 | 56,40,80,44,16,432.16 | 15,71,54,04,25,621.00 | 13,31,97,90,000.00 | 1,87,14,07,28,700.00 | 1,30,25,82,369.71 | 70,37,22,13,20,983.45 | 70,36,91,37,96,200.00 |
| 6 | State Govt Securities -STG | 1,42,88,15,61,101.00 | 1,42,96,66,18,903.57 | 7,50,00,00,000.00 | 4,11,00,000.00 | 17,52,66,44,299.00 | 3,71,22,681.85 | 1,32,94,39,51,922.72 | 1,32,89,60,16,802.00 |
| 7 | Special Deposit Scheme -SDS | 5,39,18,25,26,084.98 | 5,39,18,25,26,084.98 | - | 1,62,47,11,877.38 | - | - | 5,40,80,72,37,962.36 | 5,40,80,72,37,962.36 |
| 8 | Public Account | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ETF | 12,28,42,01,36,534.77 | 12,28,42,01,36,534.77 | 4,16,50,12,49,969.38 | - | 1,89,50,97,12,626.14 | - | 14,55,41,16,73,878.01 | 14,55,41,16,73,878.01 |
| 10 | LMF | 10,43,35,31,688.94 | 10,43,35,31,688.94 | - | - | 1,82,62,71,450.01 | - | 8,60,72,60,238.93 | 8,60,72,60,238.93 |
| 11 | FDR | 47,84,64,00,000.00 | 47,84,64,00,000.00 | 63,67,00,00,000.00 | - | 47,84,64,00,000.00 | - | 63,67,00,00,000.00 | 63,67,00,00,000.00 |
| 12 | Amount under reconciliation | - | 0.00 | - | - | - | - | (1.13) | - |
| | Total | 1,30,90,49,04,98,919.70 | 1,30,50,94,70,17,089.00 | 28,85,87,55,44,054.67 | 16,18,23,31,877.38 | 6,37,25,75,38,174.08 | (76,09,96,233.49) | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,53,57,35,03,98,187.60 |

*It is informed that security code 723993 was received security on 20-Jan-2023 of FV 10,00,000 from M/s Punjab Khadi Mandal, Adampur. Part redemption amount of rs. 300000/- was recovered by RO Jalandhar from the trust. Therefore, the same has been added in the maturity for arriving at correct figures of Face value and Amortized value as on 31.03.2024.

SCHEDULE No. 20

Employees' Pension Fund -Investments

| S No. | Nature of Investment | Opening Balance | | Amount Invested during the year | Securities received (Accepted Value) on cancellation of | Value of securities redeemed during the year | Cost of Amortisation | Current Value | |
|-------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Face Value | Amortized/Cost value | | | | | Amortized/Cost Value | Face Value |
| 1 | Central Govt Securities -CTG | 12,43,64,82,32,700.00 | 12,28,66,43,62,277.94 | 1,16,82,61,75,000.00 | - | 23,19,16,00,000.00 | (75,01,93,777.24) | 13,23,04,91,31,055.18 | 13,39,46,98,32,700.00 |
| 2(i) | Public Sector Undertaking -PSU | 9,84,71,56,29,933.00 | 9,84,54,31,32,104.60 | 2,03,96,72,73,320.00 | - | 47,97,18,29,467.00 | (2,90,92,480.39) | 11,40,56,76,68,437.99 | 11,40,68,87,00,466.00 |
| 2(ii) | CBLO/TREPS | 12,29,63,75,481.67 | 12,29,63,75,481.67 | 9,03,55,24,029.89 | - | - | - | 21,33,18,99,511.56 | 21,33,18,99,511.56 |
| 3 | Private Securities | 3,28,84,06,12,800.00 | 3,28,84,36,86,918.43 | 6,30,00,00,000.00 | - | 59,10,78,128.62 | 11,01,620.99 | 3,34,55,15,07,168.82 | 3,34,54,95,34,671.38 |
| 4 | CCIL Margin Money | - | 5,15,00,000.00 | 10,21,56,445.93 | - | - | - | 15,36,56,445.93 | - |
| 5 | State development Loans -SDL | 23,80,85,18,58,100.00 | 23,81,00,17,14,587.45 | 4,72,43,57,17,483.00 | - | 81,03,08,50,300.00 | 52,12,24,231.95 | 27,71,88,53,57,538.50 | 27,71,36,57,57,800.00 |
| 6 | State Govt Securities -STG | 49,09,40,00,000.00 | 49,09,77,13,840.59 | 2,50,00,00,000.00 | - | 3,85,70,00,000.00 | 43,57,660.93 | 47,73,63,56,179.66 | 47,73,70,00,000.00 |
| 7 | Special Deposit Scheme -SDS | 14,00,52,28,022.64 | 14,00,52,28,022.64 | - | - | - | - | 14,00,52,28,022.64 | 14,00,52,28,022.64 |
| 8 | Public Account | 20,09,35,34,36,012.86 | 20,09,35,34,36,012.86 | 2,55,95,51,00,000.00 | - | - | - | 22,65,30,85,36,012.86 | 22,65,30,85,36,012.86 |
| 9 | ETF | 6,81,07,20,36,842.69 | 6,81,07,20,36,842.69 | 1,42,54,03,68,190.20 | - | - | - | 8,23,61,24,05,032.89 | 8,23,61,24,05,032.89 |
| 10 | LMF | 2,16,31,09,056.97 | 2,16,31,09,056.97 | 1,40,29,53,376.43 | - | - | - | 3,56,60,62,433.40 | 3,56,60,62,433.40 |
| 11 | FDR | 11,98,83,00,000.00 | 11,98,83,00,000.00 | 13,79,00,00,000.00 | - | 11,98,83,00,000.00 | - | 13,79,00,00,000.00 | 13,79,00,00,000.00 |
| 12 | Amount under reconciliation | - | - | - | - | - | - | (29.46) | - |
| | Total | 77,18,02,88,18,949.83 | 77,03,08,05,95,145.84 | 12,24,85,52,67,845.45 | - | 1,68,63,06,57,895.62 | (25,26,02,743.76) | 87,59,55,78,07,809.97 | 87,75,42,49,56,650.73 |

SCHEDULE No. 22

Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments

| S No. | Nature of Investment | Opening Balance | | Amount Invested during the year | Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption | Value of securities redeemed during the year | Cost of Amortisation | Current Value | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Face Value | Amortized/Cost value | | | | | Amortized/Cost Value | Face Value |
| 1 | Central Govt Securities -CTG | 44,85,69,97,000.00 | 44,42,21,52,349.43 | 2,79,52,70,000.00 | - | 1,06,27,00,000.00 | (3,51,12,216.84) | 46,18,98,34,566.27 | 46,59,42,97,000.00 |
| 2(i) | Public Sector Undertaking -PSU | 54,51,66,30,000.00 | 54,51,04,25,131.46 | 9,34,02,59,800.00 | - | 2,53,89,40,000.00 | (4,74,590.24) | 61,31,22,19,521.70 | 61,31,76,90,000.00 |
| 2(ii) | CBLO/TREPS | 1,08,29,99,158.00 | 1,08,29,99,158.00 | 28,94,57,547.59 | - | - | - | 1,37,24,56,705.59 | 1,37,24,56,705.59 |
| 3 | Private Securities | 11,60,58,94,650.00 | 11,60,94,09,927.71 | 25,00,00,000.00 | - | 10,65,31,476.76 | 10,12,291.79 | 11,75,18,66,159.16 | 11,74,93,63,173.24 |
| 4 | CCIL Margin Money | - | 7,54,500.00 | - | - | - | - | 7,54,500.00 | - |
| 5 | State development Loans -SDL | 1,23,63,32,02,000.00 | 1,23,80,15,00,714.04 | 23,03,73,89,000.00 | - | 5,89,76,13,000.00 | 3,60,46,552.44 | 1,40,90,52,30,161.60 | 1,40,75,59,79,000.00 |
| 6 | State Govt Securities -STG | 2,30,50,00,000.00 | 2,30,88,95,906.82 | - | - | - | 13,04,141.33 | 2,30,75,91,765.49 | 2,30,50,00,000.00 |
| 7 | Special Deposit Scheme -SDS | 2,49,76,309.05 | 2,49,76,309.05 | - | - | - | - | 2,49,76,309.05 | 2,49,76,309.05 |
| 8 | Public Account | 1,41,97,32,30,388.14 | 1,41,97,32,30,388.14 | 12,06,77,00,000.00 | - | - | - | 1,54,04,09,30,388.14 | 1,54,04,09,30,388.14 |
| 9 | ETF | 30,58,73,32,867.99 | 30,58,73,32,868.29 | 6,40,71,85,908.61 | - | - | - | 36,99,45,18,776.90 | 36,99,45,18,776.60 |
| 10 | LMF | 4,17,74,552.03 | 4,17,74,552.03 | 9,28,87,019.04 | - | - | - | 13,46,61,571.07 | 13,46,61,571.07 |
| 11 | FDR | 1,31,59,14,767.00 | 1,31,59,14,767.00 | 1,12,00,02,419.00 | - | 1,31,58,02,419.00 | - | 1,12,01,14,767.00 | 1,12,01,14,767.00 |
| 12 | Amount under reconciliation | - | - | - | - | - | - | (2.35) | - |
| | Total | 4,11,94,39,51,692.22 | 4,11,67,86,12,071.98 | 55,40,09,06,194.24 | - | 10,92,15,86,895.76 | 27,76,178.48 | 4,56,15,51,55,189.63 | 4,56,40,99,87,690.70 |

Investment Schedule

SCHEDULE No. 26

EPF Staff Provident Fund -Investments

| S No. | Nature of Investment | Opening Balance | | Amount Invested during the year | Value of securities redeemed during the year | Cost of Amortisation | Current Value | |
|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Face Value | Amortized/Cost value | | | | Amortized/Cost Value | Face Value |
| 1 | Central Govt Securities -CTG | 4,70,28,21,000.00 | 4,66,52,76,876.45 | 19,72,05,000.00 | 6,34,00,000.00 | (43,09,567.46) | 4,80,33,91,443.91 | 4,83,94,21,000.00 |
| 2(i) | Public Sector Undertaking -PSU | 4,91,36,71,000.00 | 4,91,14,55,262.90 | 76,01,12,880.00 | 20,56,00,000.00 | -503647.07 | 5,46,64,71,789.97 | 5,46,80,71,000.00 |
| 2(ii) | CBLO/TREPS | 3,37,81,258.34 | 3,37,81,258.34 | 5,50,47,436.26 | - | - | 8,88,28,694.60 | 8,88,28,694.60 |
| 3 | Private Securities | 98,62,20,000.00 | 98,61,83,128.65 | - | 22,99,378.93 | (11,081.27) | 98,38,94,830.99 | 98,39,20,621.07 |
| 4 | State development Loans -SDL | 10,57,42,10,000.00 | 10,58,76,92,579.76 | 1,59,62,90,500.00 | 57,59,80,000.00 | 28,86,192.57 | 11,60,51,16,887.19 | 11,59,37,80,000.00 |
| 5 | State Govt Securities -STG | 16,00,00,000.00 | 16,04,11,524.25 | - | - | 1,24,900.75 | 16,02,86,623.50 | 16,00,00,000.00 |
| 6 | Special Deposit Scheme -SDS | 83,33,20,534.92 | 83,33,20,534.92 | - | - | - | 83,33,20,534.92 | 83,33,20,534.92 |
| 7 | Public Account | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ETF | 1,34,05,59,072.91 | 1,34,05,59,072.91 | 14,19,04,623.09 | - | - | 1,48,24,63,696.00 | 1,48,24,63,696.00 |
| 9 | LMF | 28,95,924.42 | 28,95,924.42 | 2,42,19,801.15 | - | - | 2,71,15,725.57 | 2,71,15,725.57 |
| | Total | 23,54,74,78,790.59 | 23,52,15,76,162.60 | 2,77,47,80,240.50 | 84,72,79,378.93 | (18,13,202.48) | 25,45,08,90,226.65 | 25,47,69,21,272.16 |

SCHEDULE No. 27

EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments

| S No. | Nature of Investment | Opening Balance | | Amount Invested during the year | Value of securities redeemed during the year | Cost of Amortisation | Current Value | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Face Value | Amortized/Cost value | | | | Amortized/Cost Value | Face Value |
| 1 | Central Govt Securities -CTG | 23,48,87,04,200.00 | 22,93,36,48,473.52 | 2,61,87,56,750.00 | 17,41,00,000.00 | (2,32,61,067.76) | 25,40,15,66,291.28 | 25,93,72,84,200.00 |
| 2(i) | Public Sector Undertaking -PSU | 38,37,20,08,000.00 | 38,35,88,82,958.71 | 8,74,06,49,500.00 | 1,11,20,00,000.00 | (29,46,480.04) | 45,99,04,78,938.75 | 46,00,00,08,000.00 |
| 2(ii) | CBLO/TREPS | 16,83,06,624.41 | 16,83,06,624.42 | 36,66,34,265.93 | - | - | 53,49,40,890.35 | 53,49,40,890.34 |
| 3 | Private Securities | 7,80,34,00,000.00 | 7,80,61,36,031.51 | 25,00,00,000.00 | 39,58,012.58 | 7,88,190.56 | 8,05,13,89,828.37 | 8,04,94,41,987.42 |
| 4 | CCIL Margin Money | - | - | 5,22,700.00 | - | - | 5,22,700.00 | - |
| 5 | State development Loans -SDL | 86,21,14,20,000.00 | 86,35,25,86,363.37 | 23,75,08,66,000.00 | 1,48,97,40,000.00 | 2,97,65,055.63 | 1,08,58,39,47,307.74 | 1,08,46,00,30,000.00 |
| 6 | State Govt Securities -STG | 57,90,00,000.00 | 58,04,94,560.95 | - | - | 4,50,186.24 | 58,00,44,374.71 | 57,90,00,000.00 |
| 7 | Special Deposit Scheme -SDS | 91,79,27,326.87 | 91,79,27,326.87 | - | - | - | 91,79,27,326.87 | 91,79,27,326.87 |
| 8 | Public Account | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ETF | 25,46,28,32,370.88 | 25,46,28,32,370.74 | 6,25,10,20,792.12 | - | - | 31,71,38,53,162.86 | 31,71,38,53,163.00 |
| 10 | LMF | 12,31,93,806.96 | 12,31,93,806.96 | 4,00,91,633.29 | - | - | 16,32,85,440.25 | 16,32,85,440.25 |
| | Total | 1,83,12,67,92,329.12 | 1,82,70,40,08,517.05 | 42,01,85,41,641.34 | 2,77,97,98,012.58 | 47,95,884.63 | 2,21,93,79,56,261.18 | 2,22,35,57,71,007.88 |

Schedule No. 24 **FIXED ASSETS 2023-24****EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**
ALL ZONAL OFFICES/ FIELD OFFICE:

| (ENTIRE REGION i.e. REGIONAL OFFICE INCLUDING SUB-REGIONAL OFFICES UNDER THE JURISDICTION OF THE REGION) | | | | | | | | | | | Amounts (in Rs.) | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|------------------------------------|--|
| S No. | Fixed Asset | Gross Block | | | | Depreciation | | | | Net Block | | |
| | | Cost/ Valuation at the beginning of the year | Additions of fixed assets during the year | Deletions of fixed assets during the year | Cost/Valuation at the end of the year (A) | Accumulated depreciation at the beginning of the year | Depreciation for the current year | Depreciation on fixed assets deleted during the year | Accumulated depreciation at the year end (B) | As at the Current Year-end [A-B] | As at the Previous year-end | |
| 1 | Land | | | | | | | | | | | |
| a | Freehold Land | 1,17,40,13,587.63 | 33,55,84,240.00 | - | 1,50,95,97,827.63 | - | - | - | - | 1,50,95,97,827.63 | 1,17,40,13,587.63 | |
| b | Leasehold Land | 22,89,93,729.50 | 64,40,526.60 | - | 23,54,34,256.10 | 4,39,46,079.33 | 19,67,471.87 | - | 4,59,13,551.20 | 18,95,20,704.90 | 18,50,47,650.17 | |
| 2 | Building | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| a | Building-Office | 2,77,58,83,070.82 | 15,67,27,666.00 | 4,94,01,095.00 | 2,88,32,09,641.82 | 51,02,35,946.18 | 4,42,60,248.30 | - | 55,44,96,194.47 | 2,32,87,13,447.34 | 2,26,56,47,124.64 | |
| b | Lease hold Building-Office | 85,61,29,261.47 | 1,20,29,302.00 | - | 86,81,58,563.47 | 28,40,58,003.98 | 3,84,99,867.99 | - | 32,25,57,871.97 | 54,56,00,691.50 | 57,20,71,257.49 | |
| c | Building -Residential | 96,64,38,379.88 | 86,03,128.00 | 3,66,48,651.00 | 93,83,92,856.88 | 30,28,48,029.29 | 1,07,03,492.58 | - | 31,35,51,521.87 | 62,48,41,335.01 | 66,35,90,350.59 | |
| d | Lease hold Building-Residential | 13,50,53,795.00 | 5,40,43,981.00 | - | 18,90,97,776.00 | 5,70,14,807.00 | 73,30,884.90 | - | 6,43,45,691.90 | 12,47,52,084.10 | 7,80,38,988.00 | |
| 3 | Plant Machinery & Equipment | 2,38,29,212.25 | 56,74,974.00 | 109.00 | 2,95,04,077.25 | 76,12,049.51 | 18,08,757.72 | 4.88 | 94,20,802.35 | 2,00,83,274.90 | 1,62,17,162.74 | |
| 4 | Vehicles & Motor Car | 2,00,98,491.28 | 1.00 | 90,202.00 | 2,00,08,290.28 | 1,32,53,792.35 | 23,41,243.52 | 90,202.72 | 1,55,04,833.15 | 45,03,457.13 | 68,44,698.93 | |
| 5 | Furniture & Fixtures | 46,16,68,793.69 | 13,41,81,481.93 | 25,38,838.46 | 59,33,11,437.16 | 13,94,67,130.58 | 4,95,80,275.64 | 1,47,008.46 | 18,89,00,397.76 | 40,44,11,039.40 | 32,22,01,663.12 | |
| 6 | Office Equipment | 19,42,65,799.47 | 5,23,22,586.39 | 9,22,921.00 | 24,56,65,464.86 | 9,06,62,283.83 | 3,95,76,310.40 | 8,85,294.85 | 12,93,53,299.38 | 11,63,12,165.48 | 10,36,03,515.64 | |
| 7 | Computers/Peripherals | 1,55,49,22,690.35 | 34,07,56,729.06 | 75,37,297.99 | 1,88,81,42,121.42 | 1,10,77,84,436.74 | 28,76,26,915.08 | 72,97,823.84 | 1,38,81,13,527.98 | 50,00,28,593.44 | 44,71,38,253.61 | |
| 8 | Electrical Installations | 7,06,37,749.33 | 90,34,599.00 | 54.00 | 7,96,72,294.33 | 2,65,71,557.95 | 75,16,051.57 | 5.13 | 3,40,87,604.39 | 4,55,84,689.94 | 4,40,66,191.38 | |
| 9 | Library Books | 70,11,178.00 | 10,72,372.00 | 59,948.00 | 80,23,602.00 | 18,65,582.47 | 19,32,344.69 | 59,948.00 | 37,37,979.16 | 42,85,622.84 | 51,45,595.53 | |
| 10 | Tube wells & Water Supply | 32,92,189.00 | 4,52,885.00 | - | 37,45,074.00 | 22,98,935.36 | 8,08,867.97 | 14.82 | 31,07,788.51 | 6,37,285.49 | 9,93,253.64 | |
| 11 | Other Fixed Assets | 3,09,20,741.13 | (2,32,72,418.13) | 30,04,640.49 | 46,43,682.51 | 58,82,718.41 | (12,29,895.90) | 9,140.00 | 46,43,682.51 | - | 2,50,38,022.72 | |
| | Total | 8,50,31,58,668.80 | 1,09,36,52,053.85 | 10,02,03,756.94 | 9,49,66,06,965.71 | 2,59,35,01,352.98 | 49,27,22,836.33 | 84,89,442.70 | 3,07,77,34,746.61 | 6,41,88,72,219.10 | 5,90,96,57,315.82 | |
| S No. | Fixed Asset (INTANGIBLE) | Gross Block | | | | Depreciation | | | | Net Block | | |
| | | Cost/ Valuation at the beginning of the year | Additions of fixed assets during the year | Deletions of fixed assets during the year | Cost/Valuation at the end of the year (A) | Accumulated depreciation at the beginning of the year | Depreciation for the current year | Depreciation on fixed assets deleted during the year | Accumulated depreciation at the year end (B) | As at the Current Year-end [A-B] | As at the Previous year-end | |
| 1 | Computer Software | 15,50,58,763.00 | 52,74,997.00 | 19,70,644.00 | 15,83,63,116.00 | 6,35,94,726.70 | 6,01,08,910.47 | 19,70,644.00 | 12,17,32,993.17 | 3,66,30,122.83 | 9,14,64,036.30 | |
| 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Total | 15,50,58,763.00 | 52,74,997.00 | 19,70,644.00 | 15,83,63,116.00 | 6,35,94,726.70 | 6,01,08,910.47 | 19,70,644.00 | 12,17,32,993.17 | 3,66,30,122.83 | 9,14,64,036.30 | |
| | GRAND TOTAL | 8,65,82,17,431.80 | 1,09,89,27,050.85 | 10,21,74,400.94 | 9,65,49,70,081.71 | 2,65,70,96,079.68 | 55,28,31,746.80 | 1,04,60,086.70 | 3,19,94,67,739.78 | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 | |

NOTE:- INTANGIBLE ASSETS PRIOR TO 01-04-2017, IF ANY ARE INCLUDED IN TANGIBLE ASSETS

| EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995 | | | | | | | |
|--|--------|--|------------------------------|------------------------------|--------|--|------------------------------|
| RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24 | | | | | | | |
| (CONTRIBUTION ACCOUNT) | | | | | | | |
| | | | | | | | Amount (in Rs.) |
| Previous Year (2022-23) | S. No. | Receipts | Current year (2023-24) | Previous Year (2022-23) | S. No. | Payments | Current year (2023-24) |
| 66,46,91,48,94,530.57 | 1. | Opening Balance | 75,71,15,45,10,647.55 | | 1. | Amount paid to outgoing members/ beneficiaries : | |
| 5,61,70,84,28,799.22 | 2. | (i) Contribution deposited by Employers | 6,24,23,92,91,336.03 | 0.00 | | (a) Amount of Employee's share with interest | 0.00 |
| 77,85,00,00,000.00 | | (ii) Govt. contribution received (including arrears) | 91,27,00,00,000.00 | 76,88,66,58,963.34 | | (b) Withdrawal/Retirement benefits | 80,37,48,29,392.82 |
| 1,60,56,72,00,000.00 | 3. | Interest on the balance in the Public Account of Govt. of India | 1,74,28,51,00,000.00 | 0.00 | | (c) Life Assurance benefits | 35,95,788.00 |
| 4,43,952.23 | 4. | Interest on Saving Bank Account | 81,43,914.15 | 1,44,24,15,83,408.35 | | (d) Pension | 1,49,90,44,58,702.57 |
| 3,46,07,08,43,001.55 | 5. | Interest received on Securities | 3,96,23,68,95,583.43 | | 2. | Amount paid as commission for disbursement of pension | 2,49,45,32,267.24 |
| 4,17,98,00,431.12 | 6. | Penal Damages | 5,37,47,37,626.74 | 1,46,07,01,620.24 | | | |
| | 7. | Other receipts : | | 0.00 | 3. | Amount paid towards Pension Fund Admn. Expenses | 0.00 |
| 1,46,22,52,153.53 | | (a) Regional Contribution A/c No. 10 | 3,26,14,87,290.25 | 0.00 | 4. | Amount of securities transferred on grant of exemption | 0.00 |
| 4.00 | | (b) Central Contribution A/c No. 11 | 0.00 | 4,77,55,05,083.76 | 5. | Amount paid as accrued interest on purchase of Securities | 2,37,66,76,444.16 |
| | | | | | 6. | Other payments : | |
| | | | | 1,59,47,808.96 | | (a) Regional Contribution A/c No. 10 | -1,14,41,082.12 |
| | | | | 21,89,55,340.02 | | (b) Central Contribution A/c No. 11 | 36,69,59,970.07 |
| | | | | 75,71,15,45,10,647.55 | 7. | Closing Balance | 86,30,32,05,54,915.41 |
| | | | | | | | |
| 77,98,75,38,62,872.22 | | TOTAL | 88,65,83,01,66,398.15 | 77,98,75,38,62,872.22 | | TOTAL | 88,65,83,01,66,398.15 |

*Including a sum of Rs 960,00,00,000.00 received from MoL&E against reimbursement of minimum pension of Rs 1000.00

Sd/-
(SANJAY PANDEY)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

(CONTRIBUTION ACCOUNT)

Amount (in Rs.)

| Previous Year (2022-23) | S. No. | Receipts | Current year (2023-24) | Previous Year (2022-23) | S. No. | Payments | Current year (2023-24) |
|-----------------------------|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|
| 3,74,33,22,30,375.23 | 1. | Opening Balance | 4,12,01,31,48,781.95 | 21,33,91,38,648.08 | 1. | Assurance Benefits | 20,51,83,73,943.55 |
| 30,30,84,97,211.12 | 2. | Contribution of Employers | 33,58,10,01,838.11 | 0.00 | 2. | Amount refunded to employers on grant of exemption | 0.00 |
| 11,12,23,00,000.00 | 3. | Interest on investment in Public Account of Govt. of India | 12,06,77,00,000.00 | 14,42,21,750.00 | 3. | Amount paid as accrued interest on purchase of securities | 1,93,22,482.76 |
| 17,25,73,68,658.38 | 4. | Interest on investment in securities | 18,87,99,87,768.90 | | 4. | <u>Other payments in :</u> | |
| 4,817.69 | 5. | Interest on S.B. Accounts | 5,55,914.36 | 60,581.20 | | Account No. 21 | 5,81,952.50 |
| 25,53,66,073.65 | 6. | Penal Damages & 7Q Intt. | 30,61,10,073.84 | 2,41,20,978.03 | | Account No. 25 | 3,54,54,982.37 |
| | 7. | <u>Other receipts in :</u> | | 4,12,01,31,48,781.95 | 5. | Closing Balance | 4,56,50,67,10,401.45 |
| 24,49,23,603.19 | | Account No. 21 | 23,19,39,385.47 | | | | |
| 0.00 | | Account No. 25 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4,33,52,06,90,739.26 | | TOTAL | 4,77,08,04,43,762.63 | 4,33,52,06,90,739.26 | | TOTAL | 4,77,08,04,43,762.63 |

Sd/-
(SANJAY PANDEY)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

| EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976 | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24 | | | | | | | |
| (ADMINISTRATION ACCOUNT) | | | | | | | |
| Amount (in Rs.) | | | | | | | |
| Previous Year (2022-23) | S. No. | Receipts | Current year (2023-24) | Previous Year (2022-23) | S. No. | Payments | Current year (2023-24) |
| 38,36,10,90,620.29 | 1. | Opening Balance | 40,77,71,43,268.79 | 52,90,77,061.48 | 1 | 1% Proportionate expenditure on EPFO | 59,41,97,499.60 |
| 20,25,33,543.04 | 2. | Administrative Charges received from the employers | 18,59,89,860.68 | | 2 | Other payments in : | |
| 5,51,77,253.00 | 3 | Inspection Charges received | 5,36,41,727.90 | 5,40,730.00 | | Account No. 22 | 3,37,384.15 |
| 2,36,90,255.58 | 4 | Penal Damages & 7Q Intt. | 2,64,81,243.99 | 0.00 | | Account No. 24 | 0.00 |
| 2,66,39,77,256.91 | 5 | Interest received on Investment | 2,85,31,19,642.15 | 40,77,71,43,268.79 | 3 | Closing Balance | 43,30,18,48,155.45 |
| 5,208.23 | 6 | Interest on Savings Bank A/c | 7,117.29 | | | | |
| | 7. | Other receipts in : | | | | | |
| 2,86,923.22 | | Account No. 22 | 178.40 | | | | |
| 0.00 | | Account No. 24 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 41,30,67,61,060.27 | | TOTAL | 43,89,63,83,039.20 | 41,30,67,61,060.27 | | TOTAL | 43,89,63,83,039.20 |

Sd/-
(SANJAY PANDEY)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(NEELAM SHAMI RAO)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULE FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD 2023-24

Schedule 44: Significant Accounting
Policies

Schedule 45: Contingent Liabilities and
Notes on Accounts

Employees' Provident Fund Organisation
Schedule forming part of the Accounts for the period 2023-24

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting as recommended by Government of India.

2. Investments

(A) The policy of Accounting of ETF investment has been proposed to Government of India and will be applicable after notification of proposed amendment in Schemes under EPF & MP Act., 1952. At present, ETF investments is shown at 'Cost Price'.

(B) The investment in debts securities has been valued at amortized value as per the revised accounting policy for investments as approved by Central Board in its 178th meeting held on 27.01.2007.

3. Fixed Assets:

3.1 Till 2015-16, Land & Buildings were shown together; however, in new format land is separately shown for 2015-16 onwards. Land is classified as leasehold land and freehold land.

3.2 Expenditure on all items costing more than Rs. 5,000 and having useful life more than one year is considered as capital expenditure and Depreciation on these assets will be treated as expenditure for the year.

3.3 Fixed Assets are valued at historical cost.

3.4 All assets except Land and Building, acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) have been valued at nominal price @ Re. 1 per item.

Explanation:

Till F.Y.2015-16, only Land & Building were considered as Fixed Assets, but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and

depreciation is charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets (except Land and Building) purchased and booked as expenditure in the respective years, are valued at Re. 1 per asset and accounted for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and State Government organisations.

4. Depreciation

- 4.1 Depreciation on fixed assets is provided on Straight Line Method at the rates specified in the Companies Act, 2013 (as amended).
- 4.2 Full rate of depreciation is provided on fixed assets, which have been used for 180 days or more and at half rate is provided if it is used for less than 180 days during the year.
- 4.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line Method with reference to lease period.
- 4.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.
- 4.5 On freehold building depreciation is first applied for the period from date of acquisition to 01.04.2015. There after normal process of depreciation is being followed as per depreciation chart provided.

(Ref. Accounting Standards-6 and10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 is being followed for calculating depreciation.

5. Government Grants/Subsidies:

Government Grants/contribution due for the Employees' Pension Scheme is accounted on accrual basis.

6. Employees Dues:

- 6.1 The salary payable to staff for the month of March shall be treated as expenditure of same financial year on accrual basis, irrespective of actual date of payment.
- 6.2 The interest, on advances paid to staff will be equally distributed in the period of recovery irrespective of recovery period of the interest.

7. Lease

7.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

7.2 Rent on hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

8. Interest Income

8.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.

8.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".

8.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

9. Retirement Benefits:

9.1 EPFO maintains separate funds for staff Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted for as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted for as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.

9.2 Leave encashment paid during the year shall be treated as revenue expenditure of that year.

10. Revenue Recognition:

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under section 7A, damages levied under section 14 B and interest levied under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 is disclosed in notes to accounts.

11. Advances to contractors/ Agencies for building construction:

Advances given for construction work will be treated as current asset and will be initially shown as "Advance to contractors/ agencies". On the basis of measurement at the end of the year the amount

will be transferred to the head “Capital work in progress” to the extent of the work has been executed, but yet to be finally completed.

12. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes to Accounts:

1. Contingent Liabilities:

| S. No. | Contingent Liability | Current year (Rs.) | Previous year (Rs.) |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Claims against the entity not acknowledged as debts. | | |
| (a) | Goods & Service Tax (formerly, Service Tax) | 0.00* | 13,08,04,05,797.00 |

* **NOTE:** Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, New Delhi, (Principal Bench-Court No 1) has issued final order No 50644/2023 vide dated 08-05-2023 in favour of EPFO for all the years i.e. 2009-10 to 2013-14.

2. Capital Commitments:

Estimated value of contracts remaining to be executed at the end of F.Y.2023-24, on capital account and not provided for is Rs. 24,613.09 Lakh. At the end of previous year it was Rs. 25,731.14 Lakh.

NOTES ON ACCOUNTS

I. Adoption of Common Format of Accounts

The Accounts have been prepared in Common Format of Accounts approved by CAG of India and notified by Government of India vide G.S.R. No.284(E), G.S.R. No.285(E) and G.S.R. No.286(E) dated 04-04-2019.

II. Prior period Income & Expenditure

The Income and Expenditure Accounts includes the prior period expenditure for a sum of Rs. Nil.

III. Recovery of statutory dues:

1. Total statutory dues assessed through proceedings under section 7A, damages under section 14-B & interest assessed under section 7Q of the EPF & MP Act, 1952 outstanding as on 31st March, 2024 are tabulated as under:

| S. No. | Name of the scheme | Total assessed amount in arrear under section 7A, damages under section 14-B & interest assessed under section 7Q (in Rs. in Crore) as on 31.03.2024 | | Total assessed amount in arrear under section 7A, damages under section 14-B & interest assessed under section 7Q (in Rs. in Crore) as on 31.03.2023 | |
|--------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | | Arrear of Contribution | Penal Damages/ Interest | Arrear of Contribution | Penal Damages/ Interest |
| 1. | Employees' Provident Fund | 6,890.93 | 3,332.86 | 5,987.56 | 2,775.20 |
| 2. | EPF Admn. Fund | 394.61 | 264.82 | 339.39 | 227.08 |
| 3. | Employees' Pension Fund | 3,457.32 | 1,590.49 | 2,820.43 | 1,468.61 |
| 4. | Employees' Deposit Linked Insurance Fund | 312.52 | 119.28 | 230.17 | 92.34 |
| 5. | EDLI Admn. Fund | 10.74 | 11.75 | 7.89 | 4.51 |
| Total | | 11,066.11 | 5,319.20 | 9,385.44 | 4,567.74 |

2. Realisable category amount assessed under section 7A, damages under section 14-B & interest assessed under section 7Q, and recovered through demand/recovery notices issued to employers, is recorded on cash basis.

3. Due to uncertainty of recovery and inability to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue has been postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions, amount will be credited in EPF member's account.

IV. EMPLOYEES PENSION FUND:

Employees' Pension Fund was last valued as on 31-03- 2019 and the valuation results are as under:

Valuation Results:

| Net Liability Bifurcation | Amount in Crore Rs. |
|---|---------------------|
| (a) Present Value of all the benefits | 10,32,537.55 |
| (b) Present Value of Future contributions | 5,57,448.07 |
| (c) Net Present value of all benefits (c)=(a)-(b) | 4,75,089.48 |
| (d) Corpus as on 31-03-2019 (d) | 4,37,762.54 |
| (e) Net Liability (c)-(d) (Actuarial Shortfall) | 37,326.94 |

The Government has appointed Valuer for Valuation of the Employees' Pension Fund for 3 years (i.e. as on 31.03.2020, 31.03.2021 and 31.03.2022) and the work of valuation is under process.

V. EMPLOYEES DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME:

Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund was last valued as on 31-03- 2019 and the valuation results were as under:

| | Amount in (Rs. crore) |
|-------------------|-----------------------|
| Net Liability (a) | 10,779.34 |
| Less Fund (b) | 27,234.66 |
| Surplus (b)-(a) | 16,455.32 |

Subsequently, a number of amendments have been made by Central Government, vide G.S.R 299(E) dated 28.04.2021 for enhancing the benefits payable under the EDLI Scheme, 1976. These are listed as below:

1. The maximum assurance benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been enhanced to Rs. 7 lakhs from earlier maximum benefits of Rs.6 lakh (Under para 22(3) of the Scheme, the salary multiple shall be 35).
2. The minimum assurance benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 has been fixed as Rs. 2.50 lakh w.e.f. 15.02.2020 (i.e. with effect from the date of lapse of said benefit).
3. The benefit payable under paragraph 22(3) of EDLI Scheme, 1976 shall be extended to such beneficiaries where the deceased employee was a member of the Fund or a provident fund exempted under section 17 of the EPF & MP Act was in employment for a continuous period of 12 months preceding the month in which he died, irrespective of change of establishment during the said period.

4. Under paragraph 28(4) of EDLI Scheme, the power to grant exemption to a class of employees from the provision of the scheme has been delegated to ACC(Zone).

5. The monetary fine payable under paragraph 29 of EDLI Scheme has been enhanced to Rs. Twenty-Five Thousand.

The above amendments were in force for a period of three years from the date of notification i.e. 28.04.2021 and thereafter to be reviewed as per the financial position of the EDLI Fund.

Post above amendments, the projected position of EDLI fund was re-estimated as under: -

| | Amount in (Rs. crore) |
|--|-----------------------|
| Net Liability (a) | 27,099.38 |
| Less Fund (b) | 27,234.66 |
| Revised projected Surplus subsequent to above amendments (b)-(a) | 135.28 |

The Actuarial valuation of EDLI Fund was last valued as on 31.03.2019. Further, no valuation has been conducted. A Valuer has been appointed for the valuation of EDLI Fund as on 31.03.2023 and the valuation is under process.

VI. MEMBERS' ACCOUNTS:

(A) In-operative Accounts: The definition of Inoperative Accounts u/p 72(6) of EPF Scheme, 1952 has been amended w.e.f. 11-11-2016. The amount classified and reported as Inoperative Accounts in the Consolidated Annual Accounts for the year 2017-18 was based on the definition prior to 11-11-2016. Now the closing balances of In-operative accounts are being shown on the basis of system generated report at the end of the Financial Year. The data in respect of Jammu & Kashmir region is not available at the data source. The amount in 'Inoperative Accounts' is Rs. 8,505.23 Crore and No. of such accounts is 21,55,387 as on 31-03-2024.

(B) Irregular payments, and Overpayments:

The overpayment and irregular payments occur when a payment made from the relevant fund is later found to be irregular due to various reasons, such as fraud, errors, mistakes, etc. After detection of Over payment or Irregular payments, the loss is made good by recipients, employees or officials responsible for the same as the case may be. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee and Zonal Fraud Risk Management Committee. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against

the employees of the Organisation as well as outsiders for the recovery in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices.”

As on 31.03.2024, a sum of Rs. 70.81 crore and Rs. 4.34 crore were the closing balance and Rs. 11.27 Crores and 1.56 crores have been recovered during the FY 2023-24 under the heads “Irregular Payment” and “Overpayments” respectively, taken on the basis of figures reported by Field Offices. An amount of Rs. 18.73 Crores has been re-classified as Irregular payment which was earlier classified as Overpayment. Also, some Offices have updated the balances of irregular payment as per the ZFRMC report.

VII. INVESTMENTS:

(A) Investments pending for realisation-

The details of investments showing yet to realise principal amount and interest thereon along with the action taken by EPFO is annexed as **Annexure ‘A’**

(B) Refund of TDS:

EPFO’s Income is exempted under any Tax statute. However, a sum of Rs. 8.37 Crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Dept. during the FY 1997-98 to 2005-06. The matter is being pursued through Tax practitioner to file the claim before Adjudicating Authority to refund the TDS amount along with interest. Fresh Letter of Refund on Erroneously deducted TDS Amount on EPFO's interest Income have been filed with Income Tax Department on 20.07.2022. Subsequent 2nd letter of refund was filed on 13.03.2024 ,3rd reminder refund letter was on 25.04.2024 & 4th reminder refund letter on 02.05.2024. The same is being followed up with Income Tax Dept.

(C) Accrued interest and penal charges claimed for payments received after pay date as on 31.03.2024 is Rs. 1,50,232.92, out of which Rs. 3,174.01 has been recovered and M/s Standard Chartered Bank, Custodian is following up with issuers to recover remaining amounts.

(D) Previous Year Adjustments related to Investment

The ‘Opening Balance - Face Value and Amortized Value of CCIL Margin Money’ of Schedule 18, 20, 22 & 27 of EPF Scheme 1952, EPS Scheme 1995, EDLI Scheme 1995 & Pension and Gratuity Scheme of Annual Accounts for the Year 2020-21 was reported incorrectly Nil in place of following figures in 2020-21:

| CCIL Margin Money | EPF | EPS | EDLI | PNG |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Balance as on 31.03.2020 | 38,07,66,354.07 | 10,11,56,445.93 | 7,54,500.00 | 5,22,700.00 |

The above was carried forward in the year 2021-22 and 2022-23 which has been adjusted in this Financial year in the Schedule 18, 20, 22 & 27 through the head of “Amount invested during the year” corresponding to the CCIL Margin Money Column. A confirmation of the figure in respect of the margin money has also been taken from Debt Portfolio Managers.

(E) The market value of amount invested in ETF as on 31-03-2024 was Rs. 3,68,401.50 crores.

VIII. SUSPENSE ACCOUNTS:

A. Suspense Account (EPF), Schedule No.5 (Current Liabilities and Provision)

| | |
|---|---------------------------|
| Opening Balance | 53,93,28,824.34 |
| Add: Amount remained unclassified during the year | 35,98,00,11,045.10 |
| Total | 36,51,93,39,869.44 |
| Less: Amount cleared during the year | 35,67,82,94,548.17 |
| Closing Balance | 84,10,45,321.27 |

During the FY 2023-24, Out of Rs. 53.93 Crores, Rs. 18.81 Crores of positive balance and Rs. 27.99 crores of negative balances have been reconciled which led to increase in the overall balance under this account to the tune of Rs. 9.17 crores. Further, an amount of Rs. 21,00,06,786.00 received from exempted trusts on cancellation of Exemption which is classified but due to non-availability accounting head this amount has been shown under Suspense account and will be liquidated on generation of VDR in the subsequent year.

B. Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 15 (Current Liabilities and Provision)

| | |
|---|--------------------------|
| Opening Balance | 23,33,74,038.94 |
| Add: Amount remained unclassified during the year | 3,00,41,39,146.44 |
| Total | 3,23,75,13,185.38 |
| Less: Amount cleared during the year | 2,93,62,21,363.93 |
| Closing Balance | 30,12,91,821.45 |

During the FY 2023-24, Out of Rs. 23.33 Crores, Rs. 2.26 Crores of positive balance and Rs. 6.63 crores of negative balances have been reconciled which led to increase in the overall balance under this account to the tune of Rs. 4.37 crores. Further, an amount of Rs. 2.42 crores pertain to remittances which are being paid in the following Financial Year.

C. Suspense Account (EPF), Schedule No. 19 (Current Assets, Loan & Advances)

| | |
|---|--------------------------|
| Opening Balance | 113,26,29,174.72 |
| Add: Amount remained unclassified during the year | 15,01,77,655.57 |
| Total | 1,28,28,06,830.29 |
| Less: Amount cleared during the year | 49,17,82,459.01 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Closing Balance | 79,10,24,371.28 |
|------------------------|------------------------|

During the FY 2023-24, Out of Rs. 113.26 Crores, Rs 36.56 Crores of positive balance and Rs. 2.40 crores of negative balances have been reconciled which led to overall decrease in the balance under this account to the tune of Rs. 34.16 crores.

D. Suspense Account (Adm. Fund), Schedule No. 28 (Current Assets, Loan & Advances

| | |
|---|------------------------|
| Opening Balance | 18,49,96,427.30 |
| Add: Amount remained unclassified during the year | 5,88,57,044.68 |
| Total | 24,38,53,471.98 |
| Less: Amount cleared during the year | 8,46,24,681.01 |
| Closing Balance | 15,92,28,790.97 |

During the FY 2023-24, Out of Rs. 18.50 Crores, Rs 4.27 Crores of positive balance and Rs. 1.70 crores of negative balances have been reconciled which led to overall decrease in the balance under this account to the tune of Rs. 2.57 crores.

IX (i)-PMRPY and PMPRPY:

PMRPY and PMPRPY Schemes are flagship incentive schemes of Government of India for the generation of new employment in private sector. These schemes were launched during October, 2016 for which, the Government provides grant-in-aid through the Bank Account of EPFO at Indian Bank for this purpose.

PMRPY Scheme provides for reduction of employer's responsibility of pension contribution with respect to newly inducted Provident Fund members. EPFO directly reimbursed the deducted amount from the above-mentioned bank Account.

Government of India will pay full employer's contribution (EPF & EPS both) as admissible from time to time w.e.f. 01-04-2018 for a period of three years to the new employees and to the existing beneficiaries for their remaining period of three years through EPFO. The terminal date of registration of beneficiaries through establishment is 31st March, 2019 (amendment in PMRPY was done by Government through Office Memorandum DGE-U-13015/01/2016-MP(G) dated 12-04-2018). PMPRPY scheme designated for textile sector employees had been discontinued and balance lying in account has been transferred to PMRPY scheme account.

Interest earned on savings Bank Accounts maintained for PMRPY and PMPRPY has been returned back to Government of India, while the unutilized grant-in-aid funds of both the schemes are lying

in PMRPY and PMPRPY accounts separately opened for this purpose in Indian Bank. The details of the accounts are mentioned as under: -

| S.No | Details of PMRPY | | |
|------|--|----------|------------------|
| 1 | Opening Balance (01.04.2023) | | 48,723.00 |
| | Add | | |
| 2 | Fund received from Govt. of India (MoL&E): Fund Received from Govt. of India (MoL&E) through TSA | 00 | |
| 3 | Interest Credited by Bank | 1,357.00 | 1,357.00 |
| | Less | | |
| 4 | Upfront benefits Debited from PMRPY A/c to Indian bank collection A/c | 0.00 | 0.00 |
| | Closing Balance | | 50,080.00 |

| S.No | Details of PMPRPY | | |
|------|------------------------------|------|--------------|
| 1 | Opening Balance (01.04.2023) | | 46.00 |
| | Add | | |
| 2 | Interest Credited by Bank | 0.00 | 0.00 |
| | Less | | |
| 3 | Subsidy to employers | 0.00 | |
| | Closing Balance | | 46.00 |

IX (ii)- PMGKY:

The Government of India on 26.03.2020 announced relief package under PMGKY for the poor to help them fight the battle against Corona Virus Pandemic. As part of the said package, the Central Govt. proposes to pay 24% (employees and employers share under EPF Act) of the monthly wages into EPF accounts initially for the next three months i.e March 2020, April 2020, May 2020. The scheme was further extended for next three months i.e June 2020 to August 2020.

| S.No. | Details of PMGKY | | |
|-------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Opening Balance (01.04.2023) | | 39,42,070.00 |
| | Add | | |
| 2 | Interest Credited by Bank | 1,11,344.00 | 1,11,344.00 |
| | Less | | |
| 3 | Subsidy to employers | 0.00 | 0.00 |
| | Closing Balance | | 40,53,414.00 |

IX (iii)- ABRY:

ABRY was launched on October 1, 2020 to incentivise employers for creation of new employment, restoration of loss of employment through EPFO. Under this scheme Central Govt. will credit the employees and employers share, under different conditions for the period of two years.

| S.No | Details of ABRY | | |
|------|---|---|---------------------------|
| 1 | Opening Balance (01.04.2023) | | 3,43,47,49,085.00 |
| | Add | | |
| 2 | Fund received from Govt. of India (MoL&E) Fund received from TSA A/c | 12,21,05,74,091.00 | |
| 3 | Interest Credited by Bank | 36,49,627.00 | 12,21,42,23,718.00 |
| | Less | | |
| 4 | Subsidy to employers Upfront benefits Debited from ABRY Scheme A/c to SBI Investment A/c 5 Upfront benefits Debited from ABRY Scheme A/c to SBI Investment A/c 11 | 10,81,08,84,060.00 4,73,33,11,512.00 | 15,54,41,95,598.00 |
| 5 | Erroneous debit from account (NEFT Charges) | 26.00 | |
| | Closing Balance | | 10,47,77,205.00 |

X- Centralised Bank Collection Accounts:

EPFO has moved to Centralized Receipt of statutory contributions in Single Bank Account in Multiple Banks, during December, 2016 in place of earlier system of receipt in decentralized Five Collection Accounts of all the Regional/Sub-Regional Offices. Centralized Receipt of fund is being treated as under:

- i. Erroneous Credit against duplicate TRRN is liability, which will be refunded in future. For accounting convenience, it is shown in PF Scheme Account.
- ii. Credited un-reconciled amount is treated as liability in EPF Scheme Account. Once the amount is reconciled it will be transferred to respective accounts as contribution.
- iii. Credits by banks for testing of transaction are treated as Misc. Income in Income and Expenditure Account. Similarly bank charges are shown in Income & Expenditure Account of EPF Scheme.
- iv. Closing balances of Single Collection Accounts is shown as bank Balance of EPF Scheme (After adjustment of transactions of other Schemes and Administration Accounts).

XI. Fixed Assets (Schedule No.24)

The details of land not registered in the name of Employees' Provident Fund Organisation is as under: -

| S. No. | Name of Zone/Office | Details of Land |
|--------|--|---|
| 1 | Zonal Office Telangana (Hyderabad) | Sy. No. 276 / 2 at Allwyn colony, Kukatpally, GO MS No. 166 dated 17.06.2016. Allwyn Employees Housing committee filed WP4896/2015 in the honourable High court of Telangana stating that the land was already registered in the name of Allwyn colony employee society. Communication is in progress with the concerned agency for refund of Rs. 8,01,26,300/-. Zonal Office has issued letters to the concerned agency for refund of Rs. 8,01,26,300/- vide letters dated 11.02.2022, 13.07.2022, 21.11.2022 and 19.04.2023. A team of officers, constituted by ZO met the Principal Secretary, Revenue, Government of Telangana on 24.06.2023 and requested to allot alternative land at Patancheru village or in the Sangareddy for RO, Patancheru office building. The Principal Secretary assured to look into the matter positively and forwarded a letter to CCLA, Telangana for examining the request of RO, Kukatpally. RO, Kukatpally has once again requested the Principal Secretary Revenue & CCLA, Government of Telangana for appointment to discuss the matter for early disposal of the issue. Further ZO has sent a mail dated 28.02.2024 requesting Head office for taking legal action in this matter. |
| 2 | Head Office, New Delhi. | The built-up office space of the EPFO Head Office, 14 Bhikaji Cama Place, HUDCO Vishala Building, was purchased from HUDCO on a lease basis. However, to date, the lease has not been registered in the name of EPFO. The book value of this building as of 31.03.2024 is Rs. 18,88,03,321/- after depreciation. The NOC from L&DO has not yet been received, so HUDCO has not yet leased it in the name of EPFO. |

XII. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f.1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, inter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-ennial basis.

The current status of the deficit/surplus in the Fund as on 31.03.2024 based on the last Actuarial Valuation as on 31.03.2019 is tabulated below:

| (Amount in Rs. Crores) | | |
|------------------------|--|------------------|
| (i) | Pension | 11,406.84 |
| (ii) | NPS (Family Pension in death cases) | 558.34 |
| (iii) | Gratuity | 1058.37 |
| (iv) | Total liabilities (i) + (ii)+(iii) | 13,023.55 |
| (v) | Available balance as on 31.03.2019 | 8,305.95 |
| (vi) | Deficit (iv) – (v) as on 31.03.2019 | 4,717.60 |
| (vii) | Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2019-20 | 1,316.01 |
| (viii) | Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2020-21 | 1,419.88 |
| (ix) | Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2021-22 | 1,630.69 |
| (x) | Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2023-24 | 2,285.55 |
| (xi) | Amount transferred to Pension-cum-Gratuity during the FY 2023-24 | 2,672.70 |
| (xii) | Deficit 31.03.2024 (vi-vii-viii-ix-x-xi) | (-)4,607.23 |

(Sanjay Pandey)
FA & CAO

(Neelam Shami Rao)
Central P.F. Commissioner

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF OUTSTANDING DEFAULT OF INTEREST & MATURITY AS ON 31st MARCH, 2024

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|--|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | M/s Reliance Capital | Rs. 15,00,00,00,000 | Rs. 10,18,63,83,561.65 |
| Present Status | | | |
| <p>i. EPFO has an investment of Rs 2,500 Crores in Reliance Capital Ltd (RCL).</p> <p>ii. The Reliance Capital Ltd defaulted on its financial obligation and downgraded to default rating in October 2019. RBI vide notification dated 29.11.2021 superseded the Board of Directors of M/s Reliance Capital Ltd (RCL) in view of the defaults by RCL in meeting the various payment obligations to its creditors and serious governance concerns. Shri Nageswar Rao Y (Ex Executive Director, Bank of Maharashtra) has been appointed as the Administrator of the company under Section 45-IE (2) of the RBI Act.</p> <p>iii. The Reserve Bank on December 02, 2021 filed an application for initiation of Corporate Insolvency Resolution Process (“CIRP”) against Reliance Capital Ltd., under Section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), at the Mumbai Bench of the Hon’ble National Company Law Tribunal. Pursuant to the order dated December 6, 2021 of the NCLT, CIRP was initiated against RCL. EPFO is on the Committee of Creditors (CoC) of RCL as one of the major financial creditors of the corporate debtor. The other major Public Financial institutions on the CoC is the LIC of India.</p> <p>iv. The CoC obtained the valuation of the corporate debtor through two independent Valuers and invited bids for resolution of the Corporate Debtor as a going concern. The Average Liquidation Value assessed was Rs.13,159 crores.</p> <p>v. The Debenture Trustee filed the statement of claim to the Administrator on behalf of all the debenture holders. The total admitted claims of all the lenders is about Rs 25,435 Crores. The amount of admitted claim in respect of EPFO is Rs. 3308.67 Cr (Rs 2,500 Cr as Principal amount).</p> <p>vi. CoC had approved the Expression of Interest (EOI) for resolution of RCL which provides for the Resolution of the entity as a whole or in clusters for maximizing the value to the CoC.</p> <p>vii. Thereafter, the RFRP was floated as part of the Challenge Mechanism and the last date for accepting the proposals from the PRAs was fixed on 30.06.2022.</p> <p>viii. In the challenge held on 22nd December 2022, the two highest financial bids submitted by the resolution applicants were of Rs 8,640 Crore by Torrent group and Rs 8,110 Crore by the Hinduja group (through IndusInd International Holdings Limited (IIHL)). However, at the time of submission of signed resolution plan, the Hinduja group revised its bid amount to Rs 9,000 Crore.</p> <p>ix. The Torrent group filed a case in NCLT with the plea that the CoC shall not be allowed to consider the revised bid value submitted by the Hinduja group outside the challenge mechanism. The NCLT decided in favor of the Torrent group and instructed CoC to put the Resolution Plans with the financial bids as submitted in the Challenge Mechanism to vote.</p> <p>x. In the second challenge mechanism, the highest NPV received from the highest bidder is INR 9,650 Crores/- (Rupees Nine thousand six hundred and fifty crores). Only one PRA i.e. IIHL,</p> | | | |

participated in the second challenge mechanism.

- xi. After the acceptance by CoC, NCLT vide its order dated 27th February 2024 has approved the Resolution Plan submitted by IIHL. However, the Resolution Plan has not been implemented as on 31.03.2024.

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|--------|--|---|-------------------------------|
| 2. | M/s Infrastructure Leasing & Financial Service | Rs. 2,09,77,90,967.85 | Rs. 2,22,10,79,238.92 |

Present Status:

- i. EPFO has exposure to the Secured debentures of Infrastructure Leasing and Financial Services Limited (IL & FS Limited).
- ii. The government superseded the IL&FS board under section 241(2) of the New Companies Act, 2013 in Oct 2018. This section enables supersession of a company's board to prevent it from further mismanagement in order to protect public interest.
- iii. Application has been filed before NCLAT by Debenture Trustee on behalf of all debenture holders, including EPFO on 8th February 2019. Vide the order dated 12.03.2020 the Hon'ble NCLAT has accepted the resolution mechanism, including a distribution scheme, of the corporate debtor proposed by the Union of India while simultaneously rejecting the contention of some of the creditors that the resolution must be made as per scheme of Section 53 IBC.
- iv. Order dated 12.03.2020 has been challenged in SLP Dy No 41253/2019 and SLP Dy no 13094/2020 before the Hon'ble Supreme Court by Hindustan Zinc Employees Contributory Fund Trust. In consequence of the same, the NCLAT has declined to pass interlocutory orders as evidenced from order dated 28.09.2020.
- v. In the aforesaid matter, applications for Impleadment have been filed in Civil Appeal No. 496-497 of 2021 and Civil Appeal No. 2989-2990 of 2020. The main matters are pending before the Hon'ble Supreme Court and have not been listed for a while. Last time it was listed on 05.12.2023 but it could not reach due to paucity of time. The SC website is showing 13.05.2024 as the next date of listing but it is only tentative and not final.
- vi. Principal amount Rs. 12.59 Cr has been received/confirmed by the custodian on dated 20-10-2023.

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|--------|---|---|-------------------------------|
| 3. | M/s Uttar Pradesh Financial Corporation | NIL | Rs. 70.07 Cr* |

Present Status:

- i. EPFO invested in bonds /securities issued by M/s UPFC having face value of Rs. 25 crores. The issuer defaulted in payment of interest since 2004.
- ii. To recover the dues writ petition were filed at the Hon'ble High Court at Lucknow. The Hon'ble High Court issued an interim order on 22.02.2011 directing M/s UPFC to pay the principal amount to the petitioner within a maximum period of six months.
- iii. Due to failure of UPFC to comply with the interim order of Hon'ble High Court of U.P. (Lucknow Bench) for payment of the principal amount, Contempt petition was filed in the High Court by RPF, SRO, Lucknow vide Writ petition No. 1760.
- iv. The Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad has passed the judgement in favour of EPFO vide order dated 27.07.2018.
- v. Hon'ble HC judgement states that:

"..... that the principal amount shall be paid to the petitioner within a month from today and within three months thereafter the amount of interest shall also be paid to the petitioner in terms of the scheme framed by Hon'ble Supreme Court in its judgement and order dated 01.02.2018 passed in Civil Appeal No.1467 of 2018."

Hon'ble SC judgement and order dated 01.02.2018 passed in Civil Appeal No. 1467 of 2018 states:

"In case the payments are not made within the stipulated period, the respondents shall be entitled to interest at the rate of 18% and the officer(s) responsible for the delay will be personally liable for the same."
- vi. In compliance with the direction of the order of Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Allahabad in The Central Board of Trustee EPF Vs. State of U.P. (W.P. No.1760), UPFC has paid the Principal amount of Rs.25 crore on 27.08.2018.
- vii. Apart from that M/s UPFC has paid an amount of Rs.27,60,00,000/- on 05.12.2018 against the interest amount claimed by EPFO, which was Rs 54,33,03,987.16 as on 27.10.2018.
- viii. EPFO had again requested to the Principal Secretary, Dept. of Infrastructure & Industrial Development, State of U.P., Civil Secretariat, Lucknow to issue necessary direction for early payment of remaining overdue interest amount.
- ix. The matter is also being taken up with the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, for his intervention to issue necessary directions to the issuer to remit the outstanding dues to the Central Board, EPF.
- x. Further Legal action is being considered for non-compliance of order of Hon'ble High Court.

*** Indicated due amount includes accrued interest as per order Hon'ble High Court of Allahabad**

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|--------|---|---|-------------------------------|
| 4. | M/s Richard & Cruddas (RCL) (Since March, 2002) | | Rs. 4,47,68,281.35 |

Present Status:

- i. EPFO had taken decision to file writ petition to recover the dues. EPFO had written a letter to SCB on 25.07.2014 to collect the papers from the advocate showing that EPFO has filed its claim in BIFR case No. 509 of 1992 in respect of Richardson & Cruddas Limited (RCL) for the entire dues to be recovered.
- ii. The matter has been taken up with Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises to ensure the payment of the delayed payment dues vide our letter dated 19-09-2016 and dated 17-03-2017.
- iii. The matter has also been taken up with Chairman and Managing Director (R&CL) to take necessary action for payment of outstanding interest at the earliest vide letter dated 22-05-2017 & letter 09-11-2017 & DO letter dated 31-05-2018 to Joint Secretary, Ministry of Heavy Industries. A reminder Letter has also been sent to Joint Secretary, Department of Heavy Industries, Ministry of Heavy Industries, Govt. of India dated 05-04-2019 with the request to issue necessary direction for early payment of the outstanding overdue interest amount, SCB, Custodian has been directed to take follow up action.
- iv. Further, a letter dated 03 March, 2022 was sent to Chairman & Managing Director, Richardson & Cruddas Ltd. to pay the outstanding overdue interest amount without any further delay and also to Joint Secretary, Deptt. of Heavy industries, Ministry of Heavy Industries with request to look into the matter and issue appropriate directions for early payment and settlement of the outstanding amounts.
- v. The matter is referred to EPFO Panel advocate through the Legal Division as to the legal remedies available so that necessary action can be taken to recover the amount due from the said company.
- vi. It has been intimated by the Panel advocate that proceedings u/s 9 of the Insolvency and Bankruptcy Code is ongoing against M/s Richardson and Cruddas Ltd. (RCL) before the Hon'ble NCLT, Mumbai Bench titled as Chandra Srinivasulu Vs Richardson & Cruddas (1972) Limited [C.P.(IB)/434(MB)/2021].
- vii. The matter is being followed through the EPFO Legal Division.

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|---|---|---|-------------------------------|
| 5. | HMT Machine Tools Limited (HMT) BIFR Case. (Since,1996) | Rs. 3,82,00,285.42 | |
| <p>Present Status:</p> <p>i. EPFO had invested Rs. 25 Crores in HMT Bonds in July, 1994 due for maturity in 1999. HMT had failed in payment of interest since 1st January, 1996. Accordingly, EPFO took the matter through the Secretary, Ministry of Labour with the Secretary, Ministry of Heavy Industries on 31.12.1996. But despite regular reminders HMT failed to make payment of its dues.</p> <p>ii. In order to recover dues, EPFO, in its 150th CBT meeting held on 06.03.1999, granted permission to initiate legal action against HMT Ltd. Accordingly, two suits were filed in City Civil Court Bangalore on 29.06.1999 and 29.10.2000 to recover the principal and interest amount due from the issuer. The Hon'ble City Civil Court Bangalore on 19.08.2003 referred the case to Committee on Disputes (COD). Subsequent upon COD decision, HMT remitted the sum of Rs. 64,72,84,922/- on 04.12.2004.</p> <p>iii. As per COD decision, HMT was required to pay interest at rate declared and paid to subscribers by EPFO, up to date of final settlement. The amount thus payable by HMT as on 5.12.2004 was Rs. 65,65,16,405.07. Accordingly, HMT made short payment of Rs. 92,31,483.07.</p> <p>iv. HMT Ltd. was advised by EPFO letter no. SSB/PMS/4575 dated 08.12.2004 to remit the difference amount, but HMT did not respond to EPFO communication as well as further reminders sent.</p> <p>v. Recovery suits were filed in City Civil Court Bangalore. HMT has filed an application seeking stay further proceedings invoking section 22 of SICA. The matter was pursued through Regional PF Office Peenya.</p> <p>vi. Suit filed by CBT, EPF has been dismissed by the Hon'ble XXX Addl. City Civil & Sessions Judge, Bengaluru vide orders dated 20/03/2020.</p> <p>vii. The Hon. XXX Addl. City Civil & Sessions Judge, Bengaluru while dismissing the suit observed that: <i>"Both the suits in O. S. No. 4974/1999 and O.S. No. 7157/2000 are held not maintainable in view of the Sanctioned Scheme dated 12-06-2008 passed by the Hon. BIFR in case No. 501/2006 directing the plaintiff to waive of the interest on the suit claims and in view of thebar under Sec. 26 of the Sick Industrial Companies Act, 1985.</i> <i>Accordingly, both these suits filed by the plaintiff are hereby dismissed with costs. Draw decree accordingly."</i></p> <p>viii. Further legal action in the matter is under consideration.</p> | | | |

| S. No. | Name of Issuer | Principal (Face Value of Security) in default | Interest due but not received |
|---------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| 6. | M/s P.S.I.D.C. | Rs. 2,26,00,000 | Rs. 1,10,49,816.69 |

Present Status:

- i. A D.O Letter was sent to Chairman, PSIDC on 19-04-2016 to remit all the pending due payments to CBT, EPF. Further letter dated 16.08.2016, 30.12.2016, 15.03.2017, 13.07.2017, 16.10.2019, 13.12.2019 and 20.02.2020 were issued for payment of outstanding interest and maturity amount.
- ii. Another D.O Letter dated 18-03- 2020 issued followed by letter dated 03.03.2022 in which Addl. CPFC Chandigarh was requested to follow up the said matter with PSIDC to expedite the payments of dues.
- iii. Letter dated 20.05.2021 has been sent by the Custodian SCB to PSIDC for non-receipt of interest and redemption payments.
- iv. A letter dated 03.03.2022 was sent to MD, PSIDC to remit the amount due to EPFO at the earliest. In response to our letter dated 03.03.2022, a letter dated 01.04.2022 is received from M/s PSIDC. In the said letter, M/s PSIDC offered to make settlement of dues for the principal amount only on receipt of funds from the State Government.
- v. The matter is also being taken up with the Chief Secretary, Government of Punjab, for his intervention to issue necessary directions to the issuer to remit the outstanding dues to the Central Board, EPF.

Separate Audit Report of the
Comptroller & Auditor General of
India on the Accounts of Employees'
Provident Fund Organisation for the
year ended 31 March 2024

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organization for the year ended
31st March 2024**

| Observation of CAG | Reply of EPFO |
|--|---|
| <p>We have audited the financial statements of Employees' Provident Fund Organization (EPFO), which comprise the statement of financial position as at 31st March 2024 and the Income & Expenditure Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies, under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of units/branches of the AB.</p> | <p>1. No Comments, being factual.</p> |
| <p>2. This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.</p> | <p>2. No Comments, being factual.</p> |
| <p>3. In our opinion, except for the effects of the matter described in the <i>Basis for Qualified Opinion</i> section of our report, the accompanying financial statements of EPFO, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a true and fair view of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2024, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.</p> | <p>3. No Comments, being factual.</p> |
| <p>4. Basis for Qualified Opinion</p> <ul style="list-style-type: none"> The EPFO is expected to carry out annual actuarial valuation for Employee Pension Scheme as per Para 32 of the scheme. The last actuarial valuation conducted was for the year 2019-20 which indicated an actuarial shortfall of ₹37,326.94 crores. The EPFO has not made any provision against the | <p>4. Basis for Qualified Opinion</p> <ul style="list-style-type: none"> Actuarial Valuation of Employees Pension Scheme Para 32 of the EPS scheme dealing with Valuation of the Employees' Pension Fund provides – "(1) The Central Government shall have an annual valuation of the Employees' Pension Fund made by a Valuer appointed by it." Thus, it is within the Central government's domain to |

shortfall based on annual actuarial valuation in 2023-2024.

appoint a valuer.

The Government has appointed a Valuer for the Valuation of the Employees' Pension Fund for 3 years (i.e. as on 31.03.2020, 31.03.2021 and 31.03.2022). The draft 24th Actuarial Valuation Report of Employees' Pension Fund as on 31st March, 2020 (2019-20) has been submitted by the Valuer. After examination, the same has been forwarded to the Government and the same has been approved.

Actuarial Valuation of Employees' Pension Fund as on 31-03-2021 and 31-03-2022 is under process. Further, the RFP for the appointment of a valuer for the actuarial valuation of the Employees' Pension Fund as on 31-03-2023, 31-03-2024, and 31-03-2025 has been approved by the Government and is under process.

As regards the issue of making a provision against actuarial shortfall it is to clarify that the Para 32 of the EPS scheme dealing with Actuarial Valuation of the Employees' Pension Fund provides “(2) *At any time, when the Employees' Pension Fund so permits the Central Government may alter the rate of contributions payable under this Scheme or the scale of any benefit admissible under this Scheme or the period for which such benefit may be given.*”

There is no provision in the scheme for the provisioning of actuarial deficits. However, as per Para 32 of EPS-1995, the Central Government has the authority to alter the contribution rates, the scale of benefits, or the duration for which benefits are payable. Actuarial estimates thus assist in decision-making, as referred to in Para 32(2) above. These valuations are meant to guide policy decisions and address potential future cash flow challenges. They cannot be equated with accounting estimates and therefore cannot be treated as basis for provisions accounting.

Further, EPFO prepares its accounts in accordance with the approved Common Format of Accounts, as specified by the Central government after consultation with the C&AG. The format, approved by the CAG,

- Rs.9217 crores were transferred during 2020-21 to 2023-24 to Staff Pension-Cum- Gratuity Fund from EPF Administrative account, based on actuarial shortfall of ₹4717.60 crore as on 31.03.2019.

However, this does not reflect correct value of deficit or surplus as the required actuarial valuation was not carried out in 2023-24.

- EPFO informed that the accounting policy for investments in Exchange Traded Funds, as approved by CBT in its 224th meeting in Feb 2019, has not yet been finalized by the Ministry.

- EPFO did not maintain any data relating to penal interest payable as per Para 72(7) of the EPF Scheme 1952 for delay in settlement of claims within prescribed timeline of 20 days.

does not require recognition of actuarial shortfalls or surpluses in the financial statements. Moreover, none of the Accounting Standards issued by ICAI, Indian Government Accounting Standards (IGAS), or Indian Government Financial Reporting Standards (IGFRS) appear to provide guidance on this issue.

Thus, the treatment suggested for provisioning of actuarial shortfall, in our view, is not stipulated under any Accounting Convention nor has the same been envisioned in our regulating Act & Schemes.

- **Actuarial valuation of Staff Pension and Gratuity Fund :**

It is an internal fund of EPFO. There is no statutory provision regarding its administration. All the Administrative expenses of EPFO including Retirement Benefits to EPFO staff is met from our EPF Administration Fund. The transfer made to cover the shortfall in the Staff Pension-cum-Gratuity Fund was also facilitated by the revenue surplus in the EPF Administration Account and was carried out in accordance with the approved policy.

Presently actuary has been appointed for the actuarial valuation of Staff Pension and Gratuity Fund. The report is awaited.

- **Accounting Policy of ETF**

Pending finalization of ETF accounting policy for investments in Exchange Traded Funds, EPFO has been accounting for the investments at cost price since they are held for long term. Thus, EPFO is in compliance with Accounting standard 13. Further, a policy on ETF redemption and its accounting has been forwarded by MOL&E to C&AG for comments.

- **Penal Interest as per Para 72(7)**

It is clarified, that Para 72(7) is an administrative provision, which holds the Commissioner liable for delays in claim settlement—along with associated penal interest—only if such delay occurs without sufficient

| | |
|---|--|
| | cause. Furthermore, no such recoveries have been reported and hence, none accounted. |
| <p>5. We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.</p> | 5. No Comments, being factual. |
| <p>6. Responsibilities of Management for the financial statements The Central Board of Trustees is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.</p> | 6. No Comments, being factual. |
| <p>7. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/ orders/ circulars etc.</p> | 7. No Comments, being factual. |

For and on behalf of C&AG of India

**Sd/-
(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure)**

**Place: New Delhi
Date: 01.10.2025**

A. Balance Sheet**A.1. Fixed Assets.****A.1.1. Overstatement of investment in Public Account.**

The figures of Public Account appearing in Schedules 20 and 22 of annual accounts of EPFO for the year 2023-24 do not match with the figures provided by Pay and Accounts office of the Ministry of Labour and Employment as detailed below:

(Amount in ₹)

| | As per accounts | As per Pay and Accounts office | Difference |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| SCHEDULE No. 20 | | | |
| Employees' Pension Fund -Investments | | | |
| Public Account | 22,65,30,85,36,012.86 | 22,65,30,85,52,000.00 | -15,987.14 |
| SCHEDULE No. 22 | | | |
| Employees' Deposit Linked Insurance Scheme -Investments | | | |
| Public Account | 1,54,04,09,30,388.14 | 1,5390,05,35,000.00 | 14,03,95,388.14 |

Thus, as per above details the balance in Public Account investment is overstated by Rs.14.03 crore. Difference needs to be reconciled.

A. Balance Sheet**A.1. Fixed Assets.****A.1.1. Overstatement of investment in Public Account.**

A detailed chronology along with the current factual position is presented as under—

Differences between the closing balance of EPS-95 in the Public Account of India, as reflected in the Union Government Finance Accounts and the Annual Accounts of EPFO, have persisted since FY 1972-73, i.e., from the inception of EFPS-71 (the predecessor to EPS-95). At that time, the variance stood at 40,928 (in Rs. thousands). Similarly, discrepancies in the closing balance of EDLI-76 in the Public Account can be traced back at least to FY 1982-83, amounting to 436,653 (in Rs. thousands).

In the year 2009, the exercise to reconcile the difference in figures was commenced. As on 31.03.2014, the unreconciled differences in respect of EPS-95 and EDLI-76 stood at Rs. 129.98 Cr and (–) Rs. 144.01 Cr respectively. Following a series of meetings and extensive correspondence between MoL&E and EPFO, an amount of Rs. 129.98 crore was reconciled in 2015 through a transfer entry from EPS-95 to EDLI-76, effected by MoL&E and the amount remaining unpaid was Rs. 14.04 crore.

In this regard, EPFO, vide its letter dated 27.04.2018, conveyed to MoL&E that the adjustments made in 2015 were carried out in the accounts of PAO, MoL&E and not in the accounts of EPFO. This established that the figures maintained by EPFO were correct, and accordingly, the residual difference of (–) Rs. 14.04 crore in respect of EDLI-76 also required adjustment in the books of MoL&E. However, the said reconciliation in respect of EDLI-76 is yet to be done by MoL&E.

Thus, the receivable in our Books of Accounts are totally justified and there is no overstatement on this account. EPFO shall take up the issue of pending transfer from MoL&E again.

| B. Accounting Policies B.1 Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule-45) | B. Accounting Policies B.1 Contingent Liabilities and Notes on Accounts (Schedule-45) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| B.1.1 Delay in valuation of EPF Schemes | B.1.1 Delay in valuation of EPF Schemes | | | | | | | | | | | | |
| <p>There are three Schemes in EPFO viz. Employee Pension Scheme, Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme, and Staff Pension and Gratuity Scheme which require actuary valuation due to their nature of liabilities payable in future. However, the prescribed actuary valuation of these schemes are not being carried out by EPFO as detailed below:</p> | <p>Already elaborated in comments to Point 4 of the SAR dealing with basis for qualified opinion.</p> | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="91 494 347 630">Name of Scheme</th> <th data-bbox="347 494 728 630">Actuary valuation prescribed and conducted.</th> <th data-bbox="728 494 1198 630">Audit comments.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="91 630 347 909">Employee Pension Scheme</td> <td data-bbox="347 630 728 909"> <p>As per para 32 of the Scheme Annual valuation is prescribed.</p> <p>Last valuation conducted in 2019-20, present valuation is on-going since Jan 2023.</p> </td> <td data-bbox="728 630 1198 909"> <p>Prescribed annual valuation not conducted, and impact of deficiency of ₹37,326.94 crore reported in previous valuation (2019-20) not carried into accounts by making a provision.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="91 909 347 1260">Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme,</td> <td data-bbox="347 909 728 1260"> <p>Not prescribed in the Scheme.</p> <p>Last valuation carried out in 2019-20. Latest actuary valuation conducted in July 2024 and modifications carried out in Scheme on basis of the report.</p> </td> <td data-bbox="728 909 1198 1260"> <p>EPFO should take up with Government to prescribe the frequency of actuary valuation.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="91 1260 347 1436">Staff Pension and Gratuity Scheme</td> <td data-bbox="347 1260 728 1436"> <p>CBT EPFO in its 174th meeting held on 23.02.2006 had recommended for Biennial</p> </td> <td data-bbox="728 1260 1198 1436"> <p>Prescribed biennial valuation not conducted.</p> <p>On basis of deficiency of ₹4,717.60 crore reported during</p> </td> </tr> </tbody> </table> | Name of Scheme | Actuary valuation prescribed and conducted. | Audit comments. | Employee Pension Scheme | <p>As per para 32 of the Scheme Annual valuation is prescribed.</p> <p>Last valuation conducted in 2019-20, present valuation is on-going since Jan 2023.</p> | <p>Prescribed annual valuation not conducted, and impact of deficiency of ₹37,326.94 crore reported in previous valuation (2019-20) not carried into accounts by making a provision.</p> | Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme, | <p>Not prescribed in the Scheme.</p> <p>Last valuation carried out in 2019-20. Latest actuary valuation conducted in July 2024 and modifications carried out in Scheme on basis of the report.</p> | <p>EPFO should take up with Government to prescribe the frequency of actuary valuation.</p> | Staff Pension and Gratuity Scheme | <p>CBT EPFO in its 174th meeting held on 23.02.2006 had recommended for Biennial</p> | <p>Prescribed biennial valuation not conducted.</p> <p>On basis of deficiency of ₹4,717.60 crore reported during</p> | |
| Name of Scheme | Actuary valuation prescribed and conducted. | Audit comments. | | | | | | | | | | | |
| Employee Pension Scheme | <p>As per para 32 of the Scheme Annual valuation is prescribed.</p> <p>Last valuation conducted in 2019-20, present valuation is on-going since Jan 2023.</p> | <p>Prescribed annual valuation not conducted, and impact of deficiency of ₹37,326.94 crore reported in previous valuation (2019-20) not carried into accounts by making a provision.</p> | | | | | | | | | | | |
| Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme, | <p>Not prescribed in the Scheme.</p> <p>Last valuation carried out in 2019-20. Latest actuary valuation conducted in July 2024 and modifications carried out in Scheme on basis of the report.</p> | <p>EPFO should take up with Government to prescribe the frequency of actuary valuation.</p> | | | | | | | | | | | |
| Staff Pension and Gratuity Scheme | <p>CBT EPFO in its 174th meeting held on 23.02.2006 had recommended for Biennial</p> | <p>Prescribed biennial valuation not conducted.</p> <p>On basis of deficiency of ₹4,717.60 crore reported during</p> | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>valuation.</p> <p>Last valuation conducted in 2019-20 present valuation is on-going since Jan 2023.</p> | <p>valuation of the Scheme in 2019-20 excess amount was transferred into this account which has resulted in surplus balance of ₹4,607.23 crore in this account.</p> |
|--|---|

i. Employee Pension Scheme:

EPFO replied that the matter of actuarial shortfall has been regularly reported in our annual reports and the notes to accounts without giving any accounting treatment in the books of accounts. There is no provision in the scheme for the provisioning of actuarial deficits. However, as per Para 32 of EPS-1995, the Central Government has the authority to alter the contribution rates, the scale of benefits, or the duration for which benefits are payable. For instance, there was an actuarial surplus in the fund during the years 1996 to 2000. Accordingly, the Central Government, considering the surplus, extended dearness relief to existing beneficiaries. From the year 2001, the EPS fund began to show an actuarial shortfall. In view of this deficit, several alterations were made to EPS-1995 in the year 2014 to manage the actuarial imbalance. As a result, the fund became surplus in 2015. The above clarification seeks to highlight the fact that there is no Accounting implication for the Actuarial deficit or surplus, rather it is a management tool to assess fund sustainability and to implement any policy changes, if required.

Reply of EPFO is not acceptable as Audit has proposed for creation of provision for shortfall estimated by actuarial calculations as the provision appearing in accounts would highlight the shortfall adequately. This would be a reminder for the Government (Ministry) to take necessary steps for meeting such shortfall.

ii. Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme

EPFO has replied that frequency of valuation of EDLI scheme has not been prescribed by Government. However latest valuation has been carried out in July 2024 and modifications in the Scheme have been approved by Central Board of Trustees in its 237th meeting.

Reply of EPFO is not satisfactory as it should take up with Government to prescribe the frequency of actuary valuation of the Scheme to assess the future

i. Employee Pension Scheme

Already elaborated in comments to Point 4 of the SAR dealing with basis for qualified opinion .

ii. Employees Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme

The suggestion of C&AG for periodic Actuarial Valuation of the EDLI Fund will be taken up with the Government of India.

| | |
|---|---|
| <p>liabilities on a periodic basis.</p> <p>iii. Staff Pension and Gratuity Scheme EPFO replied that the All the Administrative expenses of EPFO including Retirement Benefits to EPFO staff is met from the EPF Administration Fund. The transfer made to cover the shortfall in the Staff Pension-cum-Gratuity Fund was also facilitated by the revenue surplus in the EPF Administration Account and was carried out in accordance with the approved policy. However, a similar transfer is not possible for actuarial shortfall under the EPS, as the scheme does not have a surplus or equity element. Reply of EPFO is not acceptable as Audit observation here highlights the fact that the actuarial valuation of Staff Pension cum Gratuity Fund as prescribed by CBT EPFO has not been carried out and transfer has been made on ad-hoc basis only.</p> | <p>iii. Staff Pension and Gratuity Scheme Actuary has been appointed for the actuarial valuation of Staff Pension and Gratuity Fund. The report is awaited.</p> |
| <p>C General</p> <p>C.1 The EPFO has not maintained three separate consolidated balance sheets in respect of three schemes – Employees’ Provident Fund (EPF) Scheme, Employees’ Pension Scheme (EPS) and Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) Scheme, as were required by the provisions of the respective schemes.</p> | <p>C General</p> <p>C.1 Presently EPFO is maintaining Annual Accounts as per approved common format in a consolidated form showing Balance Sheets and Income & Expenditure accounts of all the three Schemes and administration funds separately with their own assets and liabilities. The format has been specified by the Central Government after consultation with C&AG.</p> <p>As per the suggestion of Deputy C&AG a request has been made to furnish a panel of two C&AG empanelled CA firms for study on the subject. Once the study is completed, the suggested format shall be forwarded to the Central government for its notification in consultation with C&AG.</p> |
| <p>C General</p> <p>C.2 Non-finalisation of policy regarding accounting of ETF</p> <p>EPFO has started investing in Exchange Traded Funds (ETF) in accordance with the Investment pattern approved by Ministry of Labour and Employment (MoL&E) since August 2015. Annual accounts of EPFO for the year 2023-24 show the total</p> | <p>C General</p> <p>C.2 Non-finalisation of policy regarding accounting of ETF</p> <p>Already elaborated in comments to Point 4 of the SAR dealing with basis for qualified opinion.</p> |

amount of investment in ETF as ₹2,34,921.49 crores. However, the accounting policy as approved by CBT in its 224th meeting in Feb 2019 has not yet been finalized by the Ministry. As a result, in view of pending proposal of the accounting policy, audit could not verify whether the present depiction of ETF in accounts of EPFO is correct. EPFO should take up the matter with the Ministry for urgent finalization of the accounting policy of ETF investment.

EPFO replied that the ETF Investments are held for the long term and are recorded at cost price in accordance with the prevailing accounting policy and we are in compliance with Accounting standard 13. Point No. VII of the Notes to Accounts clearly discloses the market value of ETFs at ₹3,68,401.50 crores, which is significantly higher than the cost value of ₹2,34,921.49 crores. Ministry of Finance, while approving the rate of interest for the financial year 2020-2021 (vide letter dated 29.10.2021), suggested to prepare a comprehensive policy on redemption of ETF in consultation with C&AG and other concerned stake holders. Accordingly, the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” was framed and approved by 232nd CBT. The same was sent to MoL&E for forwarding it to C&AG vide letter dated 16.12.2022.

Vide letter dated 02.07.2025 from C&AG, it was informed that the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” was not received in C&AG office. EPFO regrets the presumption that the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” was pending with C&AG without ascertaining from MoL&E if it had been forwarded in the first instance. As recommended therein, MoL&E has been again requested vide letter dated 22.07.2025 to forward the said document to C&AG for comments and suggestions. It is also clarified that the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” is yet to be forwarded by MoL&E to C&AG. Once the process of review is completed, the approach for Unitization may not be required. Further, this would not have any impact on the existing accounting policy on valuation of ETFs on cost price. As there is no deviation in the accounting of ETFs since their introduction in EPFO’s portfolio in 2015-16, it is requested that the audit Para may be reconsidered in above light and dropped.

Reply of EPFO is not acceptable as Audit observation here highlights the fact that the finalization has not yet been reached on crucial policy of ETF redemption and its depiction in accounts, in absence of which audit could not verify whether present depiction of ETF in accounts was correct.

Non-finalisation of ETF redemption and its depiction in accounts

Ministry of Finance, while approving the rate of interest for the financial year 2020-2021 (vide letter dated 29.10.2021), suggested to prepare a comprehensive policy on redemption of ETF in consultation with C&AG and other concerned stake holders. This was communicated by MoL&E to EPFO. Accordingly, the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” was framed and approved by 232nd CBT. The same was sent to MoL&E for forwarding it to C&AG vide letter dated 16.12.2022.

It is informed that the “Broad Contours of ETF Redemption Policy” has been forwarded by MoL&E to C&AG office on 21.10.2025 for comments and suggestions.

| | |
|--|--|
| <p>C.3 Non-maintenance of data relating to penal interest for delay in settlement of claims:</p> <p>As per Para 72(7) of the EPF Scheme 1952, if the Commissioner fails without sufficient cause to settle a claim complete in all respects within 20 days, the Commissioner shall be liable for the delay beyond the said period and penal interest at the rate of 12% per annum may be charged on the benefit amount. However, EPFO has replied that no such data has been maintained in EPFO. Therefore, audit could not verify the number of cases in which delays have occurred in settlement of claims and whether any penal interest has been imposed for such delays.</p> <p>EPFO replied that no such data is maintained considering that the question relates to levy of penal interest. Furthermore, it is clarified that no such recoveries have been reported by any accounting unit. It is further clarified, that Para 72(7) is an administrative provision, which holds the Commissioner liable for delays in claim settlement—along with associated penal interest—only if such delay occurs without sufficient cause. An active monitoring mechanism has been implemented involving regular follow-ups and review meetings. As a result, approximately 95% of claims (around 5.7 crore) are settled within the stipulated 20-day time frame. Further, it is also assured that grievances of members are continuously being analyzed to identify systemic reform so that any procedural delay is eliminated permanently.</p> <p>Reply of EPFO is not acceptable as Audit observation here highlights the fact that transparency has not been maintained in implementation of provision 72(7) of EPF Scheme and depiction of recovered penal interest in annual accounts.</p> | <p>C.3 Non-maintenance of data relating to penal interest for delay in settlement of claims:</p> <p>Already elaborated in comments to Point 4 of the SAR dealing with basis for qualified opinion .</p> |
| <p>C.4 Tracking error of ETF not disclosed in annual accounts.</p> <p>EPFO does not disclose the tracking error of Exchange Traded Funds (ETF) in annual accounts. EPFO has stated that the tracking error has been disclosed in Annual Report of EPFO. However, it is suggested that tracking error should be disclosed in notes on accounts also, to bring more transparency in annual accounts.</p> | <p>C.4 Tracking error of ETF not disclosed in annual accounts.</p> <p>The reply submitted to C&AG essentially stated that the method of calculating tracking error is same for all the ETFs. The detailed methodology was furnished. Going forward, the disclosures would be furnished on an ongoing basis from FY 2024-25 onwards.</p> |
| <p>C.5 Year wise details of amounts realizable not disclosed.</p> <p>EPFO has disclosed amounts realizable under sec 7A, 14B, and 7Q in notes on accounts. However, year wise breakup of these amounts disclosing the pendency,</p> | <p>C.5 Year wise details of amounts realizable not disclosed.</p> <p>Tabular values were furnished for 7A. Penal damages year-wise. The data furnished included the amounts Immediately Realisable and Not</p> |

that how much amount pertaining to which year is still pending, and its bifurcation in terms of 'under litigation' and 'without litigation' has not been disclosed. The same should be provided as additional disclosure for the stakeholders.

Immediately Realisable. The amount Not Immediately Realisable(NIR) includes, cases Under Litigation, Liquidation, BIFR, etc.

C.6 Interest accrued and due but not received on investment

Accounting policy no 8.3 attached with accounts stated that interest accrued and due but not received on investment are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards. On the basis of above policy, Annual Accounts of EPFO show an amount of Rs. 1241.85 crore of Interest due but not received as detailed below:

(Amount in ₹)

| Particulars | Amount in Rs. |
|---|--------------------------|
| SCHEDULE No.19 (Current Assets, Loans & Advances) | |
| Interest due but not received on investment | 8,96,67,94,569.99 |
| SCHEDULE No.21 (Current Assets, Loans & Advances) | |
| Interest due but not received on investment | 3,35,04,91,761.65 |
| SCHEDULE No.23 (Current Assets, Loans & Advances) | |
| Interest due but not received on investment | 7,95,69,635.62 |
| SCHEDULE No.23 (Current Assets, Loans & Advances) | |
| Interest due but not received on investment | 35,65,500.00 |
| Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable | |
| Interest due but not received on investment | 1,81,02,400.00 |
| Total | 1241,85,23,867.26 |

These amounts pertain to the interest amount due from defaulters as detailed in Annexure A of the Annual Accounts. There is remote chance of recovery of interest

C.6 Interest accrued and due but not received on investment

Going forward, appropriate Provision for Principal and Interest on Defaulting securities and associated interest accrued and due and interest due but not received from FY 2024-25 onwards shall be provided for out of income.

As on March 31, 2024, the value of unrealized investments amounts to Rs.1720.34 crore as against the total investment portfolio of Rs.24,77,961.02 crore (amortized value), which works out to only 0.07%.

Further, it may be mentioned that the defaults in context are largely related to investments in non-government and non-PSU companies. Since, the defaults, EPFO's fresh investments in bonds are limited to Govt. and PSU rated bonds.

The default value of ₹ 17,266,946,163 provided in the reply dated 23.01.2025 to the query relating to details of investment during audit differs from the consolidated figure ₹ 17,203,359,533 in Annexure-A due to the following:

- **Recovered amounts from IL&FS** totalling ₹ 14,64,55,367 were not considered in Annexure-A.
- **Penal interest amounts** of ₹ 8,29,68,567 for Richardson and HMT Limited are included in Annexure-A, but these relate to delayed payments, with principal and coupon interest already recovered.
- **Securities from GMIDC** worth ₹ 100,000 are included in the amount provided in reply to the query during audit but not

from these defaulters. Inclusion as income in accounts is not correct. Hence accounting policy needs to be revised, or suitable provision should be made for bad and doubtful debts for true and fair representation of accounts. Further, recovery of principal amounts of ₹1720 crore due from defaulter is also doubtful. Hence, suitable provision should be made in the accounts.

EPFO has shown unrealized investments amounting to ₹1,720.34 crores in Annexure A of the annual accounts. However, in reply to query relating to details of investments in amortization worksheet, EPFO stated that Investments worth ₹1,726.69 crores (₹1502.27 crore+₹224.42 crore) were in default, but some amount has been received. However, EPFO neither specified the exact amount that has been realized nor it submitted any supporting documents for the receipt of these amounts in bank. Moreover, Audit observed that the value of unrealized. Investments as declared in Annexure A of annual accounts was ₹1,720.34 crores. However, EPFO replied that ₹1,726.69 crores were in default. Thus, the amount of investments declared unrealized in annual accounts was short by ₹6.36 crore

included in Annexure-A; this is not a default as the trust received and later transferred the amount to EPFO, but the breakup was unavailable.

The net difference of ₹ 6,35,86,800 arises from these adjustments. IL&FS recoveries reduce the default amount, penal interest claims on HMT will be removed based on legal decisions, and GMIDC's amount is pending due to lack of detailed breakup.

C.7 Previous Year Adjustments related to Investment

As per para VII (D) of Notes on Accounts the 'Opening Balance- Face Value and Amortized Value of CCIL Margin Money' of Schedule 18,20,22 & 27 of EPF Scheme 1952, EDLI Scheme 1995 & Pension and Gratuity Scheme of Annual Accounts for the Year 2020-21 was reported incorrectly 'Nil' in place of following figures in 2020-21:

(Amount in ₹)

| CCIL Margin Money | EPF | EPS | EDLI | PNG |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Balance as on 31.03.2020 | 38,07,66,354.07 | 10,11,56,445.93 | 7,54,500.00 | 5,22,700.00 |

The above was carried forward in the year 2021-22 and 2022-23 which has been adjusted in this financial year in the Schedule 18,20,22 & 27 through the head of "Amount invested during the year" corresponding to the CCIL Margin Money

C.7 Previous Year Adjustments related to Investment

Mandatory deposit of CCIL Margin money was made following due process, however, the same was left out to be disclosed appropriately in the Books of Accounts.

As part of regular and ongoing reconciliation activity, we have taken corrective steps and duly reported the same in our books in 2023-24 and also furnished a detailed disclosure in our notes to accounts for information of our stakeholders.

As opposed to the deficient internal controls highlight, our action suggests that robust internal control mechanism is in place. Recently, a detailed SOP for transmission of information from custodian to EPFO has been put in place for strengthening internal controls.

column. Accounting of this adjustment in current year instead of previous years' points towards failure of internal control on investment of CCIL Margin Money. Hence, there is a need of detailed system audit of investment as huge amount remained unaccounted from the books of account for a substantial period of time.

C.8 Incorrect date of maturity in amortization worksheet.

EPFO shows amortized value of Investments in its annual accounts. For this purpose, the difference in cost price and face value of Investments is written off annually over a period till the date of maturity of investments. After deducting the annual value of amortization the net value of investments is shown every year in the annual accounts. However, scrutiny of details of amortization worksheet revealed that investments worth ₹4,410.00 crores have already matured before 31.03.2024.

Therefore, these investments amounting to ₹4410.00 crore should not be included in the total amount of investment shown in annual accounts as on 31.03. 2024.

EPFO replied that the maturity dates of these investments were incorrectly mentioned in the worksheet and the correct maturity date was much later than 31.03.2024. This was confirmed from the holding statement issued by the custodian bank as detailed in table below:

(Amount in ₹)

| Name of Investment | Amount | Date of maturity of investment in amortization work sheet | Correct date of maturity |
|----------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| 7.10% NHAI Sr-X 18.02.204 779726 | 1700,00,00,000.00 | 18/02/2024 | 18/02/2040 |
| 5.63% NABARD 2025 BONDS SERIES | 2160,00,00,000.00 | 26/02/2022 | 26/02/2025 |

C.8 Incorrect date of maturity in amortization worksheet.

As regards amortization, it is stated that Amortization is systematic allocation of premium or discount on securities over their useful life. For e.g. a 10-year bond of face value ₹ 100 issued at a Premium/Discount of Rs.10 will be evenly amortized over the 10-year period at Rs.1 per year.

The Net amortized value appearing in Balance sheet is accurate and reflects the difference between face value and purchase price, amortized equally over the life of securities using the straight-line method. The face value has been verified with custodian's records. For securities with incorrect maturity dates, since they were purchased at Par (No premium or discount), there is no impact on amortization and thus no overstatement of securities in the Annual Accounts.

It may be mentioned that there was an error which was encountered due to incorrect generation of report/data at the time of furnishing of data for reply to Draft SAR and the actual data of the security and the amortization is correct as reflected in the Balance sheet. EPFO has been already engaging an external concurrent auditor for its Investments.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|------------|
| 22G | | | |
| 7.10% NHAI Sr-X 18.02.204 779726 | 550,00,00,000.00 | 18/02/2024 | 18/02/2040 |
| | 4410,00,00,000.00 | | |

EPFO has also reported about error in date of maturity of another investment of ₹20.00 lakh. However, no details of such investment were provided, therefore, audit could not verify the same.

Audit observed that such errors pertaining to investments in amortization worksheet is indicative of deficient internal control system in EPFO. As the value of investment depicted in annual accounts is taken from the amortization worksheet, it is recommended that the EPFO should get the amortization worksheet audited from an empaneled chartered accountant, every year, before including the amount of investment in annual accounts.

C.9 Non-reconciliation of excess credit

During the review of consolidated Financial Statements of EPFO, it was noticed that there are several instances of excess credit which needs to be reconciled. The details of excess credit shown in financial statements for the year 2023-24 are as under: -

(Amount in ₹)

| Sl. No. | Particulars | Schedule No. | Balance as on 31.03.2024 |
|---------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Excess credit to Account No. 5 (EPF Contribution A/c– Central) | 5-(Current Liabilities and Provision) | 3,06,30,80,989. 61 |
| 2 | Amount credited to account no.1 but not debited to account no.5 (same amount carried forward from last | | 12,13,13,339 |

C.9 Non-reconciliation of excess credit

The issue is increasingly being witnessed subsequent to the introduction of Centralized receipts and associated Sweep functionalities. The amount of contribution is deposited in the Central Accounts of EPFO by any depositor without an accompanying ECR is difficult to reconcile to an Establishment until the person comes forth and declares. This may happen in cases of recoveries, payment against assessment proceedings or deposit of past accumulations etc.

This is similar to an incorrect deposit in an individual's bank account mistakenly or otherwise and such individual shall only come to know about the depositor once he comes forward.

In addition, there are legacy balances and accounting units are always pointed out to keep reconciling the amounts on continuous basis. Resultantly, due to efforts, the balance as on March 31, 2025 stood as Rs.167,37,26,133.89/- as against Rs.341,49,79,600.76/- as on March 31,

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|--|
| | year) | | | 2023, signifying a reduction of more than 50%. |
| 3 | Excess credit to Account No. 21 (EDLI Cont. A/c - Regional) | 9-(Current Liabilities and Provision) | 1,97,27,688.78 | |
| 4 | Excess credit to Account No. 25 (EDLI Cont. A/c - Regional) | 9-(Current Liabilities and Provision) | 9,64,45,033.21 | |
| 5 | Excess credit in RBI A/c (same amount carried forward from last year) | 9-(Current Liabilities and Provision) | 13,44,061.55 | |
| 6 | Excess credit to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c) | 15-(Current Liabilities and Provision) | 3,21,85,494.88 | |
| 7 | Excess credit to Account No. 9 (Staff Pension cum Gratuity A/c) | 15-(Current Liabilities and Provision) | 8,29,781.01 | |
| 8 | Excess credit to Account No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional) | 17-(Current Liabilities and Provision) | 87,03,228.97 | |
| 9 | Excess credit to Account No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c – Central) (same amount carried forward from last year) | 17-(Current Liabilities and Provision) | 4,83,68,578.52 | |
| Total | | | 3,39,19,98,195.53 | |
| In the case of Sl. No.1, 5 and 9 cited above the same figure has been carried | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>forward from previous years. EPFO replied that these amounts have been carried forward since many years and relevant records in this regard were not traceable. However, efforts were being made to identify these entries.</p> <p>Thus, in the absence of any records, audit could not verify these amounts. Similar comment was issued in the previous year's SAR. However, no remedial action has been taken by EPFO.</p> | |
| <p>C.10 Non-maintenance of Cash Books</p> <p>Audit noticed that the cash books in respect of bank accounts were not being maintained by the EPFO HQ. Thus, the organization is only dependent on the bank accounts figures reflected in the bank statement.</p> <p>Further, ZO Vijaywada, ZO Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDNASS), RO South (ZO Delhi), RO Puducherry have not maintained cash books properly. Entries of only payments have been entered in the cash book and entries of receipts have not been entered in cash book.</p> | <p>C.10 Non-maintenance of Cash Books</p> <p>Subsequent to introduction of centralised collection facility, the centralised receipts report are provided by IS Division annually. Regional Offices maintain records of the payments and incorporate the same for reconciling payments. Essentially, the receipt component of BRS has been substituted by the reports provided by IS Division which ROs are using for Cashbook preparation.</p> <p>It is rather a matter of non-presentation and incorporation of reported data in the traditional cashbook framework rather than an issue of non-maintenance of Cash books.</p> |
| <p>C.11 Non-reconciliation of Unclassified Suspense</p> <p>According to sub-para II (VII) under para 10.6 of the Manual of Accounting Procedure Part-I General, of Employees' Provident Fund Organization, "<i>a statement showing the details of balances shown under "Unclassified Suspense" in both liabilities and Assets side should be enclosed to the balance sheet every year indicating the date of transaction, brief particulars of amounts. A vigorous drive should be launched to analyze the outstanding items under this head and to clear them. It is emphasized that the balances under unclassified suspense on both Liabilities and Assets side should be kept down to the minimum and prompt action taken to clear them</i>".</p> <p>During the audit it was noticed that following balances have been shown under suspense accounts.</p> <p>(I) Suspense Account in the consolidated accounts of EPFO</p> | <p>C.11 Non-reconciliation of Unclassified Suspense</p> <p>Regional Accounts also have a bank account for making payments to the beneficiaries for settlement of claims which are recouped through sweep in from Central Accounts.</p> <p>The balances of Unclassified suspense largely constitute the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Unidentified credits/debits to the Local Accounts of Regional Offices- Sometimes, banks mistakenly debit or credit the amounts from some other account instead of designated account. ii. Difference between the amounts recovered from EPFO employees for remittance as Income Tax or other liabilities, and the actual amounts remitted- in case of EPF Administration Account iii. Amounts transferred by the Establishments directly to the Local |

The details of funds kept in Suspense Account (Note number VIII on Accounts) as shown in consolidated financial statements of EPFO for the year 2023-24 are as under:-

(Amount in ₹)

| Name of the unit | Particulars | Schedule No. | Opening Balance | Closing Balance |
|---|--|--------------|------------------|-----------------|
| EPFO Head office, New Delhi (Consolidated Balance Sheet) | Current Liabilities and Provisions-Suspense Account. | 5 | 53,93,28,824.34 | 84,10,45,321.27 |
| | Current Liabilities and Provisions-Suspense Account. | 15 | 23,33,74,038.94 | 30,12,91,821.45 |
| | Current Assets, Loans and Advances-Suspense Account. | 19 | 113,26,29,174.72 | 79,10,24,371.28 |
| | Current Assets, Loans and Advances-Suspense Account. | 28 | 18,49,96,427.30 | 15,92,28,790.97 |

EPFO replied that special drive has been initiated for speedy clearance/disposal of the outstanding amount lying in all the suspense accounts. Further, every field office has deputed one Nodal Officer to identify/reconcile these balances & to closely monitor the progress and reporting of weekly progress report of amount reconciled during that period to Head Office.

EPFO should expedite the clearance/disposal of the outstanding amount lying in all the suspense accounts.

Accounts of Regional Offices through Electronic mode without informing the Office and without any return/challan.

EPFO follows the GFR, FR/SR and delegation of Financial Powers, and all the payments are made after following the due procedure and with due diligence, minimising the possibilities of erroneous payments, however, un-availability of the correct head for posting the transactions in the receipt and payment accounts leads to the misclassification and increase in suspense balances.

In addition, there are legacy balances and accounting units are always pointed out to keep reconciling the amounts on continuous basis.

Out of Rs.10,169.89 crore as Suspense and Duplicate payments balance across various schedules, Rs.8,898.96 crore was reconciled and refunded/adjusted. As on March 31, 2025, the balance stands at Rs.1,270.93 with respect to Suspense reconciliation and Duplicate payments. Further, close monitoring of Suspense Account balances would be carried out in the future as well.

C.12 Adverse balances in various schedules

There were adverse balances appearing in the Balance Sheet of EPFO HQ under following head:-

(₹ in crore)

| Balance Sheet Schedule no. | Particulars | Amount |
|----------------------------|---|---------|
| Schedule 25 | EPF Investments | -775.85 |
| Schedule 26 | SPF Investments | 20.78 |
| Schedule 24A | Capital Work in Progress | 815.10 |
| Schedule 11 | Staff Provident Fund Interest | -58.96 |
| Schedule 15 | New Pension Scheme Contribution Payable | -0.46 |

Further, in the ZO PDNASS an adverse balance of -₹82.70 Cr under Schedule-25 EPF Administration Fund-Investments Special Deposit Account has been shown.

EPFO replied that the Consolidated Accounts of EPFO are prepared in the notified Common Format of Accounts, designed to reflect the specific operational realities of the organization. This standardized format was also implemented at the Regional Office level starting from the financial year 2020–21. The Common Format is comprehensive and designed to encompass the full range of activities across all accounting units—namely, the Head Office (including administrative expenses and all central investment and banking functions), Regional Offices, Zonal Offices, Training Institutes, and others. As a result, some accounting units function solely as spending units—such as the Head Office (Administrative Services Division), Zonal Offices, and Training Institutes. Their expenditures are funded through sweep entries from central receipts/revenues, which are primarily generated via central investments and receipts. These sweep entries are reflected in their accounts as transfers from the central accounts. Since investment activities are carried out exclusively at the central level, these spending units do not directly undertake any investment operations. However, while preparing their individual Receipts &

C.12 Adverse balances in various schedules

EPFO prepares its Annual Financial Statements by consolidating the financial data from all its accounting units, including information from Head Office units. For this purpose, the EPFO Headquarters is also treated as an accounting unit. The financial statements of individual accounting units are subsidiary in nature and are not presented before the Parliament or the Central Board of Trustees (CBT). Only the consolidated financial statements of the EPFO are placed before stakeholders, providing a clear and unambiguous representation of the Organisation's overall financial position.

Adverse balances appearing in the financial statements of individual accounting units are notional in nature. These entries serve the purpose of balancing the debit and credit sides of accounts, in line with fundamental accounting principles. During the annual consolidation process carried out at the Head Office, these adverse balances are automatically reconciled. At this stage, expenditure figures from the Zonal Offices' balance sheets are combined with the actual interest income generated from centrally managed investments. This process ensures that all notional negative entries are appropriately offset, resulting in accurate and reliable consolidated financial reporting.

Therefore, the presence of adverse balances in the financial statements of individual accounting units does not affect the transparency or accuracy of EPFO's overall financial position as presented in the consolidated statements.

Payments, Income & Expenditure Accounts, and Balance Sheets, the schedules related to Investments and Interest Accounts include only notional entries. These are required for the purpose of balancing the debit and credit sides of the accounts, a fundamental accounting principle. Consequently, such schedules often reflect negative balances. These negative balances are automatically reconciled during the annual consolidation of accounts at the Head Office. At that stage, expenditure figures from Zonal Offices' balance sheets are combined with actual interest income derived from centralized investment data. This process ensures that the negative notional entries are offset, thereby achieving accurate financial reporting at the consolidated level.

Reply of EPFO is not acceptable as it is recommended that EPFO shall make suitable amendments in its format of accounts so that such huge negative balances due to transfer entries do not appear in its accounts as it may create ambiguity before various stake holders of EPFO.

C.13 Consolidated Balance Sheet (ZO)-Difference in figures between consolidated accounts (ZO) and individual accounts submitted by the ROs (ZO Bengaluru).

On verification of the figures in the consolidated Balance Sheet of ZO Bengaluru with reference to the total of the figures as per the accounts submitted by the individual ROs, some differences were noticed. The details of the differences are detailed in the table below:

(Amount in ₹)

| Details of the Schedule | Amount as per Consolidated Balance sheet/schedule of ZO | Amount as per accounts submitted by the ROs | Difference (2-3) |
|--|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Employees' Pension Scheme, 1995 Schedule 6- EPS Contribution | 1,89,14,68,75,308 | 1,85,17,80,87,618 | 3,96,87,87,690 |

C.13 Consolidated Balance Sheet (ZO)-Difference in figures between consolidated accounts (ZO) and individual accounts submitted by the ROs (ZO Bengaluru).

Differences in the consolidated balance sheet are under review. Centrally empanelled CA firm shall be deputed for reconciliation in association with the Zonal office/Regional office concerned.

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fund | | | |
| Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 EDL Contribution Fund- | 7,73,01,68,629.39 | 7,49,05,00,440.99 | 23,96,68,188.40 |
| Employees Provident Fund Scheme, 1952-Schedule 25- EPF Administration Fund-Investments | 24,090,147,684.97 | 24,20,11,76,848.21 | (-)11,10,29,163.24 |
| Employees Provident Fund Scheme, 1952-Schedule No.28- Current Assets, Loans Advances | 3,36,23,479.55 | 3,96,72,389.55 | (-) 60,48,910.00 |
| Employees Provident Fund Scheme, 1952-EPF Contribution Fund-Schedule-1 Members operative accounts in EPF contribution fund | 22,76,80,61,55,716 | 22,76,81,03,48,366 | (-)41,92,650 |
| Employees Provident Fund Scheme, 1952 - Schedule 15- Current Liabilities and Provisions - | 1,76,66,144.30 | 12,37,02,054.30 | 60,35,910 |
| Schedule-18 - Employee provident fund-Investment | 15,10,57,62,93,740 | 15,10,58,04,86,388 | (-) 41,92,648 |

The differences need to be reconciled.

EPFO replied that the differences in figures between the consolidated Balance Sheet and individual accounts have been noted and same are being reviewed, and the necessary reconciliations will be undertaken.

C.14 Consolidated Income and Expenditure Statement (ZO)- Difference in figures between consolidated accounts (ZO) and individual accounts submitted by the ROs (ZO Bengaluru).

On verification of the figures in the consolidated Income and Expenditure Statement of ZO and total of the figures as per the accounts submitted by the individual ROs, some differences were noticed. The details of the differences are detailed in the table below:

(Amount in ₹)

| Details of schedule | Amount as per Consolidated Income and Expenditure Statement /Schedules of ZO | Amount as per the Income and Expenditure Statement /Schedules submitted by the ROs | Differences (2-3) |
|---|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EPS 1995-Sch 33- Income from Pension Contribution | 68,08,75,10,557 | 64,13,29,94,800 | 3,95,45,15,757 |
| EPS 1995-Sch 35 - Other Income | 60,17,43,061.4 | 58,74,71,128.1 | 1,42,71,933.25 |
| EDLIS 1976- Income and Expenditure account- Income-EDLI CONTRIBUTION FUND | 3,60,64,80,823.91 | 3,36,68,12,636 | 23,96,68,187.91 |
| Sch 37-EDLIS 1976- | 3,17,26,075.49 | 3,08,29,902.49 | 8,96,173 |

C.14 Consolidated Income and Expenditure Statement (ZO)- Difference in figures between consolidated accounts (ZO) and individual accounts submitted by the ROs (ZO Bengaluru).

Differences in the consolidated Income and Expenditure Statements are under review. Centrally empanelled CA firm shall be deputed for reconciliation in association with the Zonal office/Regional office concerned.

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------------|--|
| Other Income | | | | |
| EPFS 1952-Other Income Miscellaneous Receipts | 23,35,638 | 19,72,571 | 3,63,067 | |
| EPS 1995-Commission to Banks for disbursement of pension | 6,41,59,438 | 5,82,24,938 | 59,34,500 | |
| EDLIS 1976-EDLI Contribution Fund- Assurance Benefits Paid | 11,08,10,11,81 4 | 82,01,90,361 | 26,08,21,453 | |
| EPFS, 1952- EPF- Administration Fund-A- Establishment Expenses | 1,06,96,11,439 | 81,15,81,012.8 | 25,80,30,426. 1 | |
| EPFS, 1952- EPF- Administration Fund-B- Other Administrative Expenses | 31,20,36,216.1 | 24,46,24,199.7 | 6,74,12,016.3 9 | |
| EDLIS, 1976 EDLI Administration Fund | 1,58,222 | 0 | 1,58,222 | |
| <p>EPFO replied that the audit observation on differences in the consolidated Income and Expenditure Statement is under review. Verification of figures is in progress, and appropriate action will follow based on the findings.</p> | | | | |
| <p>D. Management Letter</p> <p>Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.</p> | | | | |

E. Assessment of Internal Controls

i. Adequacy of Internal Control System:

- a.** Trial balance and head wise ledgers were not being prepared in their field units as well as EPFO Head office.
- b.** In EPFO, RO Indore, 29 audit paras of compliance audit and 147 paras of internal audit are still pending.

ii. Adequacy of Internal Audit System:

- a.** EPFO Headquarters had planned internal audit of 129 units including EPFO Head office. Out of 129 units, 42 units were actually audited during 2022-23 by the Audit Wing of EPFO.
- b.** The follow up action on the outstanding objection was not effective as 232 internal audit paras pertaining to EPFO Head office were outstanding as on 31.03.2024. Information regarding outstanding pertaining to regional offices has not provided by EPFO.
- c.** The Internal Audit of EPFO, RO Indore has been conducted up to the year 2023-24. Report is yet to be received from Zonal Office.

E. Assessment of Internal Controls

i. Adequacy of Internal Control System:

- a.** EPFO follows all the basic principles of accounting and significant accounting policies consented by CAG and approved by Government of India.
- b.** A new manual has been adopted which provides for effective follow up action in order to liquidate the pending paras and ensure rectification of the outstanding objections. There are three (3) separate committees in existence to study corrective actions taken by auditee office on the observations raised by Internal Audit Parties and settle/drop the observations. In RO Indore, out of 29 paras of CAG audit of FY 2023-24, 15 paras have been dropped and 14 paras remain for compliance.

ii. Adequacy of Internal Audit System:

- a.** 142 offices were planned for audit. Out of which 92 offices were audited during 2022-23. In accordance with the Audit Manual, any omitted/left-out audit period will be addressed in subsequent years.
- b.** The observation is noted.
- c.** Report of the Internal Audit has been received.

- d. Internal audit system is non-existing in the EPFO, Zonal Office Faridabad, Haryana
- e. It is noticed that Internal Audit for the EPFO, Zonal Office, Chennai, was not conducted till FY 2023-24 from the inception of the office. This may be brought to notice of higher authorities and necessary action may be taken for carrying out Internal Audit of this Institute.
- f. Internal Audit was not conducted in EPFO, ZO Vijaywada for the year 2023-24.
- g. Internal Audit was not conducted in EPFO, RO Jabalpur for the year 2023-24.

iii. System of physical verification of Fixed Assets.

- a. The physical verification of fixed assets of EPFO Head office conducted during 2022-23.
- b. RO Indore Physical verification of fixed assets for the year 2023-24 has not been conducted.
- c. RO Puducherry, Physical verification of fixed assets for the year 2023-24 has not been conducted.
- d. ZO Vijaywada, Physical verification of fixed assets for the year 2023-24 has not been conducted.

iv. System of physical verification of Inventory.

- a. Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO Head office has been conducted during the year.

- d. Audit, since inception, has been conducted for ZO Faridabad from 02.04.2025 to 23.04.2025.
- e. Audit, since inception, has been scheduled for ZO Chennai from 18.02.2026 to 10.03.2026.
- f. Audit, since inception, has been scheduled for ZO Vijayawada from 18.11.2025 to 05.12.2025.
- g. Internal Audit of RO Jabalpur has been conducted for the year 2023-24 from 18th March 2025 to 08th April 2025.

iii. System of physical verification of Fixed Assets.

- a. No comments, being factual.
- b. Physical verification of fixed assets for the year 2023-24 has been completed by RO Indore.
- c. Physical verification of fixed assets has been completed by RO Puducherry till 31st December 2024.
- d. A committee has been constituted for Physical verification of Fixed assets by ZO Vijaywada.

iv. System of physical verification of Inventory.

- a. Physical verification in respect of consumables and stationery in respect of EPFO Head office has been conducted and certificates issued on 12.10.2023.

| | |
|--|---|
| <p>b. The physical verification of inventories has been conducted of RO Indore.</p> <p>c. ZO Vijaywada, physical verification of inventories for the year 2023-24 has not been conducted.</p> <p>v. Regularity in payment of statutory dues: As per accounts, no payment in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2024.</p> | <p>b. No Comments, being factual.</p> <p>c. As per the observation, a committee was constituted for the physical verification of inventories, which submitted its report on 14.11.2024 with a positive outcome.</p> <p>v. Regularity in payment of statutory dues: No Comments, being factual.</p> |
|--|---|

F. Grants-in-aid under the schemes

During the year 2023-24, Grants-in-aid have been received from the Central Government towards schemes under Employees' Pension Scheme (EPS)-1995 and Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna (ABRY). The details of grants received and utilized are as under: **(₹ in crore)**

| Name of the scheme | Opening balance as on 01.04.2023 | Received during the year 2023-24 plus Interest earned | Total Grant | Grant utilized plus Interest refunded | Unutilized grant |
|---|---|--|--------------------|--|-------------------------|
| ABRY | 339.05 | 1,221.06 | 1,560.11 | 1,554.42 | 5.69 |
| EPS-1995 (Government share @1.16%) | -22.57 | 8,167 | 8,144.43 | 8,377.84 | -233.41 |
| Minimum pension of ₹1000 per month under EPS 1995 | 28.21 | 960 | 988.21 | 978.64 | 9.57 |
| Total | 344.69 | 10,348.06 | 10,692.75 | 10,910.90 | -218.15 |

F. Grants-in-aid under the schemes

No Comments, being factual.

वर्ष 2023-24 के लिए समेकित वार्षिक खाते और लेखापरीक्षा रिपोर्ट



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय

प्लेट ए, भूतल, कार्यालय ब्लॉक II, पूर्वी
किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023

अनुक्रमणिका

| क्र.सं. | विषयवस्तु | पेज |
|---------|---|---------|
| 1. | समेकित बैलेंस शीट | 73-74 |
| 2. | बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 75-85 |
| 3. | समेकित आय एवं व्यय लेखा | 86-88 |
| 4. | आय और व्यय लेखे का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 89-91 |
| 5. | अचल संपत्तियों और निवेश अनुसूचियों का विवरण | 92-94 |
| 6. | प्राप्ति और भुगतान लेखा, क.पॅ.यो., 1995 (अंशदान लेखा) | 95 |
| 7. | प्राप्ति और भुगतान लेखा, क.नि.सह.बी.यो., 1976 (अंशदान लेखा) | 96 |
| 8. | प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, क.नि.सह.बी.यो., 1976 (प्रशासन लेखा) | 97 |
| 9. | लेखों का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 98-119 |
| 10. | प्रमाणपत्रों के साथ ऑडिट रिपोर्ट | 120-145 |

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

31 मार्च तक समेकित तुलनपत्र

राशि रूपये में

| | अनुसूची | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|---|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| पूँजी निधि एवं देयताएं | | | |
| <u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u> | | | |
| क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते | | | |
| सदस्यों के सक्रिय खाते | 1 | 1,37,99,61,29,07,933.90 | 1,17,73,40,19,94,087.20 |
| सदस्यों के निष्क्रिय खाते | 2 | 85,05,23,53,792.00 | 68,04,87,90,103.00 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | | | |
| विशेष आरक्षित निधि | 3 | 5,57,48,27,845.38 | 5,14,99,56,300.58 |
| ब्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि | 4 | 3,97,81,73,75,114.14 | 3,21,85,34,62,587.10 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | 5 | 13,01,92,88,43,955.30 | 11,09,60,24,98,363.96 |
| उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि | | 1,55,89,98,63,08,640.70 | 1,32,78,05,67,01,441.90 |
| <u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u> | | | |
| क.पें.यो. अंशदान निधि | 6 | 88,49,18,43,15,617.00 | 77,71,46,51,85,419.52 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | | | |
| विविध क्रेडिट | 7 | 33,50,57,39,800.86 | 33,47,59,27,850.23 |
| उप जोड़ - पेंशन निधि | | 88,82,69,00,55,417.86 | 78,04,94,11,13,269.75 |
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u> | | | |
| क.नि.स.बी. अंशदान निधि | 8 | 4,60,89,31,46,186.39 | 4,15,81,55,26,421.06 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | | | |
| विविध क्रेडिट | 9 | 73,33,42,106.29 | 83,17,69,943.46 |
| उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि | | 4,61,62,64,88,292.68 | 4,16,64,72,96,364.52 |
| <u>कर्मचारी प्रशासन निधि (कभनि योजना - 1952)</u> | | | |
| क.भ.नि. -प्रशासन निधि | 10 | 3,55,39,13,30,775.64 | 3,31,17,45,81,031.29 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | | | |
| स्टाफ भविष्य निधि - ब्याज खाता | 11 | 6,21,92,54,794.73 | 5,27,57,97,222.47 |
| निर्धारित/बंदोबस्ती निधि | | | |
| भवन निर्माण निधि | 12 | - | - |
| स्टाफ भविष्य निधि लेखा | 13 | 19,63,52,53,151.80 | 18,63,61,45,267.80 |
| स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा | 14 | 2,25,26,72,71,655.16 | 1,85,37,09,03,631.23 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | 15 | 3,77,39,60,922.91 | 3,25,13,16,781.22 |
| उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि | | 6,10,28,70,71,300.24 | 5,43,70,87,43,934.02 |
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि</u> | | | |
| क.नि.स.बी. प्रशासन निधि | 16 | 43,28,37,30,970.32 | 40,75,90,79,152.91 |
| वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | 17 | 59,55,24,266.92 | 59,81,94,633.52 |
| उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि | | 43,87,92,55,237.24 | 41,35,72,73,786.43 |
| कुल जोड़ | | 2,55,88,46,91,78,888.70 | 2,20,84,71,11,28,796.60 |

| | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------------|
| परिसम्पत्तियां | | | |
| <u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u> | | | |
| क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश | 18 | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,30,50,94,70,17,089.00 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 19 | 2,73,47,79,57,561.39 | 2,27,10,96,84,352.85 |
| उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि | | 1,55,89,98,63,08,640.70 | 1,32,78,05,67,01,441.90 |
| <u>कर्मचारी पेंशन योजना, 1995</u> | | | |
| क.पें.यो. अंशदान निधि - निवेश | 20 | 87,59,55,78,07,809.97 | 77,03,08,05,95,145.84 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 21 | 1,23,13,22,47,607.90 | 1,01,86,05,18,123.91 |
| उप जोड़ - पेंशन निधि | | 88,82,69,00,55,417.87 | 78,04,94,11,13,269.75 |
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u> | | | |
| क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश | 22 | 4,56,15,51,55,189.62 | 4,11,67,86,12,071.97 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 23 | 5,47,13,33,103.06 | 4,96,86,84,292.55 |
| उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि | | 4,61,62,64,88,292.68 | 4,16,64,72,96,364.52 |
| <u>कर्मचारी प्रशासन निधि (कभनि योजना, 1952)</u> | | | |
| अचल परिसंपत्तियां | 24 | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 |
| पूंजीगत कार्य प्रगति पर | | 9,69,95,73,468.50 | 8,71,83,96,118.90 |
| क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश | 25 | 3,33,08,53,85,923.27 | 3,10,85,38,95,353.19 |
| स्टाफ भविष्य निधि - निवेश | 26 | 25,45,08,90,226.65 | 23,52,15,76,162.60 |
| पेंशन - सह - ग्रेच्युटी निधि- निवेश | 27 | 2,21,93,79,56,261.18 | 1,82,70,40,08,517.05 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 28 | 13,65,77,63,078.72 | 11,90,97,46,430.15 |
| उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि | | 6,10,28,70,71,300.24 | 5,43,70,87,43,934.02 |
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि</u> | | | |
| क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश | 29 | 43,03,79,03,334.34 | 40,18,47,83,692.19 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 30 | 84,13,51,902.91 | 1,17,24,90,094.24 |
| उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि | | 43,87,92,55,237.24 | 41,35,72,73,786.43 |
| कुल जोड़ | | 2,55,88,46,91,78,888.80 | 2,20,84,71,11,28,796.60 |

हस्ता/-
(संजय पांडेय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 | | | |
| अनुसूची संख्या 1 | | | |
| क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 1,17,73,40,19,94,087.20 | 1,00,07,99,52,42,638.70 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां) | 21,08,36,11,03,069.30 | 19,11,16,65,87,779.23 |
| 2 | प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्द्रा.) | 16,18,20,31,877.38 | 14,04,97,30,339.06 |
| 3 | सदस्यों के खाते में जमा ब्याज | 8,79,67,65,18,924.00 | 7,30,36,38,35,293.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अन्य प्राप्तियां | 77,20,98,56,436.13 | 39,63,04,88,929.00 |
| 6 | पिछली जमाएं (बैंक अंतरण) (खाता संख्या 1) | 2,10,35,48,37,635.19 | 2,89,51,13,50,377.70 |
| | जोड़ | 32,91,78,43,47,942.00 | 29,84,72,19,92,717.99 |
| घटाएं : | | | |
| 1 | छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान | 5,13,58,27,18,136.97 | 5,20,34,74,69,399.01 |
| 2 | सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा किया गया प्रीमियम | 7,88,03,482.00 | 11,19,73,698.00 |
| 3 | सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण | 6,46,92,21,41,055.64 | 5,97,76,52,24,576.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| 5 | अन्य भुगतान | 61,66,32,74,311.71 | 55,92,90,26,761.51 |
| | जोड़ | 12,65,57,34,34,095.32 | 12,19,31,52,41,269.52 |
| | 31 मार्च को शेष | 1,37,99,61,29,07,933.90 | 1,17,73,40,19,94,087.20 |
| अनुसूची संख्या 2 | | | |
| क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 68,04,87,90,103.00 | 49,62,70,00,178.00 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| 2 | सदस्यों के खाते में जमा ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 43,32,64,97,109.00 | 45,16,15,46,835.00 |
| घटाएं : | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि | 0.00 | 0.00 |
| 2 | निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान | 26,32,29,33,420.00 | 26,73,97,56,910.00 |
| | जोड़ | 26,32,29,33,420.00 | 26,73,97,56,910.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 85,05,23,53,792.00 | 68,04,87,90,103.00 |
| अनुसूची संख्या 3 | | | |
| विशेष आरक्षित निधि : | | | |
| | पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष | 5,14,99,56,300.58 | 4,76,18,64,355.60 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि | 0.00 | 0.00 |
| 2 | एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| | जोड़ | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| घटाएं : | | | |
| 1 | विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि | 0.00 | 0.00 |
| 2 | मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि | -150.00 | 0.00 |
| | जोड़ | -150.00 | 0.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 5,57,48,27,845.38 | 5,14,99,56,300.58 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| अनुसूची संख्या 4 | | | |
| ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 3,21,85,34,62,587.10 | 3,84,94,19,60,965.08 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से अधिक आय | 75,96,39,12,527.04 | 42,73,34,71,463.37 |
| | पिछले वर्ष अर्जित ब्याज अधिक बताया गया | | -1,05,82,19,69,841.35 |
| | 31 मार्च को शेष | 3,97,81,73,75,114.14 | 3,21,85,34,62,587.10 |
| अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान) | | | |
| I - वर्तमान देयताएं | | | |
| 1 | टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती | 97,27,43,983.16 | 39,86,61,648.00 |
| 2 | विविध क्रेडिट : | | |
| | अ. क्षेत्रीय: | | |
| क | उच्चत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.) | 84,10,45,321.27 | 53,93,28,824.34 |
| ख | अनियमित भुगतान | 70,80,67,213.35 | 9,93,72,458.82 |
| ग | अधिक भुगतान | 4,34,40,279.02 | 25,19,06,758.54 |
| | ब. केन्द्रीय : | | |
| क | खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में नाम नहीं हुई | 12,13,13,339.00 | 12,13,13,339.00 |
| ख | खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) में अतिरिक्त जमा | 3,06,30,80,989.61 | 3,07,65,33,588.60 |
| ग | क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा | 0.00 | 13,59,27,112.62 |
| घ | अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम | 44,06,975.00 | 44,06,975.00 |
| ड | 2019-2020 के दौरान पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली [खाता सं. 01] | 12,19,64,912.00 | 11,88,34,310.00 |
| 3 | रोकड़ बही में शेष : | | |
| | भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट) | | |
| | खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) | 10,80,52,35,902.62 | 15,01,98,44,109.18 |
| | खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय) | 15,68,51,82,005.55 | 12,95,89,06,963.14 |
| 4 | क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 32,36,64,80,920.58 | 32,72,50,36,087.24 |
| II - प्रावधान | | | |
| क | सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| ख | पिछले वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय ब्याज का प्रावधान | 1,96,73,17,63,034.72 | 1,78,54,08,62,276.72 |
| | जोड़ | 12,69,56,23,63,034.72 | 10,76,87,74,62,276.72 |
| | 31 मार्च को शेष | 13,01,92,88,43,955.30 | 11,09,60,24,98,363.96 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | | | |
| अनुसूची संख्या 6 | | | |
| क.पें.यो. अंशदान निधि | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 77,71,46,51,85,419.52 | 68,62,01,10,75,316.22 |
| जोड़े : | क.पें.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से अधिक आय | 10,77,71,91,30,197.48 | 9,48,60,87,70,800.04 |
| | पिछले वर्ष अर्जित ब्याज अधिक बताया गया | | -39,15,46,60,696.74 |
| | 31 मार्च को शेष | 88,49,18,43,15,617.00 | 77,71,46,51,85,419.52 |
| अनुसूची संख्या 7 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान) | | | |
| विविध क्रेडिट : | | | |
| 1 | खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) | 31,44,37,777.99 | 6,14,04,117.31 |
| 2 | खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय) | 87,57,83,589.84 | 60,36,95,982.84 |
| ख | पीएमआरपीवाई खातों में देय पीएमआरपीवाई लाभों की वसूली | 54,98,85,434.00 | 53,60,37,038.00 |
| 3 | क.पें.यो.निवेश लेखा-टीआरईपी ऋण-देय | 0.00 | 0.00 |
| | रोकड़ बही में शेष | | |
| 4 | भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट) | | |
| | खाता संख्या 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) | 6,35,07,61,665.63 | 7,43,22,67,928.02 |
| | खाता संख्या 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय) | 15,19,10,10,352.04 | 14,91,79,69,365.38 |
| 5 | क.पें. निधि (पीएमआरपीवाई) में देय राशि | 9,64,24,20,087.00 | 9,64,24,20,087.00 |
| 6 | न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त राशि | 9,57,21,767.00 | 28,21,33,331.68 |
| 7 | अन्य (उच्चतर पेंशन पर देय टीडीएस) | 48,57,19,127.36 | |
| | 31 मार्च को शेष | 33,50,57,39,800.86 | 33,47,59,27,850.23 |

| अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | |
| अनुसूची संख्या 8 | | | |
| | क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि | | |
| | प्रारंभिक शेष | 4,15,81,55,26,421.06 | 3,77,56,53,90,867.05 |
| जोड़े : | क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से अधिक आय | 45,07,76,19,765.33 | 38,07,71,81,737.40 |
| | पिछले वर्ष अर्जित ब्याज कम बताया गया | | 17,29,53,816.61 |
| | 31 मार्च को शेष | 4,60,89,31,46,186.39 | 4,15,81,55,26,421.06 |
| अनुसूची संख्या 9-वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान | | | |
| विविध क्रेडिट :: | | | |
| 1 | खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता क्षेत्रीय) | 1,97,27,688.78 | 2,52,21,867.15 |
| 2 | खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता केंद्रीय) | 9,64,45,033.21 | 9,63,95,144.21 |
| 3 | भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा | 13,44,061.55 | 13,44,061.55 |
| 4 | क.नि.स.बी.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा | | |
| 5 | क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि | 0.00 | 0.00 |
| 6 | रोकड़ बही में शेष | | |
| | भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट) | | |
| | खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) | 36,01,974.47 | 0.00 |
| | खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केंद्रीय) | 61,22,23,348.28 | 70,88,08,870.55 |
| | एससीबी में शेष | 0.00 | 0.00 |
| 7 | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 73,33,42,106.29 | 83,17,69,943.46 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि | | | |
| अनुसूची संख्या 10 | | | |
| क.भ.नि.- प्रशासन निधि | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 3,31,17,45,81,031.29 | 3,00,21,78,78,898.92 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि | 19,63,20,367.29 | 1,02,92,548.73 |
| 2 | क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित व्यय से अधिक आय | 24,20,77,03,873.55 | 22,08,31,46,497.00 |
| 3 | अन्य | 0.00 | 8,87,25,41,897.04 |
| | जोड़ | 24,40,40,24,240.84 | 30,96,59,80,942.77 |
| घटाएं | | | |
| 1 | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि | 18,72,74,496.50 | 42,78,767.40 |
| 2 | कभनि प्रशासन निधि के व्यय एवं आय खाते से वर्ष के दौरान अंतरित किया गया आय से अधिक व्यय | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अन्य | | 50,00,043.00 |
| | जोड़ | 18,72,74,496.50 | 92,78,810.40 |
| | 31 मार्च को शेष | 3,55,39,13,30,775.64 | 3,31,17,45,81,031.29 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची संख्या 11 | | | |
| स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 5,27,57,97,222.47 | 4,52,33,35,303.39 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज | 1,36,96,86,345.05 | 1,27,51,49,477.82 |
| 2 | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 41,95,22,979.45 | 39,29,80,311.19 |
| 3 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 35,65,500.00 | 30,01,500.00 |
| 4 | बचत खाता पर ब्याज | 17,927.00 | 16,310.00 |
| 5 | ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 3,27,388.75 |
| 6 | पिछले वर्ष अर्जित ब्याज कम बताया गया | | 1,36,30,425.16 |
| | जोड़ | 1,79,27,92,751.50 | 1,68,51,05,412.92 |
| घटाएं : | | | |
| 1 | सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज | 84,55,35,250.00 | 92,36,23,952.24 |
| 2 | निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज | 37,99,929.24 | 90,19,541.60 |
| 3 | ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 84,93,35,179.24 | 93,26,43,493.84 |
| | 31 मार्च को शेष | 6,21,92,54,794.73 | 5,27,57,97,222.47 |
| अनुसूची संख्या 12 | | | |
| भवन निर्माण निधि: | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 0.00 | 8,87,25,41,897.04 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| 2 | निधि में जमा किया गया ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : | | | |
| | क.भ.नि. प्रशासनिक निधि में वापस लिखा गया | | 8,87,25,41,897.04 |
| | 31 मार्च को शेष | 0.00 | 0.00 |
| अनुसूची संख्या 13 | | | |
| क स्टाफ भविष्य निधि: | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 11,53,83,28,364.29 | 11,39,80,53,164.66 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित) | 1,91,89,83,471.40 | 2,00,38,07,318.00 |
| 2 | सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज | 84,51,94,646.00 | 92,33,28,461.24 |
| 3 | अन्य प्राप्तियां | 1,42,65,71,302.00 | 78,16,22,543.39 |
| | जोड़ | 4,19,07,49,419.40 | 3,70,87,58,322.63 |
| घटाएं : | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा | 2,34,41,77,142.00 | 2,58,72,34,123.00 |
| 2 | सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी | 0.00 | 0.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण | 27,11,16,980.80 | 24,47,61,558.00 |
| 4 | अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण) | 1,44,37,33,256.00 | 73,64,87,442.00 |
| | जोड़ | 4,05,90,27,378.80 | 3,56,84,83,123.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 11,67,00,50,404.89 | 11,53,83,28,364.29 |
| ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता : | | | |
| | प्रारंभिक शेष | 61,57,19,081.55 | 66,08,54,182.94 |
| जोड़े : | | | |
| | क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि | 1,44,37,33,256.00 | 73,64,87,442.00 |
| | जोड़ | 2,05,94,52,337.55 | 1,39,73,41,624.94 |
| घटाएं : अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि | | 1,42,65,71,302.00 | 78,16,22,543.39 |
| | 31 मार्च को शेष | 63,28,81,035.55 | 61,57,19,081.55 |
| ग. एसपीएफ खाता से कभनि प्रशा खाता में देय राशि | | 7,33,23,21,711.36 | 6,48,20,97,821.96 |
| | जोड़ (क+ख+ग) | 19,63,52,53,151.80 | 18,63,61,45,267.80 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| अनुसूची संख्या 14 | | |
| स्टाफ पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि | | |
| प्रारंभिक शेष | 1,85,37,09,03,631.23 | 1,51,73,02,75,201.43 |
| जोड़े : | | |
| 1 खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय) | 26,73,23,06,924.45 | 22,85,55,00,000.00 |
| 2 बचत खाता पर वसूल किया गया ब्याज | 26,94,842.00 | 20,76,539.00 |
| 3 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज | 9,82,57,34,939.20 | 8,22,37,73,885.28 |
| 4 निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज | 3,33,94,87,362.78 | 2,66,63,63,484.77 |
| 5 निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 1,81,02,400.00 | 1,46,24,400.00 |
| 6 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 52,50,811.82 |
| 7 क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि प्रभार खाता - क्षेत्रीय) से दी गई राशि | 7,60,59,40,236.52 | 6,82,01,02,546.17 |
| 8 पिछले वर्ष अर्जित ब्याज कम करके आंका गया/पिछले वर्ष समायोजन | 5,22,700.00 | 5,12,06,226.13 |
| जोड़ | 47,52,47,89,404.95 | 40,63,88,97,893.17 |
| घटाएं : | | |
| 1 क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान | 7,60,59,40,236.52 | 6,82,01,02,546.17 |
| 2 वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज | 2,24,81,144.50 | 17,81,66,917.20 |
| 3 ईटीएफ प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ | 7,62,84,21,381.02 | 6,99,82,69,463.37 |
| 31 मार्च को शेष | 2,25,26,72,71,655.16 | 1,85,37,09,03,631.23 |
| अनुसूची संख्या 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | | |
| I-वर्तमान दायित्व | | |
| 1 नई पेंशन योजना का देय अंशदान | 81,01,147.51 | 17,57,012.94 |
| 2 देय एन.पी.एस. पर बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| 3 रिफंडेबल प्रतिभूति जमा | 2,43,14,558.57 | 2,05,04,477.32 |
| 4 ग्रुप बीमा योजना (नया) | 53,09,813.82 | 51,24,147.82 |
| 5 विविध जमा: | | |
| क. क्षेत्रीय: | | |
| क उच्चत खाता (प्रशासन निधि) | 30,12,91,821.45 | 23,33,74,038.94 |
| ख. केंद्रीय: | | |
| क खाता सं.8 में (स्टाफ भविष्य निधि खाता) अतिरिक्त जमा | 3,21,85,494.88 | 3,21,85,494.88 |
| ख खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता) में अतिरिक्त जमा | 8,29,781.01 | 8,29,781.01 |
| ग क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि | 0.00 | 0.00 |
| 6 रोकड़ बही शेष | | |
| भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट) | | |
| क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय) | 35,14,78,173.34 | 39,25,89,065.25 |
| क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता) | 0.00 | 0.00 |
| खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी खाता) | 0.00 | 0.00 |
| मुख्यालय | 4,55,63,206.44 | 1,81,27,187.44 |
| पीडीनास | 1,62,52,476.00 | 55,13,858.00 |
| क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण | 0.00 | 0.00 |
| 7 खाता सं. 24 से प्राप्त कुल अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के समानुपातिक (1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) | 79,33,44,560.51 | 1,11,84,52,880.20 |
| 8 अन्य (पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि निवेश खाते में अतिरिक्त जमा) | 0.00 | |
| 9 एबीआरवाई लाभों की वसूली श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को वापस की जाएगी | 39,67,11,335.00 | 0.00 |
| जोड़ | 1,97,53,82,368.53 | 1,82,84,57,943.80 |

| अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
| II - प्रावधान | | | |
| क | खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| ख | देय किराया, दर एवं करों के लिए प्रावधान (एसपीएफ टीडीएस देय) | 4,97,058.00 | 2,59,476.00 |
| ग | अन्य देय व्यय | 1,79,80,81,496.38 | 1,42,25,99,361.42 |
| जोड़ | | 1,79,85,78,554.38 | 1,42,28,58,837.42 |
| 31 मार्च को शेष | | 3,77,40,13,992.16 | 3,25,13,16,781.22 |
| क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि | | | |
| अनुसूची संख्या 16 | | | |
| क.नि.स.बी. प्रशासन निधि | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 40,75,90,79,152.91 | 38,36,13,33,285.89 |
| जोड़े : | | | |
| 1 | क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अग्रेषित व्यय से आय की राशि | 2,52,46,51,817.41 | 2,39,77,45,867.02 |
| 31 मार्च को शेष | | 43,28,37,30,970.32 | 40,75,90,79,152.91 |
| अनुसूची संख्या 17- वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | | | |
| क. विविध जमा: | | | |
| 1 | खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अतिरिक्त जमा | 87,03,228.97 | 1,27,87,746.47 |
| 2 | खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अतिरिक्त जमा | 4,83,68,578.52 | 4,83,68,577.89 |
| ख. | खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय कुल प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%) | 0.00 | 0.00 |
| ग. | रोकड बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट) | | |
| | खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) | 6,44,090.77 | 6,64,674.83 |
| | खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) | 53,78,08,368.66 | 53,63,73,634.33 |
| घ. | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| 31 मार्च को शेष | | 59,55,24,266.92 | 59,81,94,633.52 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 | | | |
| अनुसूची संख्या 18 | | | |
| कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश | | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,30,50,94,70,17,089.00 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|---|------------------------------|------------------------------|
| अनुसूची संख्या 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम) | | | |
| I - चालू परिसंपत्तियां | | | |
| 1 | मार्गस्थ राशि : | | |
| | खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय) | 1,92,60,30,487.43 | 4,49,79,15,128.43 |
| 2 | रोकड़ बही शेष | | |
| | भारतीय स्टेट बैंक | | |
| | खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| | खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| | क.भ.नि. निवेश खाता (स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक) | 1,33,71,23,508.77 | 76,09,50,047.62 |
| 3 | प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज | | |
| क | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 2,46,09,25,00,578.56 | 2,02,50,19,88,504.52 |
| ख | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 8,96,67,94,569.99 | 7,00,56,79,769.85 |
| ग | एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज | 4,59,80,87,750.00 | 2,11,65,14,998.36 |
| 4 | विविध नामें: | | |
| क | उचंत खाता (अवर्गीकृत) | | |
| | उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.) | 79,10,24,371.28 | 1,13,26,29,174.72 |
| ख | अनियमित भुगतान | 70,80,67,213.35 | 9,93,72,458.82 |
| ग | अधिक भुगतान | 4,34,40,279.02 | 25,19,06,758.54 |
| घ | खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें : | | |
| i | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण | | |
| | के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि | 44,70,07,726.70 | 44,70,07,726.70 |
| ii | बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें | 29,06,74,355.38 | 1,68,84,235.38 |
| iii | खाता 5 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत | 3,67,26,624.29 | 3,67,26,624.29 |
| 5 | क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि | 0.00 | 0.00 |
| 6 | क.पें.यो.फंड से प्राप्य राशि (पीएमआरपीवाई) | 4,48,62,02,533.00 | 4,48,62,02,533.00 |
| 7 | सरकार से प्राप्य राशि। (पीएमआरपीवाई) | 3,06,12,07,405.00 | 3,06,12,07,405.00 |
| 8 | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | जोड़ | 2,72,78,48,87,402.77 | 2,26,41,49,85,365.23 |
| II - ऋण एवं अग्रिम | | | |
| | विशेष रिजर्व निधि (वसूलनीय) : | | |
| | पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष | 69,46,98,987.62 | 69,46,98,987.62 |
| जोड़े : | वर्ष के दौरान सदस्यों को भुगतान की गई राशि | 0.00 | 0.00 |
| घटाएं : | नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि | 16,28,829.00 | - |
| | जोड़ | 69,30,70,158.62 | 69,46,98,987.62 |
| | 31 मार्च को शेष | 2,73,47,79,57,561.39 | 2,27,10,96,84,352.85 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | | | |
| अनुसूची संख्या 20 | | | |
| कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश | | 87,59,55,78,07,809.97 | 77,03,08,05,95,145.84 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| अनुसूची संख्या 21- चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | | | |
| क | रोकड बही शेष: | | |
| 1 | खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| | खाता संख्या 10 (पेंशन संवितरण बचत बैंक खाता) | 3,81,88,06,513.64 | 0.00 |
| 2 | खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेश खाते में शेष (एससीबी) | 54,50,48,631.13 | 29,52,66,177.30 |
| ख | विविध नामें: | | |
| 1 | खाता सं. 10 (क.पें.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय) | 1,27,93,36,593.57 | 1,22,03,48,524.01 |
| 2 | खाता सं. 11 (क.पें.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय) | 6,95,28,579.80 | 19,24,86,061.31 |
| 3 | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि | 20,17,63,057.60 | 20,17,63,057.60 |
| 4 | खाता 11 को डेबिट की गई परंतु खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत | 1,01,38,839.20 | 1,01,38,839.20 |
| ग | प्रेषण में मार्गस्थ राशि | 66,95,63,342.68 | 1,66,79,71,362.68 |
| घ | प्राप्य क.पें.यो. निवेश निधि पर ब्याज | | |
| 1 | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 1,05,56,16,66,252.63 | 91,50,14,87,603.61 |
| 2 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 3,35,04,91,761.65 | 2,60,11,67,761.65 |
| 3 | एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज | 1,04,26,38,966.00 | 53,03,09,840.55 |
| 4 | भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज | 4,24,92,00,000.00 | 3,41,39,00,000.00 |
| 5 | न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| ङ | केंद्र सरकार से प्राप्य पेंशन अंशदान | 2,33,40,65,070.00 | 22,56,78,896.00 |
| च | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 1,23,13,22,47,607.90 | 1,01,86,05,18,123.91 |
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | |
| अनुसूची संख्या 22 | | | |
| | क.नि.स.बी. अंशदान निधि- निवेश | 4,56,15,51,55,189.62 | 4,11,67,86,12,071.97 |
| अनुसूची संख्या 23-चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | | | |
| क | रोकड बही शेष: | | |
| 1 | खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय) | 0.00 | 3,77,02,590.30 |
| 2 | खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेश खाते में शेष राशि (एससीबी) | 23,34,112.90 | 3,97,72,335.45 |
| ख | प्रेषण में मार्गस्थ राशि : | | |
| 1 | खाता सं. 21 से 25 | 9,74,96,579.96 | 9,74,96,579.96 |
| 2 | बैंक से खाता सं. 25 | 5,32,224.15 | 5,32,224.15 |
| ग | विविध नामें: | | |
| 1 | खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय) | 10,90,48,310.07 | 10,71,70,924.35 |
| 2 | खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय) | 1,65,96,357.50 | 2,39,87,768.04 |
| 3 | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में दी गई अतिरिक्त राशि | 1,35,47,809.14 | 1,35,47,809.14 |
| घ | प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर ब्याज | | |
| 1 | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 5,06,75,26,735.72 | 4,52,77,91,374.58 |
| 2 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 7,95,69,635.62 | 6,23,11,635.62 |
| 3 | एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज | 8,46,81,338.00 | 5,83,71,050.96 |
| 4 | भारत सरकार के लोक लेखा पर प्राप्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| ङ | अन्य | 0.00 | 0.00 |
| | 31 मार्च को शेष | 5,47,13,33,103.06 | 4,96,86,84,292.55 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|---|----------------------|----------------------|
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि | | | |
| अनुसूची संख्या 24 | | | |
| अचल संपत्तियां | | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 |
| अनुसूची संख्या 25 | | | |
| क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश | | | |
| विशेष जमा खाता | | 3,30,76,53,85,923.27 | 3,08,83,78,95,353.19 |
| एफ.डी.आर. | | 2,32,00,00,000.00 | 2,01,60,00,000.00 |
| 31 मार्च को शेष | | 3,33,08,53,85,923.27 | 3,10,85,38,95,353.19 |
| अनुसूची संख्या 26 | | | |
| क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश | | 25,45,08,90,226.65 | 23,52,15,76,162.60 |
| अनुसूची संख्या 27 | | | |
| क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निधि - निवेश | | 2,21,93,79,56,261.18 | 1,82,70,40,08,517.05 |
| अनुसूची संख्या 28-चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | | | |
| 1 | मार्गस्थ राशि : | | |
| क | क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) | 5,18,03,113.18 | 5,18,03,113.18 |
| ख | खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता) | 1,22,68,499.25 | 1,22,68,499.25 |
| | जोड़ | 6,40,71,612.43 | 6,40,71,612.43 |
| 2 | रोकड बही शेष | | |
| (क) | भारतीय स्टेट बैंक : | | |
| क | क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय) | 0.00 | 0.00 |
| ख | क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) | 3,11,37,777.12 | 25,28,49,877.60 |
| ग | खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता) | 5,295.70 | 1,18,15,615.40 |
| घ | खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेजुटी खाता) | 9,949.24 | 8,503.45 |
| ङ | मुख्यालय | 0.00 | 0.00 |
| च | पीडीनास | 0.00 | 0.00 |
| छ | क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण | 43,21,27,997.57 | 40,81,60,453.57 |
| | जोड़ | 46,32,81,019.63 | 67,28,34,450.02 |
| (ख) | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक: | | |
| क | स्टाफ भविष्य निधि निवेश खाता | 2,62,601.36 | 19,80,168.96 |
| ख | स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी निवेश खाता | 6,56,503.80 | 95,88,735.98 |
| | जोड़ | 9,19,105.16 | 1,15,68,904.94 |
| (ग) | अग्रदाय लेखा | 3,41,818.90 | 3,09,552.90 |
| 3 | विविध नामें: | | |
| | उचत खाता (अवर्गीकृत) | | |
| क | उचत खाता (प्रशासन निधि) | 15,92,28,790.97 | 18,49,96,427.30 |
| 4 | खाता नं. 8 एवं 9 को त्रुटिपूर्ण नामें: | | |
| क | खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के मामले में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक राशि दर्ज | 2,04,38,794.97 | 2,04,38,794.97 |
| ख | खाता सं.8 (स्टाफ भ.नि. खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें | 1,78,339.00 | 5,05,727.75 |
| ग | खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन सह-ग्रेजुटी खाता) में किए गए त्रुटिपूर्ण नामें | 0.00 | 52,50,811.82 |
| | जोड़ | 17,98,45,924.94 | 21,11,91,761.84 |

अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 5 | <u>वसुलनीय अग्रिम (स्टाफ)</u> | | |
| क | वाहन अग्रिम | 18,26,385.80 | 50,08,393.86 |
| ख | गृह निर्माण अग्रिम | 34,32,44,898.97 | 27,70,26,144.58 |
| ग | पंखा अग्रिम | 434.00 | 64,704.00 |
| घ | गरम कपडा अग्रिम | 0.00 | 1,234.75 |
| ङ | त्योहार अग्रिम | 12,10,785.84 | 5,65,890.88 |
| च | प्राकृतिक विपदा अग्रिम | 4,56,054.89 | 1,96,400.45 |
| छ | वेतन का अग्रिम | 25,63,187.19 | -11,60,493.27 |
| ज | डी.ए./ टी.ए. अग्रिम | 28,36,113.55 | 1,53,14,467.94 |
| झ | अनाज अग्रिम | 0.00 | 0.00 |
| ञ | स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अग्रिम | 1,17,500.00 | 1,91,444.00 |
| ट | कंप्यूटर अग्रिम | 2,34,53,001.74 | 2,10,05,664.57 |
| ठ | असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना | 0.00 | 0.00 |
| ड | विविध भुगतान | 41,35,656.30 | 35,88,014.30 |
| | जोड़ | 37,98,44,018.28 | 32,18,01,866.06 |
| 6 | <u>पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय</u> | 0.00 | 0.00 |
| 7 | <u>प्राप्य क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज</u> | | |
| | विशेष जमा खाता पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| | विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| | एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज | 17,88,46,404.00 | 9,12,11,572.60 |
| 8 | <u>प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज</u> | | |
| | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 41,95,22,979.45 | 39,29,80,311.19 |
| | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 35,65,500.00 | 30,01,500.00 |
| 9 | <u>प्राप्य पेंशन सह-ग्रेच्युटी निधि में निवेश पर ब्याज</u> | | |
| | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 3,33,94,87,362.78 | 2,66,63,63,484.77 |
| | निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज | 1,81,02,400.00 | 1,46,24,400.00 |
| 10 | खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | सुरक्षा जमा (पार्टियों को अग्रिम) | 3,56,65,884.19 | 3,52,79,431.19 |
| 12 | अन्य (रिफंडेबल टीडीएस) | | |
| 13 | एजेंसियों / ठेकेदारों को अग्रिम (पूजी कार्य) | 1,14,32,70,073.42 | 88,49,25,784.42 |
| 14 | स्टाफ को भुगतान किए गए अग्रिमों पर वसूली योग्य उपाजित ब्याज | 9,86,77,264.18 | 5,86,91,475.83 |
| 15 | एसपीएफ खाते से प्राप्य राशि | 7,33,23,21,711.36 | 6,48,08,90,321.96 |
| | 31 मार्च को शेष | 13,65,77,63,078.72 | 11,90,97,46,430.15 |

| अनुसूचियां जो तुलनपत्र का भाग है | | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|---|--|---------------------|----------------------|
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 - प्रशासन निधि</u> | | | | |
| अनुसूची संख्या 29 | | | | |
| <u>क.नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश</u> | | | | |
| | विशेष जमा खाते | | 43,03,79,03,334.34 | 40,18,47,83,692.19 |
| अनुसूची संख्या 30-वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | | | | |
| क | रोकड़ बही शेष : | | | |
| 1 | लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय) | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय) | | 0.00 | 0.00 |
| ख | मार्गस्थ प्रेषण : | | | |
| 1 | लेखा संख्या 22 से 24 | | 1,54,34,043.77 | 1,54,34,043.77 |
| ग | विविध नामे : | | | |
| 1 | लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय) | | 40,75,530.26 | 1,01,55,290.91 |
| 2 | लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय) | | 1,18,89,647.32 | 1,18,39,758.32 |
| 3 | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में गणना की गई अतिरिक्त राशि | | 1,66,08,121.04 | 1,66,08,121.04 |
| घ | <u>क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्ति योग्य ब्याज</u> | | | |
| | निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज | | 0.00 | 0.00 |
| | निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज | | 0.00 | 0.00 |
| ङ | क.नि.स.बी. अंशदान लेख से प्राप्ति योग्य राशि | | 0.00 | 0.00 |
| च | जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग) लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय) | | 79,33,44,560.51 | 1,11,84,52,880.20 |
| छ | अन्य | | 0.00 | 0.00 |
| 31 मार्च को शेष | | | 84,13,51,902.91 | 1,17,24,90,094.24 |

| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | | | |
|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा | | | |
| | | | राशि (रूपए) |
| आय | अनुसूची | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 | | | |
| क.भ.नि. - अंशदान निधि | | | |
| ब्याज से आय | 31 | 11,42,95,69,42,139.19 | 9,43,57,22,97,777.76 |
| वर्ष के दौरान अन्य आय | 32 | 12,13,20,59,405.46 | 9,03,81,24,957.85 |
| कुल आय- क.भ.नि. अंशदान निधि (क) | | 11,55,08,90,01,544.65 | 9,52,61,04,22,735.61 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | | | |
| क.पें.नि. - अंशदान निधि | | | |
| पेंशन अंशदान से आय | 33 | 7,17,80,40,89,074.71 | 6,48,85,60,59,493.24 |
| ब्याज से आय | 34 | 5,86,68,72,71,272.05 | 5,21,71,00,10,942.82 |
| अन्य आय | 35 | 8,63,62,24,916.99 | 5,64,20,52,588.65 |
| कुल आय- पेंशन निधि (ख) | | 13,13,12,75,85,263.75 | 11,76,20,81,23,024.71 |
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | |
| क.नि.स.बी. अंशदान निधि | | | |
| नियोक्ताओं के अंशदान से आय | | 33,58,10,01,838.11 | 30,30,84,97,211.12 |
| ब्याज से आय | 36 | 31,53,15,47,331.44 | 28,77,59,36,806.75 |
| अन्य आय | 37 | 53,80,49,459.31 | 50,02,89,676.84 |
| कुल आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग) | | 65,65,05,98,628.86 | 59,58,47,23,694.71 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 | | | |
| क.भ.नि. - प्रशासन निधि | | | |
| वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय | 38 | 60,71,00,11,049.47 | 53,74,88,20,365.16 |
| ब्याज से आय | 39 | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%) | | 59,41,97,499.60 | 52,90,77,061.48 |
| अन्य आय-विविध प्राप्ति | | 21,86,56,713.40 | 6,93,90,282.68 |
| कुल आय-क.भ.नि.प्रशासन निधि(घ) | | 83,63,27,07,688.82 | 74,99,08,52,644.68 |
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | |
| क.नि.स.बी. प्रशासन निधि | | | |
| वर्ष के दौरान अंशदान, शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज से आय | 40 | 26,61,12,832.57 | 28,14,01,051.62 |
| ब्याज से आय | 41 | 2,85,31,26,759.44 | 2,64,06,75,640.66 |
| अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) से प्राप्ति | | 178.40 | 2,86,923.22 |
| अन्य आय -लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा -केन्द्रीय) से प्राप्ति | | - | 50,00,043.00 |
| कुल आय-क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (ङ) | | 3,11,92,39,770.41 | 2,92,73,63,658.50 |

| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | | | |
|---|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा | | | |
| | | | राशि (रूपए) |
| व्यय | अनुसूची | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 | | | |
| क.भ.नि. - अंशदान निधि | | | |
| सदस्यों को ब्याज भुगतान | 42 | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| प्रतिभूतियों की खरीद हेतु विक्रेताओं को ब्याज भुगतान | | 5,06,29,87,515.53 | 10,44,78,27,257.85 |
| ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन | | (38,07,66,352.94) | - |
| विशेष आरक्षित निधि पर उपाजित ब्याज | | 42,48,71,394.80 | 38,80,91,944.98 |
| ओवरड्राफ्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान | | 1,18,73,96,460.22 | 70,44,32,069.41 |
| विविध- जमाओं पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यासों को वापसी | | - | - |
| कुल व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1) | | 10,79,12,50,89,017.61 | 9,09,87,69,51,272.24 |
| I -व्यय (क-1) से अधिक आय (क) तुलनपत्र में अग्रेषित | | 75,96,39,12,527.04 | 42,73,34,71,463.37 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | | | |
| क.पें.यो. - अंशदान निधि | | | |
| जाने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि | 43 | 2,30,28,28,83,883.39 | 2,21,12,82,42,371.69 |
| पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन | | 2,49,45,32,267.24 | 1,46,07,01,620.24 |
| निवेशों(प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान | | 2,37,66,76,444.16 | 4,77,55,05,083.76 |
| ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन | | (10,11,56,416.47) | - |
| अन्य भुगतान | | | |
| लेखा सं-10 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय) | | (1,14,41,082.12) | 1,59,47,808.96 |
| लेखा सं-11 (क.पें.यो अंशदान लेखा सं- केंद्रीय) | | - | - |
| ओवरड्राफ्ट पर बैंकों को ब्याज का भुगतान | | 36,69,59,970.07 | 21,89,55,340.02 |
| कुल व्यय- पेंशन निधि (ख-1) | | 2,35,40,84,55,066.27 | 2,27,59,93,52,224.67 |
| II -व्यय (ख-1) से अधिक आय (ख) तुलनपत्र में अग्रेषित | | 10,77,71,91,30,197.48 | 9,48,60,87,70,800.04 |
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | |
| क.नि.स.बी.अंशदान निधि | | | |
| बीमा लाभ भुगतान | | 20,51,83,73,943.55 | 21,33,91,38,648.08 |
| निवेशों (प्रतिभूतियों) की खरीद पर उपाजित ब्याज का भुगतान | | 1,93,22,482.76 | 14,42,21,750.00 |
| ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर नुकसान / पिछले वर्ष का समायोजन | | (7,54,497.65) | - |
| अन्य भुगतान | | | |
| लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- क्षेत्रीय) | | 5,81,952.50 | 60,581.20 |
| लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. अंशदान लेखा सं- केंद्रीय) | | - | - |
| ओवरड्राफ्ट पर बैंकों को ब्याज का भुगतान | | 3,54,54,982.37 | 2,41,20,978.03 |
| कुल व्यय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि (ग-1) | | 20,57,29,78,863.53 | 21,50,75,41,957.31 |
| III-व्यय (ग-1) से अधिक आय (ग) तुलनपत्र में अग्रेषित | | 45,07,76,19,765.33 | 38,07,71,81,737.40 |

| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा | | | |
| <u>कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952</u> | | राशि रूपय में | |
| क.भ.नि. - प्रशासन निधि - (क.भ.नि.सं. का 100% व्यय) | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
| <u>क-स्थापना व्यय</u> | | | |
| अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस | | 14,08,68,54,634.47 | 13,45,80,69,164.39 |
| भत्ते तथा मानदेय | | 3,37,38,45,986.00 | 3,33,08,57,857.00 |
| अनुदान - कल्याण निधि आदि | | 12,13,11,495.00 | 11,96,11,233.00 |
| स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटि निधि में अंशदान | | 34,33,29,40,236.52 | 29,67,56,02,546.17 |
| स्टाफ भ.नि., ई.डी.एल.आई. लाभ | | 5,70,333.00 | 7,07,253.00 |
| एन.पी.एस. के लिए बोर्ड का हिस्सा | | 94,05,96,869.34 | 73,51,00,347.87 |
| एन.पी.एस. अंशदान पर ब्याज | | 23,53,641.00 | 416.00 |
| एन.पी.एस. के लिए सेवा प्रभार | | 7,88,480.00 | -30,898.56 |
| टीए एवं एल.टी.सी | | 6,68,25,730.00 | 9,70,85,660.80 |
| जोड़ क | | 52,92,60,87,405.33 | 47,41,70,03,579.67 |
| <u>ख-अन्य प्रशासनिक व्यय</u> | | | |
| विद्युत पर खर्च | | 33,47,87,581.75 | 31,09,28,893.20 |
| डाक पर खर्च | | 5,81,14,577.00 | 5,11,31,425.00 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | | 16,70,47,531.00 | 13,92,92,963.23 |
| किराया, दर तथा कर | | 38,70,02,544.19 | 33,87,54,049.14 |
| वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च | | 1,08,42,647.00 | 1,05,72,659.00 |
| दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रभार | | 8,56,53,563.09 | 8,16,40,595.51 |
| बीमा खर्च | | | |
| जल प्रभार | | 1,31,26,091.00 | 87,73,131.00 |
| आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान | | 1,51,44,79,112.00 | 1,23,05,60,226.00 |
| लेखापरीक्षा शुल्क | | 1,07,70,100.00 | 40,38,936.00 |
| विधि प्रभार | | 10,71,82,800.00 | 11,67,46,197.00 |
| परामर्श व्यय | | 7,80,06,160.14 | 1,03,95,633.00 |
| वाहन किराया | | 11,98,74,946.00 | 10,16,73,262.00 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | | 9,26,06,532.00 | 3,51,39,785.00 |
| ए.एम.सी.-कम्प्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण | | 1,13,74,22,215.22 | 1,04,97,82,334.41 |
| यात्रा खर्च | | 25,71,92,622.50 | 19,69,77,433.52 |
| अन्य प्रभार (आवर्ती/अनावर्ती) | | 28,62,82,900.47 | 30,41,63,426.32 |
| बैंक कमिशन एवं टी.टी. प्रभार | | 82,25,47,989.03 | 77,89,33,143.98 |
| कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव | | 39,84,35,175.00 | 26,99,51,466.00 |
| अचल संपत्ति का निवल हास | | 55,28,31,746.80 | 41,58,92,253.94 |
| परिसंपत्तियों के परिसमापन पर हानि/लाभ | | 4,21,002.30 | -19,25,654.54 |
| भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान | | 0.00 | 0.00 |
| ओवरड्राफ्ट पर बैंकों का ब्याज का भुगतान | | 6,43,41,642.69 | 3,72,80,409.31 |
| जोड़ ख | | 6,49,89,69,479.18 | 5,49,07,02,568.02 |
| कुल व्यय - क.भ.नि. प्रशासन निधि (घ-1) | | 59,42,50,56,884.51 | 52,90,77,06,147.69 |
| IV-व्यय (घ-1) से अधिक आय (घ) तुलनपत्र में अग्रपिष्ट | | 24,20,77,03,873.55 | 22,08,31,46,497.00 |
| <u>कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976</u> | | | |
| <u>क.नि.स.बी. प्रशासन निधि</u> | | | |
| क.भ.नि.सं. के कुल प्रशासनिक व्यय में समानुपातिक अंश (1 प्रतिशत) | | 59,42,50,568.85 | 52,90,77,061.48 |
| <u>अन्य भुगतान:</u> | | | |
| लेखा सं-22 | | 3,37,384.15 | 5,40,730.00 |
| लेखा सं-24 | | - | - |
| कुल व्यय क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (इ-1) | | 59,45,87,953.00 | 52,96,17,791.48 |
| V- व्यय (इ-1) से अधिक आय (इ) तुलनपत्र में अग्रपिष्ट | | 2,52,46,51,817.41 | 2,39,77,45,867.02 |
| क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V) | | 12,25,49,30,18,180.82 | 10,53,90,03,16,364.83 |

हस्ता/-
(संजय पांडेय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| <u>क.भ.नि.अंशदान निधि</u> | | | |
| अनुसूची संख्या. 31 | | | |
| ब्याज से आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज | 7,26,02,26,96,957.03 | 6,22,37,27,03,925.26 |
| 2 | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 2,46,09,25,00,578.56 | 2,02,50,19,88,504.52 |
| 3 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज | 8,96,67,94,569.99 | 7,00,56,79,769.85 |
| 4 | ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 1,57,26,46,49,668.44 | 1,09,57,53,06,005.53 |
| 5 | एफडीआर पर उपाजित ब्याज | 4,59,80,87,750.00 | 2,11,65,14,998.36 |
| 6 | क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज | 1,22,12,615.17 | 34,776.24 |
| 7 | स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज | 0.00 | 69,798.00 |
| 8 | ऋणों पर अंशदाताओं/सदस्यों से प्राप्त ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| 9 | पूर्व वर्षों के लिए ब्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापस लिखा गया | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ | | 11,42,95,69,42,139.19 | 9,43,57,22,97,777.76 |
| अनुसूची संख्या. 32 | | | |
| अन्य आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी | 7,85,76,39,850.11 | 5,47,20,13,523.23 |
| 2 | वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज | 4,27,44,19,555.35 | 3,56,61,11,066.62 |
| 3 | अन्य प्राप्तियां (बचत बैंक खाते पर ब्याज) | 0.00 | 368.00 |
| जोड़ | | 12,13,20,59,405.46 | 9,03,81,24,957.85 |
| <u>क.पं.या. अंशदान निधि</u> | | | |
| अनुसूची संख्या. 33 | | | |
| पेंशन अंशदान से प्राप्त आय | | | |
| 1 | नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान | 6,24,23,92,91,336.03 | 5,61,70,84,28,799.22 |
| 2 | केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान | 91,23,07,32,668.68 | 86,92,19,51,798.02 |
| 3 | केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान | 2,33,40,65,070.00 | 22,56,78,896.00 |
| जोड़ | | 7,17,80,40,89,074.71 | 6,48,85,60,59,493.24 |
| अनुसूची संख्या. 34 | | | |
| ब्याज से आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज | 3,01,60,39,30,377.62 | 2,64,45,50,44,303.27 |
| 2 | निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज | 1,05,56,16,66,252.63 | 91,50,14,87,603.61 |
| 3 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज | 3,35,04,91,761.65 | 2,60,11,67,761.65 |
| 4 | ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 12,29,57,481.51 |
| 5 | एफडीआर पर उपाजित ब्याज | 1,04,26,38,966.00 | 53,03,09,840.55 |
| 6 | भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज | 1,70,87,12,00,000.00 | 1,59,08,47,00,000.00 |
| 7 | भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज | 4,24,92,00,000.00 | 3,41,39,00,000.00 |
| 8 | न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| 9 | न्यूनतम पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति योग्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| 10 | क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज | 81,43,914.15 | 4,43,952.23 |
| जोड़ | | 5,86,68,72,71,272.05 | 5,21,71,00,10,942.82 |
| अनुसूची संख्या. 35 | | | |
| अन्य आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी | 3,61,92,26,880.22 | 2,61,37,48,356.42 |
| 2 | वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू ब्याज | 1,75,55,10,746.52 | 1,56,60,52,074.70 |
| 3 | अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10 | 3,26,14,87,290.25 | 1,46,22,52,153.53 |
| 4 | अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11 | | 4.00 |
| जोड़ | | 8,63,62,24,916.99 | 5,64,20,52,588.65 |

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|--|--|---------------------------|---------------------------|
| क.नि.स.बी. अंशदान निधि | | | |
| अनुसूची संख्या. 36 | | | |
| ब्याज से आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज | 14,23,15,13,707.74 | 12,99,77,66,497.36 |
| 2 | निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज | 5,06,75,26,735.72 | 4,52,77,91,374.58 |
| 3 | निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज | 7,95,69,635.62 | 6,23,11,635.62 |
| 4 | ई.टी.एफ. प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 0.00 | 73,91,430.54 |
| 5 | एफडीआर पर उपार्जित ब्याज | 8,46,81,338.00 | 5,83,71,050.96 |
| 6 | भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्त ब्याज | 12,06,77,00,000.00 | 11,12,23,00,000.00 |
| 7 | भारत सरकार के लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| 8 | क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज | 5,55,914.36 | 4,817.69 |
| जोड़ | | 31,53,15,47,331.44 | 28,77,59,36,806.75 |
| अनुसूची संख्या. 37 | | | |
| अन्य आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी | 20,74,60,187.50 | 16,26,19,372.68 |
| 2 | वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज | 9,86,49,886.34 | 9,27,46,700.97 |
| 3 | लेखा संख्या 21 में अन्य प्राप्तियां | 23,19,39,385.47 | 24,49,23,603.19 |
| 4 | लेखा संख्या 25 में अन्य प्राप्तियां | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ | | 53,80,49,459.31 | 50,02,89,676.84 |
| क.भ.नि. - प्रशासन निधि | | | |
| अनुसूची संख्या 38 | | | |
| वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभार, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार | 56,33,57,05,126.34 | 49,74,29,43,822.99 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि. निरीक्षण प्रभार | 3,65,12,26,278.00 | 3,48,91,39,913.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी | 41,29,76,222.37 | 31,54,68,799.34 |
| 4 | वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज | 31,01,03,422.76 | 20,12,67,829.83 |
| जोड़ | | 60,71,00,11,049.47 | 53,74,88,20,365.16 |
| अनुसूची संख्या. 39 | | | |
| ब्याज से आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज | 21,93,03,60,402.91 | 20,55,21,29,717.61 |
| 2 | अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेश देय ब्याज परंतु पर प्राप्त नहीं | 0.00 | 0.00 |
| 4 | सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज | 17,88,46,404.00 | 9,12,11,572.60 |
| 5 | क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज | 6,35,619.44 | 2,23,645.16 |
| जोड़ | | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| घटाएं: | भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ | | 22,10,98,42,426.35 | 20,64,35,64,935.37 |
| क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि | | | |
| अनुसूची संख्या.40 | | | |
| वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7क्यू ब्याज से हुई आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार | 18,59,89,860.68 | 20,25,33,543.04 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार | 5,36,41,727.90 | 5,51,77,253.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी | 1,78,97,191.63 | 1,62,55,897.60 |
| 4 | वर्ष के दौरान एकत्रित 7 क्यू ब्याज | 85,84,052.36 | 74,34,357.98 |
| जोड़ | | 26,61,12,832.57 | 28,14,01,051.62 |
| अनुसूची संख्या.41 | | | |
| ब्याज से आय | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज | 2,85,31,19,642.15 | 2,64,06,70,432.43 |
| 2 | निवेश पर अर्जित ब्याज परंतु पर देय नहीं | 0.00 | 0.00 |
| 3 | निवेश देय ब्याज परंतु पर प्राप्त नहीं | 0.00 | 0.00 |
| 4 | बचत बैंक खाते पर ब्याज | 7,117.29 | 5,208.23 |
| जोड़ | | 2,85,31,26,759.44 | 2,64,06,75,640.66 |

अनुसूचियां जो आय एवं व्यय लेखा के भाग हैं

| | | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|
| <u>क. भ. नि. अंशदान निधि</u> | | | |
| अनुसूची संख्या.42 | | | |
| सदस्यों को ब्याज का भुगतान | | | |
| 1 | वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित) | 0.00 | 0.00 |
| 2 | वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| 3 | पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| जोड़ | | 10,72,83,06,00,000.00 | 8,98,33,66,00,000.00 |
| <u>क. प. यो. अंशदान निधि</u> | | | |
| अनुसूची सं- 43 | | | |
| सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि | | | |
| 1 | प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ | 80,37,48,29,392.82 | 76,88,66,58,963.34 |
| 2 | जीवन बीमा लाभ | 35,95,788.00 | 0.00 |
| 3 | पेंशन भुगतान | 1,49,90,44,58,702.57 | 1,44,24,15,83,408.35 |
| जोड़ | | 2,30,28,28,83,883.39 | 2,21,12,82,42,371.69 |

निवेश अनुसूची

राशि रु. में

| अनुसूची सं. 18 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | निवेश का प्रकार | आदि शेष | | वर्ष के दौरान निवेशित राशि | छूट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य) | वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य | परिशोधन का मूल्य/ समाशोधन राशि | चाहू मूल्य | | |
| | | अंकित मूल्य | परिशोधित/ लागत मूल्य | | | | | परिशोधित लागत मूल्य | अंकित मूल्य | |
| 1 | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी | 24,71,89,80,91,700.00 | 24,32,85,97,49,859.38 | 1,88,37,66,23,615.00 | 1,19,67,30,000.00 | 60,33,99,04,000.00 | -1,99,86,92,385.58 | 25,64,09,18,91,859.96 | 26,06,13,74,17,700.00 | |
| 2(i) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू. | 22,31,35,56,27,239.00 | 22,30,90,89,79,557.84 | 5,79,51,92,36,900.00 | - | 1,31,49,44,89,661.00 | -10,56,36,510.05 | 26,79,03,93,63,306.89 | 26,79,25,42,37,578.00 | |
| 2(ii) | सीबीएलओ टीआरपीएस | 25,92,06,14,177.02 | 25,92,06,14,177.02 | 40,51,91,15,595.22 | - | - | - | 66,43,97,29,772.24 | 66,43,97,29,772.24 | |
| 3 | निजी प्रतिभूतियां | 7,51,33,64,15,494.00 | 7,51,34,98,43,850.36 | 16,55,00,00,000.00 | - | 67,33,87,437.93 | 36,27,610.58 | 7,67,22,28,28,801.85 | 7,67,21,30,28,056.07 | |
| 4 | सीसीआईएल मार्जिन धन राशि | - | 25,42,00,000.00 | 1,69,88,92,354.07 | - | 90,00,00,000.00 | - | 1,05,30,92,354.07 | - | |
| 5 | राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल. | 56,41,21,55,94,900.00 | 56,40,80,44,16,432.16 | 15,71,54,04,25,621.00 | 13,31,97,90,000.00 | 1,87,14,07,28,700.00 | 1,30,25,82,369.71 | 70,37,22,13,20,983.45 | 70,36,91,37,96,200.00 | |
| 6 | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी | 1,42,88,15,61,101.00 | 1,42,96,66,18,903.57 | 7,50,00,00,000.00 | 4,11,00,000.00 | 17,52,66,44,299.00 | 3,71,22,681.85 | 1,32,94,39,51,922.72 | 1,32,89,60,16,802.00 | |
| 7 | विशेष जमा योजना-एस.डी.एल. | 5,39,18,25,26,084.98 | 5,39,18,25,26,084.98 | - | 1,62,47,11,877.38 | - | - | 5,40,80,72,37,962.36 | 5,40,80,72,37,962.36 | |
| 8 | लोक लेखा | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | ई.टी.एफ | 12,28,42,01,36,534.77 | 12,28,42,01,36,534.77 | 4,16,50,12,49,969.38 | - | 1,89,50,97,12,626.14 | - | 14,55,41,16,73,878.01 | 14,55,41,16,73,878.01 | |
| 10 | एल.एम.एफ | 10,43,35,31,688.94 | 10,43,35,31,688.94 | - | - | 1,82,62,71,450.01 | - | 8,60,72,60,238.93 | 8,60,72,60,238.93 | |
| 11 | एफ डी आर | 47,84,64,00,000.00 | 47,84,64,00,000.00 | 63,67,00,00,000.00 | - | 47,84,64,00,000.00 | - | 63,67,00,00,000.00 | 63,67,00,00,000.00 | |
| 12 | समाशोधन के अंतर्गत राशि | - | 0.00 | - | - | - | - | (1.13) | - | |
| | जोड़ | 1,30,90,49,04,98,919.70 | 1,30,50,94,70,17,089.00 | 28,85,87,55,44,054.67 | 16,18,23,31,877.38 | 6,37,25,75,38,174.08 | (76,09,96,233.49) | 1,53,16,50,83,51,079.30 | 1,53,57,35,03,98,187.60 | |

*यह सूचित किया जाता है कि 20 जनवरी 2023 को मेसर्स पंजाब खादी मंडल, आदमपुर से एफवी 10,00,000 की सिक्वॉरिटी कोड 723993 प्राप्त हुई थी। ट्रस्ट से क्ष.का. जालंधर द्वारा 300000/- रुपये की आंशिक मोचन राशि वसूल की गई। इसलिए, 31.03.2024 को अंकित मूल्य और परिशोधित मूल्य के सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए इसे परिपक्वता में जोड़ा गया है।

| अनुसूची सं. 20 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| कर्मचारी पेंशन निधि-निवेश | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | निवेश का प्रकार | आदि शेष | | वर्ष के दौरान निवेशित राशि | प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य) | वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य | परिशोधन का मूल्य | चाहू मूल्य | | |
| | | अंकित मूल्य | परिशोधित/लागत मूल्य | | | | | परिशोधित/ लागत मूल्य | अंकित मूल्य | |
| 1 | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी | 12,43,64,82,32,700.00 | 12,28,66,43,62,277.94 | 1,16,82,61,75,000.00 | - | 23,19,16,00,000.00 | (75,01,93,777.24) | 13,23,04,91,31,055.18 | 13,39,46,98,32,700.00 | |
| 2(i) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू. | 9,84,71,56,29,933.00 | 9,84,54,31,32,104.60 | 2,03,96,72,73,320.00 | - | 47,97,18,29,467.00 | (2,90,92,480.39) | 11,40,56,76,68,437.99 | 11,40,68,87,00,466.00 | |
| 2(ii) | सीबीएलओ टीआरपीएस | 12,29,63,75,481.67 | 12,29,63,75,481.67 | 9,03,55,24,029.89 | - | - | - | 21,33,18,99,511.56 | 21,33,18,99,511.56 | |
| 3 | निजी प्रतिभूतियां | 3,28,84,06,12,800.00 | 3,28,84,36,86,918.43 | 6,30,00,00,000.00 | - | 59,10,78,128.62 | 11,01,620.99 | 3,34,55,15,07,168.82 | 3,34,54,95,34,671.38 | |
| 4 | सीसीआईएल मार्जिन धन राशि | - | 5,15,00,000.00 | 10,21,56,445.93 | - | - | - | 15,36,56,445.93 | - | |
| 5 | राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल. | 23,80,85,18,58,100.00 | 23,81,00,17,14,587.45 | 4,72,43,57,17,483.00 | - | 81,03,08,50,300.00 | 52,12,24,231.95 | 27,71,88,53,57,538.50 | 27,71,36,57,57,800.00 | |
| 6 | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी | 49,09,40,00,000.00 | 49,09,77,13,840.59 | 2,50,00,00,000.00 | - | 3,85,70,00,000.00 | 43,57,660.93 | 47,73,63,56,179.66 | 47,73,70,00,000.00 | |
| 7 | विशेष जमा योजना-एस.डी.एल. | 14,00,52,28,022.64 | 14,00,52,28,022.64 | - | - | - | - | 14,00,52,28,022.64 | 14,00,52,28,022.64 | |
| 8 | लोक लेखा | 20,09,35,34,36,012.86 | 20,09,35,34,36,012.86 | 2,55,95,51,00,000.00 | - | - | - | 22,65,30,85,36,012.86 | 22,65,30,85,36,012.86 | |
| 9 | ई.टी.एफ | 6,81,07,20,36,842.69 | 6,81,07,20,36,842.69 | 1,42,54,03,68,190.20 | - | - | - | 8,23,61,24,05,032.89 | 8,23,61,24,05,032.89 | |
| 10 | एल.एम.एफ | 2,16,31,09,056.97 | 2,16,31,09,056.97 | 1,40,29,53,376.43 | - | - | - | 3,56,60,62,433.40 | 3,56,60,62,433.40 | |
| 11 | एफ डी आर | 11,98,83,00,000.00 | 11,98,83,00,000.00 | 13,79,00,00,000.00 | - | 11,98,83,00,000.00 | - | 13,79,00,00,000.00 | 13,79,00,00,000.00 | |
| 12 | समाधान के अंतर्गत राशि | - | - | - | - | - | - | (29.46) | - | |
| | जोड़ | 77,18,02,88,18,949.83 | 77,03,08,05,95,145.84 | 12,24,85,52,67,845.45 | - | 1,68,63,06,57,895.62 | (25,26,02,743.76) | 87,59,55,78,07,809.97 | 87,75,42,49,56,650.73 | |

| अनुसूची सं. 22 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-निवेश | | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | निवेश का प्रकार | आदि शेष | | वर्ष के दौरान निवेशित राशि | प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य) | वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य | परिशोधन का मूल्य | चाहू मूल्य | | |
| | | अंकित मूल्य | परिशोधित/लागत मूल्य | | | | | परिशोधित/ लागत मूल्य | अंकित मूल्य | |
| 1 | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी | 44,85,69,97,000.00 | 44,42,21,52,349.43 | 2,79,52,70,000.00 | - | 1,06,27,00,000.00 | (3,51,12,216.84) | 46,18,98,34,566.27 | 46,59,42,97,000.00 | |
| 2(i) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू. | 54,51,66,30,000.00 | 54,51,04,25,131.46 | 9,34,02,59,800.00 | - | 2,53,89,40,000.00 | (4,74,590.24) | 61,31,22,19,521.70 | 61,31,76,90,000.00 | |
| 2(ii) | सीबीएलओ टीआरपीएस | 1,08,29,99,158.00 | 1,08,29,99,158.00 | 28,94,57,547.59 | - | - | - | 1,37,24,56,705.59 | 1,37,24,56,705.59 | |
| 3 | निजी प्रतिभूतियां | 11,60,58,94,650.00 | 11,60,94,09,927.71 | 25,00,00,000.00 | - | 10,65,31,476.76 | 10,12,291.79 | 11,75,18,66,159.16 | 11,74,93,63,173.24 | |
| 4 | सीसीआईएल मार्जिन मनी | - | 7,54,500.00 | 7,54,500.00 | - | - | - | 7,54,500.00 | - | |
| 5 | राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल. | 1,23,63,32,02,000.00 | 1,23,80,15,00,714.04 | 23,03,73,89,000.00 | - | 5,89,76,13,000.00 | 3,60,46,552.44 | 1,40,90,52,30,161.60 | 1,40,75,59,79,000.00 | |
| 6 | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी | 2,30,50,00,000.00 | 2,30,88,95,906.82 | - | - | - | 13,04,141.33 | 2,30,75,91,765.49 | 2,30,50,00,000.00 | |
| 7 | विशेष जमा योजना-एस.डी.एल. | 2,49,76,309.05 | 2,49,76,309.05 | - | - | - | - | 2,49,76,309.05 | 2,49,76,309.05 | |
| 8 | लोक लेखा | 1,41,97,32,30,388.14 | 1,41,97,32,30,388.14 | 12,06,77,00,000.00 | - | - | - | 1,54,04,09,30,388.14 | 1,54,04,09,30,388.14 | |
| 9 | ई.टी.एफ | 30,58,73,32,867.99 | 30,58,73,32,868.29 | 6,40,71,85,908.61 | - | - | - | 36,99,45,18,776.90 | 36,99,45,18,776.60 | |
| 10 | एल.एम.एफ | 4,17,74,552.03 | 4,17,74,552.03 | 9,28,87,019.04 | - | - | - | 13,46,61,571.07 | 13,46,61,571.07 | |
| 11 | एफ डी आर | 1,31,59,14,767.00 | 1,31,59,14,767.00 | 1,12,00,02,419.00 | - | 1,31,58,02,419.00 | - | 1,12,01,14,767.00 | 1,12,01,14,767.00 | |
| 12 | समाधान के अंतर्गत राशि | - | - | - | - | - | - | (2.35) | - | |
| | जोड़ | 4,11,94,39,51,692.22 | 4,11,67,86,12,071.98 | 55,40,09,06,194.24 | - | 10,92,15,86,895.76 | 27,76,178.48 | 4,56,15,51,55,189.63 | 4,56,40,99,87,690.70 | |

निवेश अनुसूची

| अनुसूची सं.26 | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| क.भ.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश | | | | | | | | |
| क्र.सं | निवेश का प्रकार | आदि शेष | | वर्ष के दौरान निवेशित राशि | वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य | परिशोधन का मूल्य | चासू मूल्य | |
| | | अंकित मूल्य | परिशोधित /लागत मूल्य | | | | परिशोधित /लागत मूल्य | अंकित मूल्य |
| 1 | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी | 4,70,28,21,000.00 | 4,66,52,76,876.45 | 19,72,05,000.00 | 6,34,00,000.00 | (43,09,567.46) | 4,80,33,91,443.91 | 4,83,94,21,000.00 |
| 2(i) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू. | 4,91,36,71,000.00 | 4,91,14,55,262.90 | 76,01,12,880.00 | 20,56,00,000.00 | -503647.07 | 5,46,64,71,789.97 | 5,46,80,71,000.00 |
| 2(ii) | सीबीएलओ टीआरपीएस | 3,37,81,258.34 | 3,37,81,258.34 | 5,50,47,436.26 | - | - | 8,88,28,694.60 | 8,88,28,694.60 |
| 3 | निजी प्रतिभूतियां | 98,62,20,000.00 | 98,61,83,128.65 | - | 22,99,378.93 | (11,081.27) | 98,38,94,830.99 | 98,39,20,621.07 |
| 4 | राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल. | 10,57,42,10,000.00 | 10,58,76,92,579.76 | 1,59,62,90,500.00 | 57,59,80,000.00 | 28,86,192.57 | 11,60,51,16,887.19 | 11,59,37,80,000.00 |
| 5 | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी | 16,00,00,000.00 | 16,04,11,524.25 | - | - | 1,24,900.75 | 16,02,86,623.50 | 16,00,00,000.00 |
| 6 | विशेष जमा योजना-एस.डी.एस | 83,33,20,534.92 | 83,33,20,534.92 | - | - | - | 83,33,20,534.92 | 83,33,20,534.92 |
| 7 | लोक लेखा | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ई.टी.एफ | 1,34,05,59,072.91 | 1,34,05,59,072.91 | 14,19,04,623.09 | - | - | 1,48,24,63,696.00 | 1,48,24,63,696.00 |
| 9 | एल.एम.एफ | 28,95,924.42 | 28,95,924.42 | 2,42,19,801.15 | - | - | 2,71,15,725.57 | 2,71,15,725.57 |
| | जोड़ | 23,54,74,78,790.59 | 23,52,15,76,162.60 | 2,77,47,80,240.50 | 84,72,79,378.93 | (18,13,202.48) | 25,45,08,90,226.65 | 25,47,69,21,272.16 |

| अनुसूची सं.27 | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| क.भ.नि.स्टाफ पेंशन सह ग्रैच्युटि निधि-निवेश | | | | | | | | |
| क्र.सं | निवेश का प्रकार | आदि शेष | | वर्ष के दौरान निवेशित राशि | वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य | परिशोधन का मूल्य | चासू मूल्य | |
| | | अंकित मूल्य | परिशोधित /लागत मूल्य | | | | परिशोधित/ लागत मूल्य | अंकित मूल्य |
| 1 | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां-सी.टी.जी | 23,48,87,04,200.00 | 22,93,36,48,473.52 | 2,61,87,56,750.00 | 17,41,00,000.00 | (2,32,61,067.76) | 25,40,15,66,291.28 | 25,93,72,84,200.00 |
| 2(i) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू. | 38,37,20,08,000.00 | 38,35,88,82,958.71 | 8,74,06,49,500.00 | 1,11,20,00,000.00 | (29,46,480.04) | 45,99,04,78,938.75 | 46,00,00,08,000.00 |
| 2(ii) | सीबीएलओ टीआरपीएस | 16,83,06,624.41 | 16,83,06,624.42 | 36,66,34,265.93 | - | - | 53,49,40,890.35 | 53,49,40,890.34 |
| 3 | निजी प्रतिभूतियां | 7,80,34,00,000.00 | 7,80,61,36,031.51 | 25,00,00,000.00 | 39,58,012.58 | 7,88,190.56 | 8,05,13,89,828.37 | 8,04,94,41,987.42 |
| 4 | सीसीआईएल मार्जिन मनी | - | - | 5,22,700.00 | - | - | 5,22,700.00 | - |
| 5 | राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल. | 86,21,14,20,000.00 | 86,35,25,86,363.37 | 23,75,08,66,000.00 | 1,48,97,40,000.00 | 2,97,65,055.63 | 1,08,58,39,47,307.74 | 1,08,46,00,30,000.00 |
| 6 | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां-एस.टी.जी | 57,90,00,000.00 | 58,04,94,560.95 | - | - | 4,50,186.24 | 58,00,44,374.71 | 57,90,00,000.00 |
| 7 | विशेष जमा योजना-एस.डी.एस | 91,79,27,326.87 | 91,79,27,326.87 | - | - | - | 91,79,27,326.87 | 91,79,27,326.87 |
| 8 | लोक लेखा | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ई.टी.एफ | 25,46,28,32,370.88 | 25,46,28,32,370.74 | 6,25,10,20,792.12 | - | - | 31,71,38,53,162.86 | 31,71,38,53,163.00 |
| 10 | एल.एम.एफ | 12,31,93,806.96 | 12,31,93,806.96 | 4,00,91,633.29 | - | - | 16,32,85,440.25 | 16,32,85,440.25 |
| | जोड़ | 1,83,12,67,92,329.12 | 1,82,70,40,08,517.05 | 42,01,85,41,641.34 | 2,77,97,98,012.58 | 47,95,884.63 | 2,21,93,79,56,261.18 | 2,22,35,57,71,007.88 |

अनुसूची संख्या 24
अंचल परिसंपत्तियां 2023-24

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सभी आंचलिक कार्यालय/फील्ड कार्यालय:

(समग्र क्षेत्र यानि कि. का. के अधिकार क्षेत्र के तहत आनेवाले उप क्षेत्रीय कार्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय)

| क्र.सं | अंचल परिसंपत्तियां | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यहास | | | | राशि (रू. में) | |
|--------|--------------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन | वर्ष के दौरान अंचल परिसंपत्तियों में वृद्धि | वर्ष के दौरान अंचल परिसंपत्तियों में कटौती | वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (ए) | वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास | चालू वर्ष के लिए मूल्यहास | वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास | चालू वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (बी) | चालू वर्ष के अंत में (ए-बी) | पिछले वर्ष के अंत में |
| 1 | भूमि | | | | | | | | | | |
| क | फ्री होल्ड भूमि | 1,17,40,13,587.63 | 33,55,84,240.00 | - | 1,50,95,97,827.63 | - | - | - | - | 1,50,95,97,827.63 | 1,17,40,13,587.63 |
| ख | लीज होल्ड भूमि | 22,89,93,729.50 | 64,40,526.60 | - | 23,54,34,256.10 | 4,39,46,079.33 | 19,67,471.87 | - | 4,59,13,551.20 | 18,95,20,704.90 | 18,50,47,650.17 |
| 2 | भवन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| क | भवन-कार्यालय | 2,77,58,83,070.82 | 15,67,27,666.00 | 4,94,01,095.00 | 2,88,32,09,641.82 | 51,02,35,946.18 | 4,42,60,248.30 | - | 55,44,96,194.47 | 2,32,87,13,447.34 | 2,26,56,47,124.64 |
| ख | लीज होल्ड भवन-कार्यालय | 85,61,29,261.47 | 1,20,29,302.00 | - | 86,81,58,563.47 | 28,40,58,003.98 | 3,84,99,867.99 | - | 32,25,57,871.97 | 54,56,00,691.50 | 57,20,71,257.49 |
| ग | भवन-आवासीय | 96,64,38,379.88 | 86,03,128.00 | 3,66,48,651.00 | 93,83,92,856.88 | 30,28,48,029.29 | 1,07,03,492.58 | - | 31,35,51,521.87 | 62,48,41,335.01 | 66,35,90,350.59 |
| घ | लीज होल्ड भवन- आवासीय | 13,50,53,795.00 | 5,40,43,981.00 | - | 18,90,97,776.00 | 5,70,14,807.00 | 73,30,884.90 | - | 6,43,45,691.90 | 12,47,52,084.10 | 7,80,38,988.00 |
| 3 | संयंत्र मशीनरी एवं उपकरण | 2,38,29,212.25 | 56,74,974.00 | 109.00 | 2,95,04,077.25 | 76,12,049.51 | 18,08,757.72 | 4.88 | 94,20,802.35 | 2,00,83,274.90 | 1,62,17,162.74 |
| 4 | वाहन एवं मोटर कार | 2,00,98,491.28 | 1.00 | 90,202.00 | 2,00,08,290.28 | 1,32,53,792.35 | 23,41,243.52 | 90,202.72 | 1,55,04,833.15 | 45,03,457.13 | 68,44,698.93 |
| 5 | फर्नीचर एवं फिक्सचर | 46,16,68,793.69 | 13,41,81,481.93 | 25,38,838.46 | 59,33,11,437.16 | 13,94,67,130.58 | 4,95,80,275.64 | 1,47,008.46 | 18,89,00,397.76 | 40,44,11,039.40 | 32,22,01,663.12 |
| 6 | कार्यालय उपकरण | 19,42,65,799.47 | 5,23,22,586.39 | 9,22,921.00 | 24,56,65,464.86 | 9,06,62,283.83 | 3,95,76,310.40 | 8,85,294.85 | 12,93,53,299.38 | 11,63,12,165.48 | 10,36,03,515.64 |
| 7 | कंप्यूटर/पैरिफेरल | 1,55,49,22,690.35 | 34,07,56,729.06 | 75,37,297.99 | 1,88,81,42,121.42 | 1,10,77,84,436.74 | 28,76,26,915.08 | 72,97,823.84 | 1,38,81,13,527.98 | 50,00,28,593.44 | 44,71,38,253.61 |
| 8 | इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन | 7,06,37,749.33 | 90,34,599.00 | 54.00 | 7,96,72,294.33 | 2,65,71,557.95 | 75,16,051.57 | 5.13 | 3,40,87,604.39 | 4,55,84,689.94 | 4,40,66,191.38 |
| 9 | पुस्तकालय की पुस्तकें | 70,11,178.00 | 10,72,372.00 | 59,948.00 | 80,23,602.00 | 18,65,582.47 | 19,32,344.69 | 59,948.00 | 37,37,979.16 | 42,85,622.84 | 51,45,595.53 |
| 10 | टयूबवैल एवं जल आपूर्ति | 32,92,189.00 | 4,52,885.00 | - | 37,45,074.00 | 22,98,935.36 | 8,08,867.97 | 14.82 | 31,07,788.51 | 6,37,285.49 | 9,93,253.64 |
| 11 | अन्य अंचल परिसंपत्तियां | 3,09,20,741.13 | (2,32,72,418.13) | 30,04,640.49 | 46,43,682.51 | 58,82,718.41 | (12,29,895.90) | 9,140.00 | 46,43,682.51 | - | 2,50,38,022.72 |
| | कुल | 8,50,31,58,668.80 | 1,09,36,52,053.85 | 10,02,03,756.94 | 9,49,66,06,965.71 | 2,59,35,01,352.98 | 49,27,22,836.33 | 84,89,442.70 | 3,07,77,34,746.61 | 6,41,88,72,219.10 | 5,90,96,57,315.82 |
| क्र.सं | अंचल परिसंपत्तियां | सकल ब्लॉक | | | | मूल्यहास | | | | शुद्ध ब्लॉक | |
| | | वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन | वर्ष के दौरान अंचल परिसंपत्तियों में वृद्धि | वर्ष के दौरान अंचल परिसंपत्तियों में कटौती | वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन (क) | वर्ष के आरंभ में संचित मूल्यहास | चालू वर्ष के लिए मूल्यहास | वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास | चालू वर्ष के अंत में संचित मूल्यहास (ख) | चालू वर्ष के अंत में (क-ख) | पिछले वर्ष के अंत में |
| 1 | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 15,50,58,763.00 | 52,74,997.00 | 19,70,644.00 | 15,83,63,116.00 | 6,35,94,726.70 | 6,01,08,910.47 | 19,70,644.00 | 12,17,32,993.17 | 3,66,30,122.83 | 9,14,64,036.30 |
| 2 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल | 15,50,58,763.00 | 52,74,997.00 | 19,70,644.00 | 15,83,63,116.00 | 6,35,94,726.70 | 6,01,08,910.47 | 19,70,644.00 | 12,17,32,993.17 | 3,66,30,122.83 | 9,14,64,036.30 |
| | कुल योग | 8,65,82,17,431.80 | 1,09,89,27,050.85 | 10,21,74,400.94 | 9,65,49,70,081.71 | 2,65,70,96,079.68 | 55,28,31,746.80 | 1,04,60,086.70 | 3,19,94,67,739.78 | 6,45,55,02,341.93 | 6,00,11,21,352.12 |

नोट:- 01-04-2017 से पहले की अमूर्त संपत्ति, यदि कोई मूर्त संपत्ति में शामिल है

| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | | | | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|------------------------------|---------|--|------------------------------|
| वर्ष 2023 -24 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा | | | | | | | |
| (अंशदान लेखा) | | | | | | | |
| | | | | | | | राशि (रूपए) |
| पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | प्राप्तियां | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | अदायगियां | चालू वर्ष (2023-24) |
| 66,46,91,48,94,530.57 | 1. | आदि शेष | 75,71,15,45,10,647.55 | | 1. | सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को दी गयी राशि: | |
| 5,61,70,84,28,799.22 | 2. | (i) नियोक्ताओं का अंशदान | 6,24,23,92,91,336.03 | 0.00 | | (क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि | 0.00 |
| 77,85,00,00,000.00 | | (ii) सरकार का अंशदान (बकाया सहित) | 91,27,00,00,000.00 | 76,88,66,58,963.34 | | (ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृति लाभ | 80,37,48,29,392.82 |
| 1,60,56,72,00,000.00 | 3. | भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में शेष राशि पर ब्याज। | 1,74,28,51,00,000.00 | 0.00 | | (ग) जीवन बीमा लाभ | 35,95,788.00 |
| 4,43,952.23 | 4. | बचत बैंक खातों पर ब्याज | 81,43,914.15 | 1,44,24,15,83,408.35 | | (घ) पेंशन | 1,49,90,44,58,702.57 |
| 3,46,07,08,43,001.55 | 5. | प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज | 3,96,23,68,95,583.43 | | 2. | | |
| 4,17,98,00,431.12 | 6. | शास्तिक नुकसानी | 5,37,47,37,626.74 | 1,46,07,01,620.24 | | पेंशन के संवितरण के लिए कमीशन के रूप में भुगतान की गई राशि | 2,49,45,32,267.24 |
| | 7. | अन्य प्राप्तियां : | | 0.00 | 3. | पेंशन निधि में दी गई राशि प्रशासकीय व्यय | 0.00 |
| 1,46,22,52,153.53 | | (क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10 | 3,26,14,87,290.25 | 0.00 | 4. | छूट देने पर अंतरित की गई प्रातिभूतियों की राशि | 0.00 |
| 4.00 | | (ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. . 11 | 0.00 | 4,77,55,05,083.76 | 5. | प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि | 2,37,66,76,444.16 |
| | | | | | 6. | रूप में अदा की गई राशि | |
| | | | | 1,59,47,808.96 | | अन्य भुगतान : | -1,14,41,082.12 |
| | | | | 21,89,55,340.02 | | (क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10 | 36,69,59,970.07 |
| | | | | 75,71,15,45,10,647.55 | 7. | (ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. . 11 | 86,30,32,05,54,915.41 |
| | | | | | | अंत शेष | |
| 77,98,75,38,62,872.22 | | जोड़ | 88,65,83,01,66,398.15 | 77,98,75,38,62,872.22 | | जोड़ | 88,65,83,01,66,398.15 |

*इसमें न्यूनतम पेंशन 1000.00 रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त 960,00,00,000.00 रुपये की राशि शामिल है।

हस्ता/-
(संजय पांडेय)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|--|-----------------------------|
| वर्ष 2023 -24 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा | | | | | | | |
| (अंशदान लेखा) | | | | | | | |
| | | | | | | | राशि (रूपए) |
| पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | प्राप्तियां | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | अदायगियां | चालू वर्ष (2023-24) |
| 3,74,33,22,30,375.23 | 1. | आदि शेष | 4,12,01,31,48,781.95 | 21,33,91,38,648.08 | 1. | बीमा लाभ | 20,51,83,73,943.55 |
| 30,30,84,97,211.12 | 2. | नियोक्ताओं का अंशदान | 33,58,10,01,838.11 | 0.00 | 2. | छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापस की गई राशि | 0.00 |
| 11,12,23,00,000.00 | 3. | भारत सरकार के लोक लेखा में निवेश पर ब्याज | 12,06,77,00,000.00 | 14,42,21,750.00 | 3. | प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि | 1,93,22,482.76 |
| 17,25,73,68,658.38 | 4. | प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज | 18,87,99,87,768.90 | | 4. | अन्य अदायगियां | |
| 4,817.69 | 5. | बचत बैंक खातों पर ब्याज | 5,55,914.36 | 60,581.20 | | लेखा संख्या 21 | 5,81,952.50 |
| 25,53,66,073.65 | 6. | शास्तिक नुकसानी एवं धारा 7 क्यू के अंतर्गत ब्याज | 30,61,10,073.84 | 2,41,20,978.03 | | लेखा संख्या 25 | 3,54,54,982.37 |
| | 7. | अन्य प्राप्तियां : | | 4,12,01,31,48,781.95 | 5. | अंत शेष | 4,56,50,67,10,401.45 |
| 24,49,23,603.19 | | लेखा संख्या 21 | 23,19,39,385.47 | | | | |
| 0.00 | | लेखा संख्या 25 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4,33,52,06,90,739.26 | | जोड़ | 4,77,08,04,43,762.63 | 4,33,52,06,90,739.26 | | जोड़ | 4,77,08,04,43,762.63 |

हस्ता/-
(संजय पांडेय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

| कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| वर्ष 2023 -24 के लिए प्राप्ति तथा अदायगी लेखा | | | | | | | |
| (प्रशासनिक लेखा) | | | | | | | |
| राशि (रूपए) | | | | | | | |
| पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | प्राप्तियां | चालू वर्ष (2023-24) | पिछला वर्ष (2022-23) | क्र.सं. | अदायगियां | चालू वर्ष (2023-24) |
| 38,36,10,90,620.29 | 1. | आदि शेष | 40,77,71,43,268.79 | 52,90,77,061.48 | 1 | कभनिस पर 1% अनुपातिक व्यय | 59,41,97,499.60 |
| 20,25,33,543.04 | 2. | नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासनिक प्रभार | 18,59,89,860.68 | | 2 | अन्य प्राप्तियां: | |
| 5,51,77,253.00 | 3 | प्राप्त निरीक्षण प्रभार | 5,36,41,727.90 | 5,40,730.00 | | लेखा संख्या 22 | 3,37,384.15 |
| 2,36,90,255.58 | 4 | शास्तिक नुकसानी एवं 7 क्यू ब्याज | 2,64,81,243.99 | 0.00 | | लेखा संख्या 24 | 0.00 |
| 2,66,39,77,256.91 | 5 | निवेश पर प्राप्त ब्याज | 2,85,31,19,642.15 | 40,77,71,43,268.79 | 3 | अंत शेष | 43,30,18,48,155.45 |
| 5,208.23 | 6 | बचत बैंक खाते पर ब्याज | 7,117.29 | | | | |
| | 7. | अन्य प्राप्तियां: | | | | | |
| 2,86,923.22 | | लेखा संख्या 22 | 178.40 | | | | |
| 0.00 | | लेखा संख्या 24 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 41,30,67,61,060.27 | | जोड़ | 43,89,63,83,039.20 | 41,30,67,61,060.27 | | जोड़ | 43,89,63,83,039.20 |

हस्ता/-
(टी.एल. यादेन)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

वर्ष 2023-24 की अवधि के खातों के भाग
के रूप में शामिल अनुसूचियां:

अनुसूची 44: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां,
अनुसूची 45: आकस्मिक देनदारियां और
खातों पर टिप्पणियां

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अनुसूची जो 2023-24 की अवधि के लिए लेखों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन पद्धति

भारत सरकार द्वारा अनुशंसित अनिवार्य लेखा मानकों तथा लेखांकन के सामान्य प्रारूप की प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप परंपरागत लागत पद्धति के अंतर्गत एकुअल आधार पर, अगर कुछ और न कहा गया हो, वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है।

2. निवेश

(क) भारत सरकार को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति का प्रस्ताव दिया गया है तथा यह क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन की अधिसूचना के बाद लागू होगा। वर्तमान में, ईटीएफ निवेश 'लागत मूल्य' पर दिखाया जा रहा है।

(ख) केंद्रीय बोर्ड द्वारा 27.01.2007 को आयोजित अपनी 178 वीं बैठक में अनुमोदित निवेश के लिए संशोधित लेखांकन नीति के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को परिशोधन मूल्य पर आंका गया है।

3. अचल परिसंपत्तियां:

3.1 वर्ष 2015-16 तक, भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, हालांकि 2015-2016 से नए फार्मेट में भूमि को अलग दिखाया गया। भूमि को लीज़होल्ड भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 सभी मदों पर 5,000/- रु. से अधिक व्यय तथा जो एक वर्ष से अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, को पूंजीगत व्यय के रूप में देखा जाता है तथा ऐसी परिसंपत्ति पर मूल्यहास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाएगा।

3.3 अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.4 भूमि तथा भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जिनका 01.04.2015 (लेखांकन के रोकड़ आधार से एकुअल आधार पर स्विच करने की तिथि) से पहले अधिग्रहण किया गया, का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के सांकेतिक मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक, केवल भूमि एवं भवन को अचल परिसंपत्ति माना जाता था, किंतु नई प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली सभी मदों को अचल परिसंपत्ति के रूप में लिया जाता है तथा तदनुसार मूल्यहास लगाया जाता है। 01.04.2015 से पहले, खरीदी गई तथा संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति पर किया गया और प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन किया गया। यह, भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा

गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी), जो संघ और राज्य सरकार के संगठनों में एकत्रित आधारित लेखांकन की ओर अंतरण पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

4. मूल्यहास

- 4.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 4.2 वर्ष के दौरान, 180 दिन अथवा अधिक के लिए उपयोग की गई अचल परिसंपत्तियों पर पूरी दर से और 180 दिन से कम के लिए उपयोग की गई अचल परिसंपत्तियों पर आधी दर से मूल्यहास किया गया।
- 4.3 लीज़ होल्ड भवनों जैसे जिन भवनों का सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या लीज़ के निर्धारित वर्षों के लिए किए गए एकमुश्त भुगतान, पर लीज़ अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर मूल्यहास किया गया।
- 4.4 लीज़ होल्ड भूमि पर अदा की गई एकमुश्त लीज़ राशि का लीज़ अवधि के दौरान प्रतिवर्ष आनुपातिक रूप से परिशोधन किया जाता है।
- 4.5 फ्री होल्ड भवन पर पहले अधिग्रहण की तिथि से 01.04.2015 तक मूल्यहास लगाया गया। उसके बाद मूल्यहास चार्ट (मानचित्र) के अनुसार मूल्यहास की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

(संदर्भ-लेखा मानक-6 एवं 10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण किया जा रहा है।

5. सरकारी अनुदान /सब्सिडी

कर्मचारी पेंशन योजना के लिए देय सरकारी अनुदान/अंशदान का एकत्रित आधार पर लेखांकन किया जाता है।

6. कर्मचारी देय:

- 6.1 मार्च माह के लिए कर्मचारियों को देय वेतन को, भुगतान की वास्तविक तिथि पर ध्यान दिए बगैर एकत्रित आधार पर उसी वित्तीय वर्ष का व्यय माना जाए।
- 6.2 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज को ब्याज की वसूली अवधि पर ध्यान दिए बगैर वसूली की अवधि में समान रूप से वितरित किया जाएगा।

7. लीज़

- 7.1 लीज़ शर्तों के संदर्भ में लीज का व्यय किया जाता है।
- 7.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए का एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा तथा इस संबंध में व्यवस्था की जाएगी।

8. ब्याज से आय

- 8.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय को उस वर्ष की आय माना जाएगा।
- 8.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे 'ब्याज संचित परंतु अप्राप्त' लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।
- 8.3 निवेश पर उपार्जित एवं देय पर अप्राप्त ब्याज का 2015-16 से एकुअल आधार पर लेखांकन किया जाएगा ।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

- 9.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है। क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों का बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखांकन किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव का क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो, के रूप में लेखांकन किया जाता है। लेखांकन मानक-15 के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारियों के लाभों का बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ लागत का उसी अवधि के लिए लेखांकन किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।
- 9.2 वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अवकाश नकदीकरण को उस वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

10. राजस्व मान्यता

नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से किसी वसूली के मामले में, राजस्व को रोकड़ आधार पर लिया जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14बी के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज से संबंधित अन्य प्रकटीकरण, लेखों में नोट पर किया गया है।

11. भवन निर्माण के लिए ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम

निर्माण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम को चालू परिसंपत्ति माना जाएगा और शुरूआत में 'ठेकेदारों / एजेंसियों को अग्रिम' के रूप में दर्शाया जाएगा। वर्ष के अंत में नपाई के आधार पर, किए गए परंतु अंतिम रूप से पूरे नहीं किए गए काम के अनुसार राशि को 'पूँजीगत कार्य प्रगति पर' शीर्ष में हस्तांतरित किया जाएगा।

12. किसी भी शीर्ष को जोड़ना/हटाना

नीतिगत निर्णय या सांविधिक अपेक्षा के कारण कोई अनिवार्यता होने की स्थिति में, यदि नए लेखा शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता होती है तो उसे सक्षम प्राधिकारी जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, कभनिस होंगे, के प्राधिकार से किया जाएगा।

अनुसूची 45 : आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट :

1. आकस्मिक देयताएं

| क्र.सं. | आकस्मिक देयताएं | चालू वर्ष (रु) | पिछले वर्ष (रु) |
|---------|---|----------------|--------------------|
| 1 | वे वस्तुएं जिन्हें ऋण नहीं माना गया, के संबंध में किए गए दावे | | |
| (क) | वस्तु एवं सेवा कर (पूर्व में सेवा कर) | 0.00* | 13,08,04,05,797.00 |

***नोट:** माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, (प्रधान पीठ-न्यायालय संख्या-1) ने सभी वर्षों यानी 2009-10 से 2013-14 तक के लिए ईपीएफओ के पक्ष में दिनांक 08-05-2023 को अंतिम आदेश संख्या 50644/2023 जारी किया है।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष तथा उपलब्ध नहीं कराए गए अनुबंधों का अनुमानित मूल्य 24,613.09 लाख रुपये है। पिछले वर्ष के अंत में यह 25,731.14 लाख रुपये था ।

लेखों पर नोट

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

लेखे भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के जीएसआर संख्या 284(ई), जीएसआर संख्या 285(ई) और जीएसआर संख्या 286(ई) दिनांक 04.04.2019 के तहत अधिसूचित सामान्य लेखा प्रारूप में तैयार किए गए हैं।

II. पूर्व अवधि हेतु आय एवं व्यय

आय और व्यय लेखों में पूर्व अवधि का शून्य रूपये का व्यय शामिल है।

III. सांविधिक देयों की वसूली

- 31 मार्च, 2023 तक कभनि एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की कार्यवाही के माध्यम से धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारित कुल सांविधिक देय धारा 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा धारा 7क्यू अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को निम्न तालिका में दिखाया गया है:-

| क्र.सं | योजना का नाम | 31.03.2024 तक धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारित बकाया राशि, धारा 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं धारा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रू करोड़ में) | | 31.03.2023 तक धारा 7ए के अंतर्गत कुल बकाया राशि, धारा 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं धारा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रू करोड़ में) | |
|------------|-----------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| | | अंशदान का बकाया | शास्तिक नुकसानी/ ब्याज | अंशदान का बकाया | शास्तिक नुकसानी/ ब्याज |
| 1. | कर्मचारी भविष्य निधि | 6,890.93 | 3,332.86 | 5,987.56 | 2,775.20 |
| 2. | क.भ.नि. प्रशा. निधि | 394.61 | 264.82 | 339.39 | 227.08 |
| 3. | कर्मचारी पेंशन निधि | 3,457.32 | 1,590.49 | 2,820.43 | 1,468.61 |
| 4. | कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि | 312.52 | 119.28 | 230.17 | 92.34 |
| 5. | ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि | 10.74 | 11.75 | 7.89 | 4.51 |
| कुल | | 11,066.11 | 5,319.20 | 9,385.44 | 4,567.74 |

- धारा 7ए के अंतर्गत वसूली योग्य श्रेणी राशि, धारा 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं धारा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियुक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, नकद आधार पर रिकॉर्ड की जाती है।
- वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान के संबंध में लेखांकन मानक-9 के उपबंधों के अनुसार राजस्व पहचान को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

IV. कर्मचारी पेंशन निधि:

कर्मचारी पेंशन निधि का अंतिम मूल्यांकन 31.03.2019 को किया गया और इसके मूल्यांकन परिणाम इस प्रकार हैं:

मूल्यांकन परिणाम:

| कुल देयता वर्गीकरण | राशि रूपए करोड़ में |
|--|---------------------|
| (क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य | 10,32,537.55 |
| (ख) भविष्य अंशदानों का वर्तमान मूल्य | 5,57,448.07 |
| (ग) सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग) = (क) - (ख) | 4,75,089.48 |
| (घ) 31-03-2019 तक राशि संग्रह (घ) | 4,37,762.54 |
| (ड.) कुल देयता (ग) - (घ) (बीमांकक कमी) | 37,326.94 |

सरकार ने तीन वर्षों (अर्थात् 31.03.2020, 31.03.2021 एवं 31.03.2022) के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन हेतु बीमांकक की नियुक्ति किया है तथा मूल्यांकन का कार्य चल रहा है।

V. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना:

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का अंतिम मूल्यांकन 31.03.2019 को किया गया था तथा मूल्यांकन परिणाम निम्नानुसार थे:

| | राशि (रूपए करोड़ में) |
|------------------|-----------------------|
| निवल देयता (क) | 10,779.34 |
| निधि घटायें (ख) | 27,234.66 |
| अधिशेष (ख) - (क) | 16,455.32 |

तत्पश्चात, जीएसआर 299 (ई) दिनांक 28.04.2021 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा क.नि.स.बी. योजना, 1976 के अंतर्गत देय लाभों को बढ़ाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। ये नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय अधिकतम बीमा लाभ को पूर्व अधिकतम लाभ रू. 6 लाख से बढ़ाकर रू. 7 लाख कर दिया गया। (योजना के पैराग्राफ 22(3) के तहत, वेतन गुणांक 35 हो जाएगा)

2. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैरा 22(3) के तहत देय न्यूनतम बीमा लाभ को 15.02.2020 से (अर्थात् उक्त लाभ की समाप्ति की तारीख से) रुपये 2.50 लाख निर्धारित किया गया है।

3. क.नि.स.बी. योजना, 1976 के पैराग्राफ 22(3) के तहत देय बीमा लाभ ऐसे लाभार्थियों को दिया जाएगा, जहां मृतक कर्मचारी कभनि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त निधि या भविष्य निधि के सदस्य थे एवं जिस माह उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले लगातार 12 महीने की अवधि के लिए कार्यरत थे, भले ही उक्त अवधि के दौरान स्थापना में परिवर्तन हुआ हो।

4. क.नि.स.बी. योजना के पैराग्राफ 28(4) के तहत कर्मचारियों के एक वर्ग को योजना के उपबंध से छूट देने की शक्ति अपर केंद्रीय आयुक्त (अंचल) को सौंपी गई है।

5. क.नि.स.बी. योजना के पैराग्राफ 29 के तहत देय मौद्रिक जुर्माना बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया है।

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना की तारीख यानी 28.04.2021 से तीन साल की अवधि के लिए लागू होंगे और उसके बाद क.नि.स.बी. निधि की वित्तीय स्थिति के अनुसार समीक्षा की जाएगी।

उपरोक्त संशोधनों के बाद, क.नि.स.बी. निधि की अनुमानित स्थिति का पुनः आकलन निम्नानुसार किया गया: -

| | राशि (करोड़ रुपए में) |
|---|-----------------------|
| निवल देयता (क) | 27,099.38 |
| निधि घटाएँ (ख) | 27,234.66 |
| उपर्युक्त संशोधनों के बाद संशोधित अनुमानित अधिशेष (ख) - (क) | 135.28 |

क.नि.स.बी. निधि का वीमांकिक मूल्यांकन अंतिम बार 31.03.2019 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। 31.03.2023 तक क.नि.स.बी. निधि के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई है एवं मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

VI. सदस्य खाते:

(क) **निष्क्रिय खाते:** कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72 (6) के अंतर्गत निष्क्रिय खातों की परिभाषा में दिनांक 11-11-2016 को संशोधन किया गया। वर्ष 2017-18 के समेकित वार्षिक लेखों में निष्क्रिय खातों के रूप में परिभाषित एवं रिपोर्ट की गई राशि 11-11-2016 से पहले की परिभाषा पर आधारित है। अब निष्क्रिय खातों के अंतशेष वित्तीय वर्ष के अंत में सिस्टम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर दर्शाए जा रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र से संबंधित आंकड़े डेटा स्रोत पर उपलब्ध नहीं हैं। दिनांक 31-03-2024 तक 'निष्क्रिय खातों' में 8,505.23 करोड़ रुपये की राशि है और ऐसे खातों की संख्या 21,55,387 है।

(ख) अनियमित भुगतान और अधिक भुगतान:

अधिक भुगतान और अनियमित भुगतान तब होते हैं जब संबंधित निधि से किया गया भुगतान बाद में विभिन्न कारणों, जैसे धोखाधड़ी, त्रुटि, गलतियां आदि के कारण अनियमित पाया जाता है। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान की जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार प्राप्तकर्ता, कर्मचारियों या अधिकारियों जैसा भी मामला हो, से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा विधिवत गठित अधिक भुगतान समिति एवं आंचलिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर सिविल/अपराधिक मुकदमें दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा दलों को उचित

निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

31.03.2024 तक, 70.81 करोड़ रुपये और 4.34 करोड़ रुपये की कुल राशि अंतः शेष थी और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्षकों के तहत 11.27 करोड़ रुपये और 1.56 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है, जो क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर ली गई है। 18.73 करोड़ रुपये की राशि को अनियमित भुगतान के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है, जिसे पहले अधिक भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, कुछ कार्यालयों ने जेडएफआरएमसी रिपोर्ट के अनुसार अनियमित भुगतान के शेष को अपडेट किया है।

VII. निवेश

(क) वसूली हेतु लंबित निवेश-

अभी भी वसूली के लिए मूल राशि एवं इस पर ब्याज को दर्शाते हुए निवेश का विवरण एवं क.भ.नि.स द्वारा की गई कार्रवाई परिशिष्ट -'क' पर संलग्न है

(ख) टीडीएस का रिफंड:

कभनिस की आय किसी भी कर कानून के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 1997-98 से 2005-06 के दौरान आयकर विभाग में 8.37 करोड़ रुपये की राशि कर के रूप में काट कर आयकर विभाग को जमा कर दी गई थी। टीडीएस की राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए कर व्यवसायी के माध्यम से निर्णय प्राधिकारी के समक्ष दावा दायर किया गया है। कभनिस की ब्याज से होने वाली आय पर गलत तरीके से काटे गए टीडीएस की राशि लौटाने के संदर्भ में 20.07.2022 को आयकर विभाग के समक्ष नया पत्र फाइल किया गया है। इसके बाद, राशि लौटाने के संदर्भ में दूसरा पत्र 13.03.2024 को, तीसरा अनुस्मारक पत्र 25.04.2024 को और चौथा अनुस्मारक पत्र 02.05.2024 को फाइल किया गया। आयकर विभाग के साथ मिलकर अभी भी इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) 31.03.2024 को भुगतान तिथि के बाद प्राप्त भुगतान के लिए दावा किया गया अर्जित ब्याज और दंड शुल्क रु 1,50,232.92/- है जिसमें से रु. 31,74.01/- की वसूली कर ली गई है और मैसर्स स्टैंडर्ड बैंक, संरक्षक शेष राशि की वसूली के लिए जारीकर्ताओं के साथ संपर्क कर रहा है।

(घ) निवेश से संबंधित पिछले वर्ष का समायोजन

वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखों के कभनि योजना 1952, क.पें.यो. 1995, क.नि.स.बी. योजना 1995 और पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजना की अनुसूची 18, 20, 22 और 27 के 'प्रारंभिक शेष -सीसीआईएल मार्जिन मनी का अंकित मूल्य और परिशोधित मूल्य' को निम्नलिखित आंकड़ों के स्थान पर 2020-21 में गलत तरीके से शून्य दर्शाया गया था :

| सीसीआईएल मार्जिन मनी | कभनि | कपेंयो | कनिसबी | पीएनजी |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.03.2020 तक शेष राशि | 38,07,66,354.07 | 10,11,56,445.93 | 7,54,500.00 | 5,22,700.00 |

उपरोक्त राशि को वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आगे बढ़ाया गया, जिसे इस वित्तीय वर्ष में अनुसूची 18, 20, 22 और 27 में सीसीआईएल मार्जिन मनी कॉलम के अनुरूप "वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि" शीर्षक के माध्यम से समायोजित किया गया है। मार्जिन मनी के संबंध में आंकड़े की पुष्टि ऋण पोर्टफोलियो प्रबंधकों से भी ली गई है।

(ड.) 31-03-2024 को ईटीएफ में निवेश की गई राशि का बाजार मूल्य रु. 3,68,401.50 करोड़ था।

VIII. उचंत खाते:

क. उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 5 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| प्रारंभिक शेष | 53,93,28,824.34 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि | 35,98,00,11,045.10 |
| कुल | 36,51,93,39,869.44 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि | 35,67,82,94,548.17 |
| अंत: शेष | 84,10,45,321.27 |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 53.93 करोड़ रुपये में से 18.81 करोड़ रुपये के सकारात्मक शेष और 27.99 करोड़ रुपये के नकारात्मक शेष का समाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस लेखे के तहत कुल शेष राशि में 9.17 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके अलावा, छूट रद्द करने पर छूट प्राप्त ट्रस्टों से प्राप्त 21,00,06,786.00 रुपये की राशि वर्गीकृत है, लेकिन लेखा शीर्ष की अनुपलब्धता के कारण इस राशि को उचंत खाते के तहत दिखाया गया है और अगले वर्ष वीडिआर के सृजन पर इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

ख. उचंत खाता (प्रशासनिक निधि), अनुसूची संख्या 15 (वर्तमान देयताएं और प्रावधान)

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| प्रारंभिक शेष | 23,33,74,038.94 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि | 3,00,41,39,146.44 |
| कुल | 3,23,75,13,185.38 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि | 2,93,62,21,363.93 |
| अंत: शेष | 30,12,91,821.45 |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 23.33 करोड़ रुपये में से 2.26 करोड़ रुपये के सकारात्मक शेष और 6.63 करोड़ रुपये के नकारात्मक शेष का समाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस लेखे के अंतर्गत कुल शेष राशि में 4.37 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके अलावा, 2.42 करोड़ रुपये की राशि प्रेषण से संबंधित है जिसका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है।

ग. उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)

| | |
|--|-------------------|
| प्रारंभिक शेष | 113,26,29,174.72 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि | 15,01,77,655.57 |
| कुल | 1,28,28,06,830.29 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि | 49,17,82,459.01 |
| अंत: शेष | 79,10,24,371.28 |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 113.26 करोड़ रुपये में से 36.56 करोड़ रुपये के सकारात्मक शेष और 2.40 करोड़ रुपये के नकारात्मक शेष का समाधान कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस लेखे के अंतर्गत शेष राशि में कुल 34.16 करोड़ रुपये की कमी आई है।

घ. उचंत खाता (क.भ.नि.), अनुसूची संख्या 28 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम)

| | |
|--|-----------------|
| प्रारंभिक शेष | 18,49,96,427.30 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अवर्गीकृत राशि | 5,88,57,044.68 |
| कुल | 24,38,53,471.98 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि | 8,46,24,681.01 |
| अंत: शेष | 15,92,28,790.97 |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 18.50 करोड़ रुपये में से 4.27 करोड़ रुपये के सकारात्मक शेष और 1.70 करोड़ रुपये के नकारात्मक शेष का समाधान कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस लेखे के अंतर्गत शेष राशि में कुल 2.57 करोड़ रुपये की कमी आई है।

ix (i) पी.एम.आर.पी. वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई:

निजी क्षेत्र में नए रोजगार के सृजन के लिए पी.एम.आर.पी.वाई तथा पी.एम.पी.आर.पी.वाई सरकार की प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएं हैं। ये योजनाएं अक्टूबर, 2016 के दौरान शुरू की गईं तथा सरकार इस उद्देश्य के लिए इंडियन बैंक के माध्यम से क.भ.नि.सं. के बैंक खाते के द्वारा सहायता- अनुदान उपलब्ध कराती है।

पी.एम.आर.पी.वाई योजना नए भविष्य निधि सदस्यों के संबंध में पेंशन अंशदान से जुड़ी नियोक्ता की जिम्मेदारी को कम करती है। क.भ.नि.सं. उपर्युक्त बैंक खाते से काटी गई राशि की सीधे प्रतिपूर्ति कर देता है।

भारत सरकार दिनांक 01.04.2018 से क.भ.नि.सं. के माध्यम से नए कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष की अवधि और मौजूदा लाभार्थियों के लिए उनकी तीन वर्ष की शेष अवधि के लिए, समय-समय पर स्वीकार्य, नियोक्ताओं के पूरे अंशदान (क.भ.नि. और क.पें.यो. दोनों) का भुगतान करेगी। स्थापना के माध्यम से लाभार्थियों को पंजीकृत करने की आवधिक तिथि 31 मार्च, 2019 है। (पीएमपीआरपीवाई में सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या डीजीई-यू-13015/01/2016 एमपी (जी) दिनांक 12.04.2018 के माध्यम से संशोधन किया गया था।) कपड़ा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई पीएमपीआरपीवाई योजना को बंद कर दिया गया था और खाते में पड़ी शेष राशि पीएमआरपीवाई योजना खाते में अंतरित कर दी गई है।

पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अनुरक्षित बैंक बचत खातों पर अर्जित ब्याज, भारत सरकार को वापस लौटा दिया गया है, जब कि दोनों योजनाओं के अप्रयुक्त, सहायता अनुदान राशि पीएमआरपीवाई तथा पीएमपीआरपीवाई के लिए अलग से इंडियन बैंक में इस प्रयोजन के लिए खोले गए खातों में पड़ी हैं। उपर्युक्त खातों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| क्र.सं. | पीएमआरपीवाई के विवरण | | |
|---------|---|----------|------------------|
| 1 | प्रारंभिक शेष (01.04.2023) | | 48,723.00 |
| | जोड़ें | | |
| 2 | भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय): टीएसए के माध्यम से भारत सरकार से मिली निधि (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय): | 00 | |
| 3 | बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज | 1,357.00 | 1,357.00 |
| | घटाएं | | |
| 4 | पीएमआरपीवाई खाते से इंडियन बैंक संग्रह खाते में सीधे डेबिट किए गए लाभ | 0.00 | 0.00 |
| | अंतशेष | | 50,080.00 |

| क्र.सं. | पीएमपीआरपीवाई के विवरण | | |
|---------|--------------------------------|------|--------------|
| 1 | प्रारंभिक शेष (01.04.2023) | | 46.00 |
| | जोड़ें | | |
| 2 | बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज | 0.00 | 0.00 |
| | घटाएं | | |
| 3 | नियोक्ताओं को सब्सिडी | 0.00 | |
| | अंतशेष | | 46.00 |

IX (ii)- पीएमजीकेवाई:

भारत सरकार ने 26.03.2020 को पीएमजीकेवाई के तहत गरीबों को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की। उक्त पैकेज के हिस्से के रूप में, शुरू में केंद्र सरकार द्वारा अगले तीन महीनों अर्थात् मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई 2020 के लिए कभनि खातों में मासिक वेतन का 24% (कभनि अधिनियम के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का हिस्सा) के भुगतान का प्रस्ताव है। इस योजना को जून 2020 से तीन महीनों के लिए अर्थात् अगस्त 2020 आगे बढ़ा दिया गया था।

| क्र.सं. | पीएमजीकेवाई का विवरण | | |
|---------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | प्रारंभिक शेष (01.04.2023) | | 39,42,070.00 |
| | जोड़ें | | |
| 2 | बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज | 1,11,344.00 | 1,11,344.00 |
| | घटाएं | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|------|---------------------|
| 3 | नियोक्ताओं को छूट | 0.00 | 0.00 |
| अंतशेष | | | 40,53,414.00 |

IX (iii) – एबीआरवाई:

नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एबीआरवाई को कभनिसं के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2020 को आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार दो साल की अवधि के लिए विभिन्न शर्तों के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान को क्रेडिट करेगी।

| क्र.सं. | एबीआरवाई के विवरण | | |
|---------------|--|---|---------------------------|
| 1 | प्रारंभिक शेष (01.04.2023) | | 3,43,47,49,085.00 |
| | जोड़ें | | |
| 2 | भारत सरकार (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) से प्राप्त निधि टीएसए लेखे से प्राप्त निधि | 12,21,05,74,091.00 | |
| 3 | बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज | 36,49,627.00 | 12,21,42,23,718.00 |
| | घटाएं | | |
| 4 | नियोक्ताओं को सब्सिडी एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश लेखे 5 में सीधे डेबिट किए गए लाभ एबीआरवाई योजना खाते से एसबीआई निवेश लेखे 11 में सीधे डेबिट किए गए लाभ | 10,81,08,84,060.00 4,73,33,11,512.00 | 15,54,41,95,598.00 |
| 5 | खाते से गलत कटौती (एनईएफटी शुल्क) | 26.00 | |
| अंतशेष | | | 10,47,77,205.00 |

X- केंद्रीकृत बैंक संग्रह खाते:

दिसंबर, 2016 के दौरान, क.भ.नि.सं. ने विविध बैंकों में, एक बैंक खाते में सांविधिक अंशदान के केंद्रीकृत प्राप्ति को अपनाया है जबकि पहले सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के विकेंद्रीकृत पांच एकत्रीकरण खातों में प्राप्ति की जाती थी। निधि की केंद्रीकृत प्राप्ति इस प्रकार की जाती है:

- i. डुप्लीकेट टी.आर.आर.एन. में त्रुटिपूर्ण जमा देयता है, जिसे भविष्य में रिफंड किया जाएगा। लेखा सुविधा के लिए इसे भविष्य निधि योजना लेखों में दिखाया जाता है।
- ii. जमा की गई असमेकित राशि को भविष्य निधि योजना खाते में देयता के रूप में दिखाया जाता है। राशि के समेकन के बाद इसे अंशदान के रूप में संबंधित खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
- iii. लेन-देन की जांच के लिए बैंक द्वारा किए गए जमा को आय एवं व्यय लेखे में विविध आय के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, बैंक प्रभार को भविष्य निधि योजना के आय एवं व्यय लेखे में दर्शाया जाता है।

- iv. एकल एकत्रिकरण लेखों के अंत शेष को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बैंक शेष के रूप में दिखाया जाता है (अन्य योजनाओं एवं प्रशासनिक लेखों के लेन-देन का समायोजन करने के पश्चात्)।

XI. अचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24)

भूमि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नाम से पंजीकृत नहीं है निम्नानुसार है: -

| क्र.सं. | अंचल/कार्यालय का नाम | भूमि का विवरण |
|---------|--|--|
| 1 | आंचलिक कार्यालय तेलंगाना (हैदराबाद) | <p>एसवाई क्रमांक 276/2 ऑल्विन कॉलोनी, कुकटपल्ली, जीओ एमएस क्रमांक 166 दिनांक 17.06.2016 । ऑल्विन कर्मचारी आवास समिति ने माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन डबल्यू.पी. 4896/2015 दायर की जिसमें कहा गया कि भूमि पहले से ही एल्विन कॉलोनी कर्मचारी सोसायटी के नाम पर पंजीकृत थी। रुपये 8,01,26,300/- की वापसी के लिए संबंधित एजेंसी से बातचीत चल रही है। जोनल कार्यालय ने रुपये 8,01,26,300/- रिफंड के लिए संबंधित एजेंसी को दिनांक 11.02.2022, 13.07.2022, 21.11.2022 और 19.04.2023 को पत्र जारी किये हैं।</p> <p>आंचलिक कार्यालय द्वारा गठित अधिकारियों की एक टीम ने दिनांक 24.06.2023 को तेलंगाना सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात की एवं उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय, पटनचेरु कार्यालय भवन के लिए पटनचेरु गांव या संगारेड्डी में वैकल्पिक भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया। प्रमुख सचिव ने मामले को सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया और क्षेत्रीय कार्यालय, कुकटपल्ली के अनुरोध की जांच के लिए सीसीएलए, तेलंगाना को एक पत्र भेजा। क्षेत्रीय कार्यालय, कुकटपल्ली ने पुनः तेलंगाना सरकार के राजस्व विभाग और सीसीएलए के प्रधान सचिव से इस मुद्दे के शीघ्र निपटान के लिए मामले पर चर्चा करने के लिए मुलाकात करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय ने 28.02.2024 को एक मेल भेजकर मुख्यालय को इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।</p> |
| 2 | मुख्यालय, नई दिल्ली | <p>कभनिसं, मुख्यालय, 14 भीकाजी कामा प्लेस, हुडको विशाला बिल्डिंग का निर्मित कार्यालय स्थान हुडको से लीज के आधार पर खरीदा गया था, हालांकि, आज तक कभनिसं के नाम पर लीज पंजीकृत नहीं किया गया है। 31-03-2023 को इस भवन का मूल्यहास के बाद बुक वैल्यू 18,88,03,321/- रुपये है। भूमि एवं विकास विभाग से एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हुडको ने अभी तक इसे कभनिसं के नाम पर लीज पर नहीं दिया है।</p> |

XII. स्टॉफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1952 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई अपनी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक अंतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले अंतरित कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों का 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

31.03.2019 को अंतिम बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2024 को निधि में घाटे/अधिशेष की वर्तमान स्थिति नीचे सारणीबद्ध है:

(राशि रूपये करोड़ों में)

| | | |
|--------|---|------------------|
| (i) | पेंशन | 11,406.84 |
| (ii) | एन.पी.एस. (मृत्यु के मामलों में परिवार पेंशन) | 558.34 |
| (iii) | ग्रेच्युटी | 1058.37 |
| (iv) | कुल देयताएं (i)+(ii)+(iii) | 13,023.55 |
| (v) | दिनांक 31.03.2019 को उपलब्ध शेष | 8,305.95 |
| (vi) | दिनांक 31.03.2019 को घाटा (iv) – (v) | 4,717.60 |
| (vii) | वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि | 1,316.01 |
| (viii) | वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि | 1,419.88 |
| (ix) | वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि | 1,630.69 |
| (x) | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि | 2,285.55 |
| (xi) | वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पेंशन-सह-ग्रेच्युटी में अंतरित राशि | 2,672.70 |

| | | |
|-------|------------------------------------|-------------|
| (xii) | 31.03.2024 तक घटा (vi-vii-viii-ix) | (-)4,607.23 |
|-------|------------------------------------|-------------|

हस्ता/-
(संजय पांडेय)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

हस्ता/-
(नीलम शमी राव)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

31 मार्च, 2024 को ब्याज एवं परिपक्वता की बकाया चूक की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|---------|-----------------------|--|-------------------------------|
| 1. | मैसर्स रिलायंस कैपिटल | 15,00,00,00,000 रुपये | 10,18,63,83,561.65 रुपये |

वर्तमान स्थिति

- i. क.भ.नि.सं. का रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) में 2,500 करोड़ रुपये का निवेश है।
- ii. रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने अपने वित्तीय दायित्व में चूक की और अक्टूबर 2019 में चूक रेटिंग में आकर डाउनग्रेड हो गया। आरसीएल द्वारा अपने क्रेडिटर्स के प्रति विभिन्न भुगतान दायित्व में चूक और गंभीर शासन संबंधी चिंताओं को देखते हुए आरबीआई ने दिनांक 29.11.2021 की अधिसूचना के माध्यम से मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के निदेशक मंडल को हटा दिया। आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत श्री नागेश्वर राव वाई (पूर्व कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) को कंपनी के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- iii. रिज़र्व बैंक ने 02 दिसंबर, 2021 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 227 के तहत रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। एनसीएलटी के 6 दिसंबर, 2021 के आदेश के अनुसार, आरसीएल के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") शुरू की गई थी। कभनिसं आरसीएल की लेनदार समिति (सीओसी) में शामिल है, जो कॉर्पोरेट देनदार के प्रमुख वित्तीय लेनदारों में से एक है। सीओसी में शामिल अन्य प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) है।
- iv. सीओसी ने दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणी का मूल्यांकन प्राप्त किया और कॉर्पोरेट ऋणी की चिंता के समाधान के लिए बोलियां आमंत्रित की। मूल्यांकन किया गया औसत परिसमापन मूल्य 13,159 करोड़ रुपये आंकलित किया गया।
- v. डिबेंचर ट्रस्टी ने डिबेंचर धारकों की ओर से दावे का विवरण प्रशासक को दाखिल किया। सभी ऋणदाताओं के कुल स्वीकृत दावे लगभग 25,435 करोड़ रुपये हैं। क.भ.नि.सं. के संबंध में स्वीकृत दावे की राशि 3308.67 करोड़ रुपये (2,500 करोड़ रुपये मूल राशि) है।
- vi. क्रेडिटर्स की समिति (सीओसी) ने आरसीएल के समाधान के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को मंजूरी दे दी थी, जो सीओसी के मूल्य को अधिकतम करने के लिए संपूर्ण इकाई के रूप में या समूहों में समाधान प्रदान करती है।
- vii. इसके बाद, चुनौती तंत्र के हिस्से के रूप में आरएफआरपी जारी की गई और पीआरए से प्रस्तावों को स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30.06.2022 निर्धारित की गई।
- viii. 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित चुनौती में, समाधान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई दो उच्चतम वित्तीय बोलियाँ टॉरेंट समूह द्वारा 8,640 करोड़ रुपये और हिंदुजा समूह द्वारा 8,110 करोड़ रुपये (इंडसइंडस्ट्रियल होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से) की थीं। हालाँकि, हस्ताक्षरित समाधान योजना जमा करने के समय, हिंदुजा समूह ने बोली राशि में संशोधन करके इसे 9,000 करोड़ रुपये किया।
- ix. टॉरेंट समूह ने एनसीएलटी में इस दलील के साथ मामला दायर किया कि सीओसी को चुनौती तंत्र के बाहर हिंदुजा समूह द्वारा

| | |
|-----|---|
| | प्रस्तुत संशोधित बोली मूल्य पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जाए। एनसीएलटी ने टॉरेंट समूह के पक्ष में निर्णय दिया और सीओसी को चुनौती तंत्र में प्रस्तुत वित्तीय बोलियों के साथ समाधान योजनाओं पर मतदान करने का निर्देश दिया। |
| x. | दूसरे चुनौती तंत्र में उच्चतम बोली लगाने वाले से प्राप्त उच्चतम एनपीवी 9,650 करोड़ रुपये (नौ हजार छह सौ पचास करोड़ रुपये) है, केवल एक पीआरए अर्थात् आईआईएचएल ने दूसरे चुनौती तंत्र में भाग लिया। |
| xi. | सीओसी द्वारा स्वीकृति के बाद, एनसीएलटी ने 27 फरवरी 2024 के अपने आदेश के माध्यम से आईआईएचएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, 31.03.2024 तक समाधान योजना को लागू नहीं किया गया है। |

| क्र.सं. | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 2. | मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेशियल सर्विस | 2,09,77,90,967.85 रुपये | 2,22,10,79,238.92 रुपये |

वर्तमान स्थिति :

- i. कभनिसं का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस लिमिटेड) के सुरक्षित डिबेंचर में निवेश है।
- ii. सरकार ने अक्टूबर 2018 में नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241(2) के तहत आईएलएफएस बोर्ड को भंग कर दिया। यह धारा सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए किसी कंपनी के बोर्ड को आगे के कुप्रबंधन से रोकने के लिए उसे अधिक्रमण करने में सक्षम बनाती है।
- iii. 8 फरवरी 2019 को क.भ.नि.सं. सहित सभी डिबेंचरधारकों की ओर से डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। दिनांक 12.03.2020 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलएटी ने भारत संघ द्वारा प्रस्तावित कॉर्पोरेट ऋणी के समाधान तंत्र को वितरण योजना सहित स्वीकार कर लिया है। साथ ही कुछ लेनदारों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि समाधान धारा 53 आईबीसी की योजना के अनुसार किया जाना चाहिए।
- iv. दिनांक 12.03.2020 के आदेश को हिंदुस्तान जिक एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड ट्रस्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी डायरी संख्या 41253/2019 और एसएलपी डायरी संख्या 13094/2020 में चुनौती दी गई है। उसी के परिणामस्वरूप एनसीएलएटी ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि दिनांक 28.09.2020 के आदेश से स्पष्ट है।
- v. उपरोक्त मामले में सिविल अपील संख्या 496-497/2021 तथा सिविल अपील संख्या 2989-2990/2020 में अभियोग लगाने के लिए आवेदन दाखिल किए गए हैं। मुख्य मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं तथा कुछ समय से सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं। पिछली बार इसे 05.12.2023 को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं आ सका। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में सूचीबद्ध करने की अगली तिथि 13.05.2024 दर्शाई जा रही है, लेकिन यह अंतिम नहीं तिथि बल्कि संभावित तिथि है।
- vi. मूल राशि 12.59 करोड़ रुपए दिनांक 20-10-2023 को संरक्षक द्वारा प्राप्त/पुष्टि की गई है।

| क्र.सं | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|--------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 3. | मैसर्स उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम | शून्य | 70.07 करोड़* |

वर्तमान स्थिति :

- i. क.भ.नि.सं ने मैसर्स यूपीएफसी द्वारा जारी बांडों/प्रतिभूतियों में निवेश किया है जिसका अंकित मूल्य रु. 25 करोड़ है। जारीकर्ता 2004 से ब्याज के भुगतान में चूक कर रहा है।
- ii. देयों की वसूली के लिए माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ में रिट याचिका दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 22.02.2011 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें मैसर्स यूपीएफसी को अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
- iii. यूपीएफसी के माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश (लखनऊ बेंच) के मूल राशि के भुगतान हेतु अंतरिम आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उप क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 1760 द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका फाइल की गई थी।
- iv. माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 27.07.2018 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पक्ष में निर्णय दिया है।
- v. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि:
 ".....याचिकाकर्ता को मूल राशि का भुगतान आज से एक महीने के भीतर किया जाएगा और उसके बाद तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता को ब्याज की राशि भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2018 की सिविल अपील संख्या 1467 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2028 में बनाई गई योजना के अनुसार भुगतान की जाएगी।"
 2018 की सिविल अपील संख्या 1467 में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.02.2028 में कहा गया है:
 " यदि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी 18% की दर से ब्याज के पात्र होंगे और देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।"
- vi. केंद्रीय न्यायी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (डब्ल्यू पी संख्या 1760) में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच के आदेश में दिए गए निदेश का पालन करते हुए, यूपीएफसी ने 27.08.2018 को रूपये 25 करोड़ की मूल राशि का भुगतान कर दिया है।
- vii. इसके अलावा मैसर्स यूपीएफसी ने क.भ.नि.सं. द्वारा दावा की गई ब्याज राशि जो 27.10.2018 को 54,33,03,987.16 रुपये थी, की तुलना में 05.12.2018 को केवल 27,60,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया है।
- viii. क.भ.नि.सं ने फिर से प्रधान सचिव, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, सिविल सचिवालय, लखनऊ को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध किया था।
- ix. केंद्रीय बोर्ड, क.भ.नि. को बकाया राशि प्रेषित करने के लिए जारीकर्ता को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु मामले को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के साथ भी उठाया जा रहा है।
- x. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

*उल्लिखित देय राशि में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपार्जित ब्याज भी शामिल है।

| क्र.सं. | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 4. | मैसर्स रिचर्ड एंड कूडास (आरसीएल) (मार्च, 2002 से) | 4,47,68,281.35 | रूपये |

वर्तमान स्थिति :

- i. क.भ.नि.सं. ने देयों की वसूली हेतु रिट याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। क.भ.नि.सं. ने एस सी वी को दिनांक 25.07.2014 को पत्र द्वारा अधिवक्ता से उन कागजातों को एकत्र करने के लिए कहा जिसमें यह दिखाया गया है कि क.भ.नि.सं. ने संपूर्ण देयों की वसूली हेतु रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (आरसीएल) के संबंध में वर्ष 1992 के बीआईएफआर मामला संख्या 509 में अपना दावा फाइल किया है।
- ii. मामले को हल करने के लिए हमारे पत्र दिनांक 19.09.2016 तथा दिनांक 17.03.2017 द्वारा विलंबित देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है।
- iii. पत्र दिनांक 22.05.2017 तथा दिनांक 09.11.2017 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (आर एंड सी एल) के साथ और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 31.05.2018 द्वारा बकाया ब्याज के यथा शीघ्र भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मामले को उठाया गया है। संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को एक अनुस्मारक पत्र दिनांक 05-04-2019 को बकाया ब्याज राशि के शीघ्र भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ भेजा गया है, एससीवी, संरक्षक को अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
- iv. इसके अलावा, 03 मार्च, 2022 को बिना किसी विलंब के बकाया अतिदेय ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए एक पत्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड को और संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय को इस मामले को देखने और बकाया राशि के शीघ्र भुगतान और निपटान के लिए उचित निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था।
- v. मामले को विधि प्रभाग के माध्यम से क.भ.नि.सं. के पैनल अधिवक्ता को उपलब्ध विधिक उपचारों के लिए भेजा गया है ताकि उक्त कंपनी से बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
- vi. पैनल अधिवक्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि माननीय एनसीएलटी, मुंबई बेंच के समक्ष मैसर्स रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (आरसीएल) के विरुद्ध चंद्र श्रीनिवासुलु बनाम रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लिमिटेड [सी.पी. (आईबी) /434(एमबी)/2021] के नाम से दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 9 के तहत कार्यवाही चल रही है।
- vii. इस मामले की निगरानी क.भ.नि.सं. के विधि प्रभाग के माध्यम से की जा रही है।

| क्र.सं | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|--------|--|--|-------------------------------|
| 5. | एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी) बीआईएफ आर मामला (1996 से) | | 3,82,00,285.42 रुपये |

वर्तमान स्थिति :

- i. क.भ.नि.सं ने जुलाई, 1994 में एचएमटी बांड में 25 करोड़ रुपये का निवेश किया था जिसकी परिपक्वता अवधि 1999 में थी। एचएमटी 1 जनवरी, 1996 से ब्याज का भुगतान करने में विफल रही थी। तदनुसार, क.भ.नि.सं ने इस मामले को सचिव, श्रम मंत्रालय के माध्यम से सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के साथ 31.12.1996 को उठाया। परन्तु नियमित अनुस्मारक के बावजूद एचएमटी अपने देयों का भुगतान करने में विफल रही।
- ii. देयों की वसूली के लिए, क.भ.नि.सं ने 06/03/1999 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अपनी 150वीं बैठक में एचएमटी लिमिटेड के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। तदनुसार, जारीकर्ता से देय मूलधन और ब्याज राशि की वसूली हेतु 29.06.1999 और 29.10.2000 को सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर में दो मुकदमे दायर किए गए। माननीय सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर ने 19.08.2003 को मामले को विवाद से संबंधित समिति (सीओडी) को भेज दिया। सीओडी के निर्णय के बाद, एचएमटी ने 04.12.2004 को 64,72,84,922/- रुपये की राशि भेज दी।
- iii. सीओडी के निर्णय के अनुसार, एचएमटी को अंतिम निपटान की तारीख तक क.भ.नि.सं. द्वारा घोषित और अंशदाताओं को भुगतान की गई दर पर ब्याज का भुगतान करना था। इस प्रकार 5.12.2004 को एचएमटी द्वारा देय राशि रु 65,65,16,405.07 थी। तदनुसार, एचएमटी ने 92,31,483.07 रुपये का कम भुगतान किया।
- iv. एचएमटी लिमिटेड को क.भ.नि.सं के पत्र संख्या एसएसबी/पीएमएस/4575 दिनांक 08.12.2004 द्वारा अंतर की राशि भेजने की सलाह दी गई थी, परंतु एचएमटी ने क.भ.नि.सं के पत्र के साथ-साथ भेजे गए अन्य अनुस्मारक का भी उत्तर नहीं दिया।
- v. सिटी सिविल न्यायालय, बेंगलूर में वसूली मुकदमे दायर किए गए थे। एचएमटी ने एसआईसीए की धारा 22 के अंतर्गत आगे की कार्रवाही पर स्टे हेतु एक आवेदन फाइल किया है। इस मामले को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय पीन्या के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था।
- vi. के.न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा दायर किए गए मुकदमे को माननीय XXX अपर सिटी सिविल एंड सेशन जज बेंगलूरु ने आदेश दिनांक 20/03/2020 द्वारा खारिज कर दिया है।
- vii. माननीय XXX अपर सिटी सिविल एंड सेशन जज, बेंगलूरु ने मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि: "माननीय बीआईएफआर द्वारा मामला संख्या 501/2006 में पारित स्वीकृत योजना दिनांक 12-06-2008 जिसमें याचिकाकर्ता को मुकदमे के दावों पर ब्याज माफ करने का निर्देश दिया गया और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985 की धारा 26 के तहत रोक को ध्यान में रखते हुए, ओएस संख्य.4974/1999 और ओएस संख्य.7157/2000 में दोनों मुकदमे चलने योग्य नहीं हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दोनों मुकदमों को लागत सहित खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री बनाएं।"
- viii. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई विचाराधीन है।

| क्र. सं | जारीकर्ता का नाम | चूक में (प्रतिभूति का अंकित मूल्य) मूल | ब्याज देय, परंतु प्राप्त नहीं |
|---------|-------------------|--|-------------------------------|
| 6. | मैसर्स पीएसआईडीसी | 2,26,00,000 रूपये | 1,10,49,816.69 रूपये |

वर्तमान स्थिति :

- i. पीएसआईडीसी के अध्यक्ष को 19-04-20216 को के.न्या.बोर्ड, क.भ.नि. को सभी लंबित देय भुगतान प्रेषित करने के लिए एक अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया था। इसके अलावा बकाया ब्याज और परिपक्वता राशि के भुगतान के लिए पत्र दिनांक 16.08.2016, 30.12.2016, 15.03.2017, 13.07.2017, 16.10.2019, 13.12.2019 और 20.02.2020 जारी किए गए।
- ii. एक अन्य अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2020 जारी किया गया जिसके बाद पत्र दिनांक 03.03.2022 जारी किया गया जिसमें अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चंडीगढ़ से देयों के भुगतान में तेजी लाने के लिए पीएसआईडीसी के साथ उक्त मामले पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।
- iii. ब्याज और रिडेम्प्शन भुगतान प्राप्त न होने पर एससीबी, संरक्षक द्वारा पीएसआईडीसी को पत्र दिनांक 20.05.2021 भेजा गया है।
- iv. क.भ.नि.सं. को देय राशि जल्द से जल्द प्रेषित करने के लिए प्रबंध निदेशक, पीएसआईडीसी को दिनांक 03.03.2022 को एक पत्र भेजा गया था। हमारे पत्र दिनांक 03.03.2022 के उत्तर में, मैसर्स पीएसआईडीसी से एक पत्र दिनांक 01.04.2022 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में, मैसर्स पीएसआईडीसी ने राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर केवल मूल राशि के बकाये का निपटान करने की पेशकश की।
- v. देयों की वसूली के लिए मामले को विधिक मत/आगे की कार्रवाई हेतु क.भ.नि.सं. के विधि प्रभाग को भेजा गया है।
- vi. केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ को बकाया राशि प्रेषित करने के लिए जारीकर्ता को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए मामले को मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के साथ भी उठाया जा रहा है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खातों पर
पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
गणना
की गई।

31मार्च, 2024को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

| नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ | क.भ.नि.सं. का उत्तर |
|--|--|
| <p>हमने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 को वित्तीय स्थिति का विवरण, उस वर्ष समाप्त हुए आय और व्यय लेखा एवं वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट शामिल हैं, और कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (दायित्व, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश भी शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में एबी की इकाइयों/शाखाओं के खाते शामिल हैं।</p> | <p>1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।</p> |
| <p>2. इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप लेखांकन नीतियों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता सह निष्पादन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, को निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।</p> | <p>2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।</p> |
| <p>3. हमारे विचार में, हमारी रिपोर्ट के विशेषज्ञ राय के लिए आधार वाले भाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, लेखांकन नीतियां एवं उन पर नोट्स और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में को साथ पठित ईपीएफओ के संलग्न वित्तीय विवरण और उसके पश्चात आयी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामले 31 मार्च, 2024 को स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और लेखों के एक समान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए इसका वित्तीय प्रदर्शन एवं इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।</p> | <p>3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं ।</p> |
| <p>4. विशेषज्ञ राय के लिए आधार</p> <ul style="list-style-type: none"> ईपीएफओ योजना के पैरा 32 के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना का वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन करने जा रहा है। पिछला बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था, जिसने 37,326.94 करोड़ रुपये की बीमांकिक कमी का संकेत दिया था। ईपीएफओ ने 2023-2024 में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के | <p>4. विशेषज्ञ राय के लिए आधार</p> <ul style="list-style-type: none"> कर्मचारी पेंशन योजना का बीमांकिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन से संबंधित ईपीएस योजना के पैरा 32 में कहा गया है-"(1) केन्द्र सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कराएगी। |

आधार पर कमी के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

इस प्रकार, मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सरकार ने 3 साल (31.03.2020,31.03.2021 और 31.03.2022)के लिए कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकक नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2020 (2019-20) को कर्मचारी पेंशननिधि की 24वीं बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट का मसौदा मूल्यांकक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।जाँच के बाद, इसे विचार और अनुमोदन के लिए सरकार को भेज दिया गया है।

31-03-2021 और 31-03-2022 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन प्रक्रिया में है। इसके अलावा, 31-03-2023, 31-03-2024 और 31-03-2025 के कर्मचारी पेंशन कोष के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति हेतु आरएफपी को, सरकार के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और प्रक्रियाधीन है।

जहां तक बीमांकिक कमी के विरुद्ध प्रावधान बनाने के मुद्दे का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित ईपीएस योजना के पैरा 32 में यह प्रावधान है कि

"(2) किसी भी समय, जब कर्मचारी पेंशन निधि ऐसी अनुमति दे, केन्द्र सरकार इस योजना के अधीन देय अंशदान की दर या इस योजना के अधीन स्वीकार्य किसी लाभ के पैमाने या वह अवधि जिसके लिए ऐसा लाभ दिया जा सकेगा, परिवर्तित कर सकेगी।"

बीमांकिक घाटे के प्रावधान के लिए योजना में कोई उपबंध नहीं है। हालांकि, ईपीएस-1995 के पैरा 32 के अनुसार, केंद्र सरकार के पास अंशदान दरों, लाभों के पैमाने या उस अवधि को बदलने का अधिकार है, जिसके लिए लाभ देय हैं। इस प्रकार बीमांकिक अनुमान, निर्णय लेने में सहायता करते हैं, जैसा कि ऊपर पैरा 32 (2) में निर्दिष्ट किया गया है। ये मूल्यांकन नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करने और भविष्य में संभावित नकदी प्रवाह की चुनौतियों का समाधान करने के लिए हैं। इन्हें लेखांकन अनुमानों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है इसलिए इन्हें लेखांकन प्रावधान के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

- 31.03.2019 तक 4717.60 करोड़ रुपये की बीमांकिक कमी के आधार पर ईपीएफ प्रशासनिक खाते से 2020-21 से 2023-24 के दौरान स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में 9217 करोड़ रुपये अंतरित किए गए। हालांकि, यह घाटे या अधिशेष के सही मूल्य को नहीं दिखाता है क्योंकि आवश्यक बीमांकिक मूल्यांकन 2023-24 में नहीं किया गया था।
- ईपीएफओ ने सूचित किया है कि फरवरी 2019 में अपनी 224 वीं बैठक में सीबीटी द्वारा अनुमोदित, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश के लिए लेखा नीति को अभी तक मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इसके अलावा, ईपीएफओ कैग के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट खातों के स्वीकृत सामान्य प्रारूप के अनुसार अपने लेखे तैयार करता है। कैग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में वित्तीय विवरणों में बीमांकिक कमियों या अधिशेष की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ-साथ, आईसीएआई, भारत सरकार के लेखा मानकों (आईजीएएस) या भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईजीएफआरएस) द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों में से कोई भी इस मुद्दे पर मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है।

इस प्रकार हमारे विचार में, बीमांकिक कमी के प्रावधान के लिए सुझाए गए तरीके, किसी भी लेखा परंपराओं के तहत निर्धारित नहीं हैं और न ही हमारे अधिनियम और योजनाओं के विनियमन में इसकी बात की गई है।

- **कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी निधि का बीमांकिक मूल्यांकन:**

यह ईपीएफओ का आंतरिक कोष है। इसके प्रशासन के संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। ईपीएफओ कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ सहित ईपीएफओ के सभी प्रशासनिक खर्च हमारे ईपीएफ प्रशासन कोष से पूरे किए जाते हैं। कर्मचारी पेंशन-सह-ग्रेच्युटी कोष में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंतरण को ईपीएफ प्रशासन खाते में राजस्व अधिशेष द्वारा भी सुगम बनाया गया था और यह कार्य अनुमोदित नीति के अनुसार किया गया था।

वर्तमान में कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

- **ई. टी. एफ. की लेखा नीति**

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश के लिए ईटीएफ लेखांकन नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक, ईपीएफओ लागत मूल्य पर निवेश के लिए लेखांकन करता रहा है क्योंकि वे लंबी अवधि के लिए रखे जाते हैं। इस प्रकार, ईपीएफओ लेखा मानक 13 का अनुपालन कर रहा है। इसके अलावा

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ईपीएफओ ने 20 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर दावों के निपटान में देरी के लिए ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 72 (7) के अनुसार देय दंडात्मक ब्याज से संबंधित कोई डेटा नहीं रखा। | <p>ईटीएफ रिडेम्पशन और इसके लेखांकन पर एक नीति श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कैग को टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • पैरा 72 (7) के अनुसार दांडिक ब्याज यह स्पष्ट किया जाता है कि पैरा 72 (7) एक प्रशासनिक प्रावधान है, जो आयुक्त को दावा निपटान में देरी के लिए उत्तरदायी बनाता है-संबंधित दंडात्मक ब्याज के साथ- केवल तभी जब ऐसी देरी पर्याप्त कारण के बिना होती है। इसके अलावा, ऐसी कोई वसूली की सूचना नहीं मिली है अतः इसकी गणना नहीं की गई है। |
| <p>5. हमने सीएजी के लेखा परीक्षा विनियम/ मानक/ मैनुअल/ दिशानिर्देश/ मार्गदर्शन-नोट/ आदेश/ परिपत्र आदि के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों संबंधी भाग में हमारे उत्तरदायित्वों का आगे वर्णन किया गया है। हम उन नैतिक आवश्यकताओं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी विशेषज्ञता को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।</p> | <p>5. तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।</p> |
| <p>6. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां केंद्रीय न्यासी बोर्ड, लेखों के एक समान प्रारूपके अनुसार वित्तीयविवरण तैयार करने और उन्हें सही तरीके से पेश करने के लिए जिम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रणके लिए भी जिम्मेदार है, जिसे प्रबंधन आवश्यक समझता है ताकि ऐसे वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें जो धोखाधड़ी या गलती की वजह से किसी भी बड़ी गलत जानकारी से मुक्त हों।</p> | <p>6. तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।</p> |
| <p>7. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या गलती की वजह से हों, कुल मिलाकर किसी भी बड़ी गलत बयानी से मुक्त हैं, और सीएजीके लेखाविनियमों/ मानकों/ मैनुअल/ दिशानिर्देशों/ मार्गदर्शन-नोट्स/ आदेशों/ परिपत्रों आदि के अनुसार अपनी राय के साथ एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है।</p> | <p>7. तथ्यात्मक होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।</p> |

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षककी ओर से

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.10.2025

(सौरव कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

क. तुलन पत्र

क.1. अचल परिसंपत्तियां।

क.1.1. लोक लेखे में निवेश का ओवरस्टेटमेंट।

वर्ष 2023-24 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों की अनुसूची 20 और 22 में दिखाई देने वाले लोक लेखों के आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

| | खातों के अनुसार | वेतन और लेखा कार्यालय के अनुसार | अंतर |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| अनुसूची सं. 20 | | | |
| कर्मचारी पेंशन निधि निवेश - | | | |
| लोक लेखा | 22,65,30,85,36,012.86 | 22,65,30,85,52,000.00 | -15,987.14 |
| अनुसूची सं . 22 | | | |
| कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना निवेश - | | | |
| लोक लेखा | 1,54,04,09,30,388.14 | 1,5390,05,35,000.00 | 14,03,95,388.14 |

इस प्रकार, उपरोक्त विवरण के अनुसार लोक लेखा निवेश में शेष राशि 14.03 करोड़ रुपये से अधिक है। अंतर के समाशोधन की जरूरत है।

क. तुलन पत्र

क.1. अचल परिसंपत्तियां।

क.1.1. लोक लेखे में निवेश का ओवरस्टेटमेंट।

वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति के साथ एक विस्तृत कालक्रम निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है-

भारत के लोकलेखों में क.पें.यो.-95 के समापन शेष में जो अंतर केंद्र सरकार के वित्त लेखों और क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों में परिलक्षित होता है, वह वित्त वर्ष 1972-73 से बना हुआ है, यानी ईएफपीएस-71 (क.पें.यो.-95 की पूर्ववर्ती) की शुरुआत से। उस समय, यह अंतर 40,928 (रुपये हजार में) था। इसी तरह, लोक लेखों में ईडीएलआई-76 के समापन शेष में विसंगतियां कम से कम वित्त वर्ष 1982-83 से देखी जा सकती हैं, जिसकी राशि 436,653 (रुपये हजार में) है।

वर्ष 2009 में, आंकड़ों में अंतर का समाशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। 31.03.2014 को, क.पें.यो.-95 और ईडीएलआई-76 के संबंध में असंगत अंतर क्रमशः 129.98 करोड़ रुपये और (-) 144.01 करोड़ रुपये था। श्रम और रोजगार मंत्रालय और क.भ.नि.सं. के बीच बैठकों की एक श्रृंखला और व्यापक पत्राचार के बाद, 2015 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा क.पें.यो.-95 से ईडीएलआई-76 में अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से 129.98 करोड़ रूपए का मिलान किया गया, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रभावी की गई थी और 14.04 करोड़ रूपएकीराशि बकाया रह गई थी।

इस संबंध में, क.भ.नि.सं. ने अपने पत्र दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से, श्रम और रोजगार मंत्रालय को सूचित किया कि 2015 में किए गए समायोजन पीएओ, श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखों में किए गए थे, न कि क.भ.नि.सं. के लेखों में। इसने स्थापित किया कि क.भ.नि.सं. द्वारा बनाए गए आंकड़े सही थे, और इसलिए ईडीएलआई-76 के संबंध में 14.04 करोड़ रूपए के अवशिष्ट अंतर को भी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के लेखों में समायोजन की आवश्यकता थी। हालांकि, ईडीएलआई-76 के संबंध में उक्त मिलान अभी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाना है।

इस प्रकार, हमारे लेखाबहियों में प्राप्य पूरी तरह से उचित हैं और इस खाते पर कोई अतिकथन नहीं है। क.भ.नि.सं.द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय से लंबित हस्तांतरण के मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा।

ख. लेखांकन नीतियां

ख.1 आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट (अनुसूची-45)

ख.1.1 क.भ.नि. योजनाओं के मूल्यांकन में देरी

क.भ.नि.सं. में तीन योजनाएं हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंकड बीमा (ईडीएलआई) योजना, और स्टाफ पेंशन और उपदान योजना, जिन्हें भविष्य में देय देनदारियों की प्रकृति के कारण बीमांकिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हालांकि, इन योजनाओं का निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन क.भ.नि.सं. द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नहीं किया जा रहा है:

| योजना का नाम | निर्धारित और संचालित बीमांकिक मूल्यांकन। | लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ। |
|---|--|--|
| कर्मचारी पेंशन योजना | योजना के पैरा 32 के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित किया गया है। 2019-20 में अंतिम मूल्यांकन किया गया, वर्तमान मूल्यांकन जनवरी 2023 से चल रहा है। | निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया गया, और पिछले मूल्यांकन (2019-20) में रिपोर्ट किए गए ₹37,326.94 करोड़ की कमी का प्रभाव प्रावधान बनाकर, लेखों में शामिल नहीं किया गया। |
| कर्मचारी जमा लिंकड बीमा (ईडीएलआई) योजना, | योजना में निर्धारित नहीं है। अंतिम मूल्यांकन 2019-20 में किया गया था। नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन जुलाई 2024 में किया गया और रिपोर्ट के आधार पर योजना में बदलाव किए गए। | क.भ.नि.सं. को बीमांकिक मूल्यांकन की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए सरकार के साथ इसे उठाना। |
| स्टाफ पेंशन और उपदान योजना | 23.02.2006 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में केंद्रीय न्यासी बोर्ड क.भ.नि.सं. ने द्विवार्षिक मूल्यांकन की सिफारिश की थी। 2019-20 में अंतिम मूल्यांकन किया गया, वर्तमान मूल्यांकन जनवरी 2023 से चल रहा है। | निर्धारित द्विवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया गया। 2019-20 में योजना के मूल्यांकन के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹4,717.60 करोड़ की कमी के आधार पर अतिरिक्त राशि इस खाते में अंतरित कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप इस खाते में ₹4,607.23 |

ख. लेखांकन नीतियां

ख.1 आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट (अनुसूची-45)

ख.1.1 क.भ.नि. योजनाओं के मूल्यांकन में देरी

एसएआरके बिंदु 4 जो विशेषज्ञ राय के आधार से संबंधित है, पर टिप्पणियों में पहले से ही विस्तार से बताया गया है।

करोड़ का अधिशेष शेष हो गया है।

i. कर्मचारी पेंशन योजना:

क.भ.नि.सं ने उत्तर दिया कि बीमांकिक घाटे का मामला हमारी वार्षिक रिपोर्टों और लेखा-टिप्पणियों में नियमित रूप से दर्ज किया गया है, लेकिन लेखा-पुस्तकों में इसका कोई लेखांकन प्रावधान नहीं है। योजना में बीमांकिक घाटे के प्रावधानीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, कपेयो-1995 के पैरा 32 के अनुसार, केंद्र सरकार के पास अंशदान दरों, लाभों के पैमाने या उस अवधि को बदलने का अधिकार है जिसके लिए लाभ देय हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 1996 से 2000 के दौरान निधि में बीमांकिक अधिशेष था। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अधिशेष पर विचार करते हुए, मौजूदा लाभार्थियों को महंगाई राहत दी। वर्ष 2001 से, कपेयो निधि ने बीमांकिक कमी दिखानी शुरू कर दी। इस घाटे को देखते हुए, बीमांकिक असंतुलन का प्रबंधन करने के लिए वर्ष 2014 में कपेयो-1995 में कई बदलाव किए गए थे। नतीजतन, 2015 में निधि अधिशेष हो गई। उपर्युक्त स्पष्टीकरण इस तथ्य को उजागर करता है कि बीमांकिक घाटे या अधिशेष के लिए कोई लेखांकन निहितार्थ नहीं है, बल्कि यह निधि स्थिरता का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीति परिवर्तन को लागू करने के लिए एक प्रबंधन उपकरण है।

क.भ.नि.सं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने बीमांकिक गणना द्वारा अनुमानित कमी के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है चूंकि लेखों में प्रदर्शित प्रावधान कमी को पर्याप्त रूप से उजागर करेगा। यह सरकार (मंत्रालय) के लिए इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक अनुस्मारक होगा।

ii. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना

क.भ.नि.सं ने उत्तर दिया है कि ईडीएलआई योजना के मूल्यांकन की आवृत्ति सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि जुलाई 2024 में नवीनतम मूल्यांकन किया गया है और योजना में संशोधनों को केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अपनी 237वीं बैठक में

i. कर्मचारी पेंशन योजना

एसएआर के बिंदु 4 जो विशेषज्ञ राय के आधार से संबंधित है की टिप्पणियों में पहले ही विस्तार से वर्णन किया गया है,

ii. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई)

ईडीएलआई फंड के आवधिक बीमांकिक मूल्यांकन के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सुझाव पर भारत सरकार से विचार किया जाएगा।

अनुमोदित किया गया है।

क.भ.नि.सं का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसे आवधिक आधार पर भविष्य की देनदारियों का आकलन करने के लिए योजना के बीमांकन मूल्यांकन की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए सरकार के साथ मामला उठाना चाहिए.

iii. स्टाफ पेंशन और ग्रेच्युटी योजना

क.भ.नि.सं ने उत्तर दिया कि क.भ.नि.सं के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ सहित क.भ.नि.सं के सभी प्रशासनिक खर्चों को क.भ.नि. प्रशासन निधि से पूरा किया जाता है। कर्मचारी पेंशन-सह-ग्रेच्युटी निधि में कमी को पूरा करने के लिए किए गए अंतरण को क.भ.नि प्रशासन लेखे में राजस्व अधिशेष द्वारा भी पूरा किया गया था और यह अनुमोदित नीति के अनुसार किया गया था। हालांकि, कै पें यो के तहत बीमांकिक कमी के लिए एक समान अंतरण संभव नहीं है, क्योंकि योजना में अधिशेष या इक्विटी तत्व नहीं है।

क.भ.नि.सं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिपण्णी यहां इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि के.न्या.बो क.भ.नि.सं द्वारा निर्धारित कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया है और अंतरण केवल तदर्थ आधार पर किया गया है।

iii. कर्मचारी पेंशन एवं ग्रेच्युटी योजना

कर्मचारी पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि के ए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए बीमांकिक नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट लंबित है।

ग सामान्य

ग.1 क.भ.नि.सं ने तीन योजनाओं - कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना के संबंध में तीन अलग-अलग समेकित तुलन पत्र नहीं बनाए हैं, जैसा कि संबंधित योजनाओं के प्रावधानों द्वारा आवश्यक था।

ग सामान्य

ग.1 वर्तमान में क.भ.नि.सं अनुमोदित सामान्य प्रारूप के अनुसार समेकित रूप में वार्षिक लेखों का रखरखाव कर रहा है, जिसमें तीनों योजनाओं और प्रशासनिक निधियों के तुलना पत्र और आय एवं व्यय लेखों, को उनकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ अलग अलग दिखाए गया हैं। यह प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद निर्धारित किया गया है।

उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, के सुझाव के अनुसार इस विषय पर अध्ययन के लिए नियंत्रक एवं महालेखा द्वारा सूचीबद्ध दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) फर्मों का एक पैनल प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। अध्ययन पूरा होने के बाद, सुझाए गए प्रारूप को नियंत्रक एवं महालेखा, परीक्षक से परामर्श के बाद अधिसूचित करने हेतु केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

ग सामान्य

ग.2 ईटीएफ के लेखांकन के संबंध में नीति को अंतिम रूप न देना

क.भ.नि.सं ने अगस्त 2015 से श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएल एंड ई) द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न के अनुसार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निवेश करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए क.भ.नि.सं के वार्षिक लेखों में ईटीएफ में निवेश की कुल राशि ₹2,34,921.49 करोड़ दर्शाई गई है। हालांकि, फरवरी 2019 में हुई केंद्रीय न्यायी बोर्ड की अपनी 224वीं बैठक में अनुमोदित लेखांकन नीति को अभी तक मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नतीजतन, लेखांकन नीति के लंबित प्रस्ताव को देखते हुए, लेखापरीक्षा यह जांच नहीं कर सका कि क.भ.नि.सं के लेखों में क.भ.नि का वर्तमान विवरण सही है या नहीं। क.भ.नि.सं को ईटीएफ निवेश की लेखांकन नीति को तत्काल अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के साथ यह मामला उठाना चाहिए।

क.भ.नि.सं ने उत्तर दिया कि ईटीएफ निवेश लंबी अवधि के लिए रखे जाते हैं और मौजूदा लेखांकन नीति के अनुसार लागत मूल्य पर दर्ज किए जाते हैं और हम लेखांकन मानक 13 का अनुपालन करते हैं। लेखों की टिप्पणी की बिंदु संख्या VII में ईटीएफ का बाजार मूल्य स्पष्ट रूप से ₹3,68,401.50 करोड़ बताया गया है, जो ₹2,34,921.49 करोड़ के लागत मूल्य से काफी अधिक है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए ब्याज दर को मंजूरी देते हुए (29.10.2021 के पत्र के माध्यम से) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से ईटीएफ के मोचन पर एक व्यापक नीति तैयार करने का सुझाव दिया। तदनुसार, "ईटीएफ मोचन नीति की व्यापक रूपरेखा" को 232वीं केन्द्रीय न्यायी बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया इसे दिनांक 16.12.2022 के पत्र के माध्यम से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेषित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजा गया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिनांक 02.07.2025 के पत्र के माध्यम से, यह सूचित किया गया था कि "ईटीएफ मोचन नीति की व्यापक रूपरेखा" नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। " क.भ.नि.सं यह मान लेने के लिए कि ईटीएफ मोचन नीति की व्यापक रूप रेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास लंबित

ग सामान्य

ग.2 ईटीएफ के लेखांकन संबंधी नीति का अंतिम रूप न देना

एसएआर के बिंदु 4 जो विशेषज्ञ राय के आधार से संबंधित है की गई टिप्पणियों में पहले ही विस्तार से वर्णन किया गया है ।

ईटीएफ मोचन और लेखों में इसके विवरण को अंतिम रूप न देना

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए ब्याज दर को मंजूरी देते हुए, (29.10.2021 के पत्र के माध्यम से) नियंत्रक और महालेखा परीक्षा और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से ईटीएफ के मोचन पर एक व्यापक नीति तैयार करने का सुझाव

है, जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से पता नहीं लगाया गया कि क्या इसे पहली बार में भेजा गया था पर खेद व्यक्त करता है। जैसा कि उसमें सिफारिश की गई है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से दिनांक 22.07.2025 के पत्र के माध्यम से टिप्पणी और सुझावों के लिए उक्त दस्तावेज को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेषित करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि "ईटीएफ मोचन नीति की व्यापक रूपरेखा" को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अग्रेषित किया जाना लंबित है। एक बार समीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, इकाईकरण के लिए दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा, इसका लागत मूल्य पर ईटीएफ के मूल्यांकन पर मौजूदा लेखांकन नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि 2015-16 में क.भ.नि.सं के पोर्टफोलियो में उनकी शुरुआत के बाद से ईटीएफ के लेखांकन में कोई विचलन नहीं है, इसलिए यह अनुरोध है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा पर पुनर्विचार किया जाए और उसे हटा दिया जाए।

क.भ.नि.सं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यहां लेखापरीक्षा टिप्पण इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि ईटीएफ मोचन की महत्वपूर्ण नीति और लेखों में इसके विवरण को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जिसके अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि लेखों में ईटीएफ का वर्तमान विवरण सही था या नहीं

ग.3 दावों के निपटान में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज से संबंधित डेटा का रखरखाव न करना:

कभनि योजना 1952 के पैरा 72(7) के अनुसार यदि आयुक्त 20 दिन के भीतर सभी प्रकार से पूर्ण दावे का निपटान करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो आयुक्त उक्त अवधि से अधिक देरी के लिए उत्तरदायी होगा और लाभ राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। हालांकि, कभनिसंने सूचित किया है कि कभनिसंमें ऐसे कोई डेटा का रखरखाव नहीं किया है। इसलिए, लेखापरीक्षा उन मामलों की संख्या को सत्यापित नहीं कर सका जिनमें दावों के निपटान में देरी हुई है और क्या ऐसी देरी के लिए कोई दंडात्मक ब्याज लगाया गया है।

कभनिसं ने उत्तर दिया कि ऐसा कोई डेटा इस बात पर विचार करते हुए नहीं रखा जाता है कि प्रश्न दंडात्मक ब्याज लगाने से संबंधित है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता

दिया। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क.भ.नि.सं को सूचित किया गया था। तदनुसार, "ईटीएफ मोचन नीति की व्यापक रूपरेखा" को तैयार किया गया और 232वें केन्द्रीय न्यायी बोर्ड द्वारा और अनुमोदित किया गया था। इसे दिनांक 16.12.2022 के पत्र के माध्यम से नियंत्रक और महालेखा परीक्षा को अग्रेषित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भेजा गया।

यह सूचित किया जाता है कि "ईटीएफ रिडेम्पशन पॉलिसी की व्यापक रूपरेखा" को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा टिप्पणियों और सुझावों के लिए 21.10.2025 को कैंग कार्यालय को भेज दिया गया है।

ग.3 दावों के निपटान में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज से संबंधित डेटा का रखरखाव न करना:

एसएआरके पॉइंट 4 जो विशेषज्ञ राय के आधार से संबंधित है, की टिप्पणियों में पहले ही विस्तार से बताया गया है,

| | |
|--|--|
| <p>है कि किसी भी लेखांकन इकाई द्वारा ऐसी कोई वसूली की सूचना नहीं दी गई है। आगे स्पष्ट किया गया है, कि पैरा 72(7) एक प्रशासनिक प्रावधान है, जो आयुक्त को दावा निपटान में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराता है - संबद्ध दंडात्मक ब्याज के साथ - केवल तभी जब ऐसी देरी पर्याप्त कारण के बिना होती है। नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकों को शामिल करते हुए एक सक्रिय निगरानी तंत्र लागू किया गया है। नतीजतन, लगभग 95% दावे (लगभग 5.7 करोड़) निर्धारित 20 दिन की समय सीमा के भीतर निपटाए जाते हैं। इसके अलावा, यह भी आश्वासन दिया जाता है कि प्रणालीगत सुधार की पहचान करने के लिए सदस्यों की शिकायतों का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रक्रियात्मक देरी को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सके।</p> <p>कभनिसं का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणियां इस तथ्य पर प्रकाश डालती हैं कि कभनि योजना के प्रावधान 72(7) के कार्यान्वयन और वार्षिक लेखों में वसूले गए दंडात्मक ब्याज को दर्शाने में पारदर्शिता नहीं रखी गई है।</p> | |
| <p>ग.4 वार्षिक लेखों में ईटीएफ की ट्रेकिंग त्रुटि को नहीं बताया गया है।</p> <p>कभनिसं वार्षिक लेखों में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की ट्रेकिंग त्रुटि को नहीं बताता है। कभनिसं ने कहा है कि कभनिसं की वार्षिक रिपोर्ट में ट्रेकिंग त्रुटि को बताया गया है। हालांकि, यह सुझाव दिया जाता है कि वार्षिक लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए लेखों पर नोट में भी ट्रेकिंग त्रुटि को बताया जाना चाहिए।</p> | <p>ग.4 वार्षिक लेखों में ईटीएफ की ट्रेकिंग त्रुटि को नहीं बताया गया है।</p> <p>सीएंडएजीको दिए गए उत्तर में मुख्य रूप से कहा गया है कि ट्रेकिंग त्रुटि की गणना करने की विधि सभी ईटीएफके लिए समान है। विस्तृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के बाद से प्रकटीकरण निरंतर आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे।</p> |
| <p>ग.5 वसूली योग्य राशि का वर्षवार विवरण नहीं बताया है।</p> <p>कभनिसं ने लेखों पर नोट में धारा 7ए, 14बी और 7क्यू के तहत वसूली योग्य राशि को बताया गया है। हालांकि, इन राशियों का वर्षवार ब्रेकअप से जिसमें ये बताया जाए, कि किस वर्ष से संबंधित कितनी राशि अभी भी वसूली हेतु लंबित है, और 'मुकदमेबाजी के तहत' और 'मुकदमेबाजी के बिना' के संदर्भ में इसका विभाजन नहीं बताया गया है। इसे हितधारकों के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण के रूप में दिया जाना चाहिए।</p> | <p>ग.5 वसूली योग्य राशि का वर्षवार विवरण नहीं बताया है।</p> <p>7 ए के लिए सारणीबद्ध मूल्य प्रस्तुत किए गए थे। दंडात्मक नुकसान वर्षवार दिए गए डेटा में तुरंत वसूली योग्य राशि और तुरंत वसूली योग्य नहीं शामिल थी। तुरंत वसूली योग्य राशि (एनआईआर) में मुकदमेबाजी, परिसमापन, बीआईएफआर आदि के तहत मामले शामिल हैं।</p> |
| <p>ग.6 निवेश पर अर्जित और देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज</p> <p>लेखों के साथ संलग्न लेखांकन नीति संख्या 8.3 में कहा गया कि निवेश पर अर्जित और देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज का 2015-16 से एक्रुअल आधार पर लेखा जोखा</p> | <p>ग.6 निवेश पर अर्जित और देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज</p> <p>इसके अतिरिक्त, चूक वाली प्रतिभूतियों से संबंधित मूलधन एवं ब्याज और वित्त वर्ष 2024-25 से उससे जुड़े अर्जित और देय ब्याज और देय और प्राप्त नहीं हुए ब्याज का</p> |

रखा जाता है। उपर्युक्त नीति के आधार पर, जैसा कि नीचे बताया गया है कभनि संकेवार्षिक खातों में 1241.85 करोड़ रुपए के ब्याज, जो प्राप्त नहीं हुआ, की राशि दर्शायी गई हैं।

(राशि रुपए में)

| विवरण | (राशि रुपए में) |
|--|--------------------------|
| अनुसूची संख्या. 19 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम) | |
| निवेश पर देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज | 8,96,67,94,569.99 |
| अनुसूची संख्या. 21 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम) | |
| निवेश पर देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज | 3,35,04,91,761.65 |
| अनुसूची संख्या. 23 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम) | |
| निवेश पर देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज | 7,95,69,635.62 |
| अनुसूची संख्या. 23 (वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम) | |
| निवेश पर देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज | 35,65,500.00 |
| पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि निवेश पर देय ब्याज | |
| निवेश पर देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ ब्याज | 1,81,02,400.00 |
| कुल | 1241,85,23,867.26 |

ये राशि वार्षिक लेखों के अनुलग्नक ए में वर्णित चूककर्ताओं से देय ब्याज राशि से संबंधित हैं। इन चूककर्ताओं से ब्याज की वसूली की संभावना बहुत कम है। लेखों में आय के रूप में शामिल करना सही नहीं है। इसलिए लेखांकन नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है, या लेखों के सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चूककर्ता से देय ₹1720 करोड़ की मूल राशि की वसूली भी संदेहास्पद है। इसलिए, लेखों में उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।

कभनिसं ने वार्षिक लेखों के अनुलग्नक-ए में ₹1,720.34 करोड़ का अप्राप्त निवेश दिखाया है। हालांकि, परिशोधन वर्कशीट में निवेश के विवरण से संबंधित प्रश्न के उत्तर में, कभनिसं ने कहा कि ₹1,726.69 करोड़ (₹1502.27 करोड़ + ₹224.42 करोड़) के

उचित प्रावधान आय से किया जाएगा।

31 मार्च, 2024 तक, 24,77,961.02 करोड़ रुपए (परिशोधित मूल्य) के कुल निवेश पोर्टफोलियो की तुलना में अप्राप्त निवेश की राशि 1,720.34 करोड़ रुपए है, जो केवल 0.07% है।

इसके अलावा, उल्लेखनीय है कि संदर्भ में चूक काफी हद तक गैर-सरकारी और गैर-पीएसयू कंपनियों में निवेश से संबंधित है। इन चूक के बाद से, कभनिसं का बांड में नया निवेश सिर्फ सरकारी और पीएसयू रेटेड बांड तक सीमित है।

लेखा परीक्षण के दौरान निवेश के विवरण से संबंधित प्रश्न के दिनांक 23.01.2025 में दिए गए उत्तर में बताई गई ₹17,266,946,163 की चूक राशि अनुलग्नक-ए में समेकित आंकड़े ₹17,203,359,533 से निम्नलिखित के कारण भिन्न है :

- **आईएल एंड एफएस से वसूल की गई कुल ₹14,64,55,367 राशि** को अनुलग्नक-ए में शामिल नहीं किया गया था।
- रिचर्डसन और एचएमटी लिमिटेड के लिए ₹8,29,68,567 की **दंडात्मक ब्याज राशि** अनुलग्नक -ए में शामिल है, लेकिन ये पहले से ही वसूल किए गए मूलधन और कूपन ब्याज के साथ विलंबित भुगतान से संबंधित हैं।
- लेखापरीक्षा के दौरान प्रश्न के उत्तर में की गई राशि में **जीएमआईडीसी की ₹100,000 मूल्य की प्रतिभूतियां** शामिल हैं, लेकिन अनुलग्नक-ए में शामिल नहीं हैं; यह कोई चूक नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट को यह राशि प्राप्त हुई थी और बाद में उसने इसे कभनिसं को हस्तान्तरित कर दिया था, लेकिन इसका ब्रेकअप उपलब्ध नहीं था।
- इन समायोजनों से ₹6,35,86,800 का निवल अंतर उत्पन्न होता है। आईएल एवं एफएस वसूली चूक राशि को कम करती है, कानूनी निर्णयों के आधार पर एचएमटी पर दंडात्मक ब्याज दावों को हटा दिया जाएगा, और विस्तृत ब्रेक अप की कमी के कारण जीएमआईडीसी की राशि लंबित है।

निवेश में चूक थी, लेकिन कुछ राशि प्राप्त हुई है। तथापि, कभनिसं ने न तो वसूली गई सही बताई और न ही उसने बैंक में इन राशियों की प्राप्ति के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके अलावा, लेखा परीक्षा ने पाया कि वार्षिक लेखों के अनुलग्नक-ए में घोषित अप्राप्त का मूल्य निवेश ₹1,720.34 करोड़ था। हालांकि, कभनिसं ने सूचित किया कि ₹1,726.69 करोड़ की चूक थी। इस प्रकार, वार्षिक लेखों में अप्राप्त घोषित निवेश की राशि ₹6.36 करोड़ कम थी

ग.7 निवेश से संबंधित पिछले वर्ष का समायोजन

लेखों पर नोट के पैरा VII (डी) के अनुसार कभनि योजना 1952 की अनुसूची 18, 20, 22 और 27, ईडीएलआई योजना 1995 और पेंशन और ग्रेच्युटी योजना के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों में की का प्रारंभिक शेष- अंकित मूल्य और 'सीसीआईएल मार्जिन मनी परिशोधित मूल्य' 2020-21 में निम्नलिखित आंकड़ों के स्थान पर गलत तरीके से 'शून्य' बताया गया था:

(राशि रुपए में)

| सीसीआईएल मार्जिन मनी | ईपीएफ | ईपीएस | ईडीएलआई | पीएनजी |
|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 31.03.2020 तक शेष राशि | 38,07,66,354.07 | 10,11,56,445.93 | 7,54,500.00 | 5,22,700.00 |

उपर्युक्त को वर्ष 2021-22 और 2022-23 में आगे ले जाया गया था, जिसे इस वित्त वर्ष में अनुसूची 18, 20, 22 और 27 में सीसीआईएल मार्जिन मनी कॉलम के अनुरूप "वर्ष के दौरान निवेश की गई राशि" शीर्ष के माध्यम से समायोजित किया गया है। पिछले वर्षों के बजाय चालू वर्ष में इस समायोजन का लेखांकन सीसीआईएल मार्जिन मनी के निवेश पर आंतरिक नियंत्रण की विफलता की ओर इशारा करता है। इसलिए, निवेश के विस्तृत प्रणाली लेखापरीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि बहुत बड़ी राशि का पर्याप्त अवधि के लिए लेखों पुस्तकों में कोई लेखा जोखा नहीं रहा।

ग.8 परिशोधन वर्कशीट में परिपक्वता की गलत तिथि।

ईपीएफओ अपने वार्षिक लेखों में निवेश के परिशोधित मूल्य को दिखाता है। इस प्रयोजन के लिए, लागत मूल्य और निवेश के अंकित मूल्य में अंतर को निवेश की

ग.7 निवेश से संबंधित पिछले वर्ष का समायोजन

सीसीआईएल मार्जिन मनी का अनिवार्य जमा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया, हालांकि, इसे लेखा पुस्तकों में उचित रूप से नहीं बताया गया था।

नियमित और चल रही मिलान की गतिविधि के हिस्से के रूप में, हमने सुधारात्मक कदम उठाए हैं और 2023-24 में हमारी पुस्तकों में इसे विधिवत बताया है और हमारे हित धारकों की जानकारी के लिए लेखों पर हमारे नोटों में एक विस्तृत प्रकटीकरण भी प्रस्तुत किया है।

कमी वाले आंतरिक नियंत्रणों पर प्रकाश डालने के विपरीत, हमारी कार्रवाई से पता चलता है कि मजबूत आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है। हाल ही में, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अभिरक्षक से कभनिसं तक जानकारी के प्रसारण के लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार किया गया है।

ग.8 परिशोधन वर्कशीट में परिपक्वता की गलत तिथि।

जहां तक परिशोधन का संबंध है, यह कहा गया है कि परिशोधन प्रतिभूतियों के उपयोगी जीवन पर प्रीमियम या छूट का व्यवस्थित आबंटन है। उदाहरण के लिए 10 रुपये के

परिपक्वता की तिथि तक की अवधि में वार्षिक बट्टे लेखों में डाला जाता है। परिशोधन के वार्षिक मूल्य को घटाने के बाद वार्षिक लेखों में प्रत्येक वर्ष निवेश का निवल मूल्य दिखाया जाता है। हालांकि, परिशोधन वर्कशीट के विवरण की जांच से पता चला कि ₹4,410.00 करोड़ का निवेश दिनांक 31.03.2024 से पहले ही परिपक्व हो चुका है।

इसलिए, दिनांक 31.03.2024 तक के वार्षिक लेखों में दिखाए गए कुल निवेश में ₹4410.00 करोड़ के निवेश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि इन निवेशों की परिपक्वता तिथियों का वर्कशीट में गलत उल्लेख किया गया था और सही परिपक्वता तिथि 31.03.2024 की तुलना में बहुत बाद में थी। संरक्षक बैंक द्वारा जारी होल्डिंग स्टेटमेंट से इसकी पुष्टि की गई थी जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

(राशि ₹ में)

| निवेश का नाम | मूल्य | परिशोधन वर्कशीटमेंनिवेशकीपरिपक्वताकी तिथि | परिपक्वता की सही तिथि |
|--|--------------------------|---|-----------------------|
| 7.10% एनएचएआई एसआर-एक्स 18.02.204 779726 | 1700,00,00,000.00 | 18/02/2024 | 18/02/2040 |
| 5.63% नाबार्ड 2025 बॉन्ड सीरीज 22G | 2160,00,00,000.00 | 26/02/2022 | 26/02/2025 |
| 7.10% एनएचएआई एसआर-एक्स 18.02.204 779726 | 550,00,00,000.00 | 18/02/2024 | 18/02/2040 |
| | 4410,00,00,000.00 | | |

प्रीमियम/छूट पर जारी किए गए अंकित मूल्य ₹100 के 10 वर्ष के बांड को 10 वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष 1 रुपये पर समान रूप से परिशोधित किया जाएगा।

तुलन पत्र में दिखाई देने वाला निवल परिशोधित मूल्य सटीक है और सीधी रेखा विधि का उपयोग करके प्रतिभूतियों के जीवन पर समान रूप से परिशोधित अंकित मूल्य और खरीद मूल्य के बीच के अंतर को दर्शाता है। अंकित मूल्य को संरक्षक के रिकॉर्ड के साथ सत्यापित किया गया। गलत परिपक्वता तिथियों वाली प्रतिभूतियों के लिए, चूंकि उन्हें सममूल्य (कोई प्रीमियम या छूट नहीं) पर खरीदा गया था, परिशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार वार्षिक लेखों में प्रतिभूतियों का कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं होता है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि मसौदा एसएआर के उत्तर के लिए डेटा प्रस्तुत करते समय रिपोर्ट/ डेटा के गलत सृजन के कारण एक त्रुटि हुई थी और सुरक्षा का वास्तविक डेटा और परिशोधन तुलन पत्र में सही रूप में परिलक्षित है। ईपीएफओ पहले से ही अपने निवेश के लिए एक बाहरी समवर्ती लेखा परीक्षक को नियुक्त कर रहा है।

ईपीएफओ ने ₹20.00 लाख के एक अन्य निवेश की परिपक्वता तिथि की त्रुटि के बारे में भी बताया है। हालांकि, इस तरह के निवेश का कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए, लेखापरीक्षा उसे सत्यापित नहीं कर सकता।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परिशोधन वर्कशीट में निवेश से संबंधित ऐसी त्रुटियां ईपीएफओ में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी की ओर संकेत करती हैं। चूंकि वार्षिक लेखों में दर्शाए गए निवेश का मूल्य परिशोधन वर्कशीट से लिया जाता है, इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि ईपीएफओ को वार्षिक लेखों में निवेश की राशि को शामिल करने से पहले हर साल एक सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट से परिशोधन वर्कशीट की लेखापरीक्षा करानी चाहिए।

ग.9 अतिरिक्त क्रेडिट का समाधानन करना

ईपीएफओ के समेकित वित्तीय विवरणों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि अतिरिक्त क्रेडिट के कई उदाहरण हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणों में दिखाए गए अतिरिक्त क्रेडिट का विवरण निम्नानुसार है: -

(राशि ₹ में)

| क्रम संख्या | विवरण | अनुसूची सं. | 31.03.2024 तक के शेष राशि |
|-------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | लेखा संख्या 5 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईपीएफ अंशदान लेखा -केंद्रीय) | 5-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 3,06,30,80,989.61 |
| 2 | अकाउंट नंबर 1 में रकम क्रेडिट की गई लेकिन अकाउंट नंबर 5 से डेबिट नहीं की गई। (पिछले साल से उतनी ही रकम आगे बढ़ाई गई) | | 12,13,13,339 |
| 3 | लेखा संख्या 21 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय) | 9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 1,97,27,688.78 |
| 4 | लेखा संख्या 25 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई अंशदान लेखा - क्षेत्रीय) | 9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 9,64,45,033.21 |
| 5 | आरबीआई लेखे में अतिरिक्त क्रेडिट राशि (पिछले साल से उतनी ही रकम आगे बढ़ाई गई) | 9-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 13,44,061.55 |
| 6 | लेखासंख्या 8 में अतिरिक्त क्रेडिट (स्टाफ भविष्य निधि लेखा) | 15-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 3,21,85,494.88 |

ग. 9 अतिरिक्त क्रेडिट का समाधानन करना

केंद्रीकृत प्राप्तियों और संबंधित स्वीप कार्यक्षमताओं की शुरुआत के बाद इस मुद्दे को तेजी से देखा जा रहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय लेखों में किसी भी जमाकर्ता द्वारा ईसीआर के बिना अंशदान की राशि जमा की जाती है, तो जब तक व्यक्ति सामने आ कर घोषणा नहीं करता, तब तक किसी स्थापना के साथ उस राशि का समाधान करना मुश्किल है। ऐसा वसूली, मूल्यांकन कार्यवाही के विरुद्ध किए गए भुगतान या पिछले संचय आदि के जमा के मामलों में हो सकता है।

यह गलती से या अन्यथा किसी व्यक्ति के बैंक खाते में गलत जमा के समान है और ऐसे व्यक्ति के आगे आने के बाद ही जमाकर्ता के बारे में पता चलेगा।

इसके अलावा, लिगेसी शेष और लेखा इकाइयों को हमेशा निरंतर आधार पर राशियों का मिलान करने के लिए इसकी ओर इंगित किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रयासों के कारण, 31 मार्च, 2025 को शेष राशि 167,37,26,133.89/- रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2023 को यह 341,49,79,600.76/- रुपये थी, जो 50% से अधिक की कमी को दर्शाता है।

| | | | |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 7 | लेखा संख्या 9 में अतिरिक्त क्रेडिट (स्टाफ पेंशन सह ग्रैच्युटि लेखा) | 15-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 8,29,781.01 |
| 8 | लेखा संख्या 22 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा - क्षेत्रीय) | 17-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 87,03,228.97 |
| 9 | लेखा संख्या 24 में अतिरिक्त क्रेडिट (ईडीएलआई प्रशासनिक प्रभार लेखा -केंद्रीय) (पिछले साल से उतनी ही रकम आगे बढ़ाई गई) | 17-(वर्तमान देयताएं और प्रावधान) | 4,83,68,578.52 |
| कुल | | | 3,39,19,98,195.53 |

उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 5 और 9 के मामले में पिछले वर्षों के आंकड़े को ही लिया गया है। ईपीएफओ ने उत्तर दिया कि कई वर्षों से इन राशियों के आंकड़े को ही लिया जा रहा है और इस संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, इन प्रविष्टियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस प्रकार, किसी भी रिकॉर्ड के अभाव में, लेखापरीक्षा इन राशियों का सत्यापन नहीं कर सकता। इसी तरह की टिप्पणी पिछले साल के एसएआर में जारी की गई थी। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग.10 रोकड़ बही का रखरखाव न करना

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय द्वारा बैंक खातों के संबंध में रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, संगठन केवल बैंक विवरण में परिलक्षित बैंक खातों के आंकड़ों पर निर्भर है।

इसके अलावा, आंचलिक कार्यालय विजयवाड़ा, आंचलिक कार्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीनास), क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण (आंचलिक कार्यालय दिल्ली), क्षेत्रीय कार्यालय पुडुचेरी ने रोकड़ बहीको ठीक से रखरखाव नहीं किया है। केवल भुगतान की प्रविष्टियां कैश बुक में दर्ज की गई हैं और प्राप्तियों की प्रविष्टियां रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई हैं।

ग.11 अवर्गीकृत सस्पेंस का मिलान न होना

"कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा प्रक्रिया भाग-1 सामान्य नियमावली के पैरा 10.6 के तहत उप-पैरा II (VII) के अनुसार, "देनदारियों और परिसंपत्ति दोनों पक्षों में

ग.10 रोकड़ बही का रखरखाव न करना

केंद्रीकृत संग्रह सुविधा की शुरुआत के बाद, केंद्रीकृत रसीद रिपोर्ट सूचना सेवा प्रभाग द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय भुगतान का रिकॉर्ड रखते हैं और भुगतान के समाधान के लिए इसे शामिल करते हैं। वास्तव में, बीआरएस के रसीद घटक को सूचना सेवा प्रभाग द्वारा दी गई, रिपोर्ट से बदल दिया गया है जिसका उपयोग रोकड़ बहुत तैयार करने के लिए कर रहे हैं।

यह रोकड़ बही के गैर-रखरखाव के मुद्दे के बजाय पारंपरिक रोकड़ बही ढांचे में रिपोर्ट किए गए डेटा की गैर-प्रस्तुति और शामिल ना करने का मामला है।

ग.11 अवर्गीकृत सस्पेंस का मिलान न होना

क्षेत्रीय खातों में दावों के निपटान के लिए लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए एक बैंक खाता भी होता है, जिसकी आपूर्ति केंद्रीय खाते से स्वीप इन के माध्यम से की जाती है।

अवर्गीकृत सस्पेंस" के तहत दिखाए गई शेष राशि का विवरण दर्शाने वाला एक विवरणी लेनदेन की तारीख और राशि का संक्षिप्त विवरण दर्शाते हुए हर साल तुलन पत्र में संलग्न की जानी चाहिए।" इस शीर्ष के तहत बकाया मदों का विश्लेषण करने और उन्हें निपटाने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है कि देनदारियों और संपत्ति दोनों पक्षों पर अवर्गीकृत सस्पेंस के तहत शेष राशि को न्यूनतम रखा जाए तथा उन्हें शीघ्र निपटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए।"

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि उचंत खातों के तहत निम्नलिखित शेष राशि दर्शाई गई है।

(i) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित लेखों में उचंत खाता

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 2023-24 के समेकित वित्तीय विवरणों में लेखों पर (टिप्पणी संख्या VIII के अंतर्गत) उचंत खाते में रखी गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹)

| इकाई का नाम | विवरण | अनुसूची सं. | प्रारंभिक शेष | अंतिम शेष |
|----------------------------|---|-------------|------------------|-----------------|
| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | वर्तमान देनदारियां और प्रावधान-उचंत खाता | 5 | 53,93,28,824.34 | 84,10,45,321.27 |
| मुख्यालय नई दिल्ली | वर्तमान देनदारियां और प्रावधान-उचंत खाता | 15 | 23,33,74,038.94 | 30,12,91,821.45 |
| (समेकित शेषतुलन पत्र) | वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम-उचंत खाता | 19 | 113,26,29,174.72 | 79,10,24,371.28 |
| | वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और | 28 | 18,49,96,427.30 | 15,92,28,790.97 |

अवर्गीकृत सस्पेंस का बकाया मुख्य रूप से निम्नलिखित से बनता है::

- क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थानीय खातों में अज्ञात क्रेडिट/ डेबिट- कभी-कभी बैंक गलती से नामित खाते के बजाय किसी अन्य खाते से राशि डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों से आयकर या अन्य देनदारियों के रूप में प्रेषण के लिए वसूल की गई राशि और कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन खाते के मामले में प्रेषित वास्तविक राशि के बीच अंतर
- स्थापनाओं द्वारा कार्यालय को सूचित किए बिना और बिना किसी रिटर्न/ चालान के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थानीय लेखों में सीधे अंतरित राशि।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जीएफआर, एफआर/ एसआर और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का पालन करता है, और गलत भुगतान की संभावनाओं को कम करते हुए सभी भुगतान उचित प्रक्रिया का पालन कर सावधानी से किए जाते हैं, हालांकि, रसीद और भुगतान लेखों में लेनदेन दर्ज करने के लिए सही शीर्ष की अनुपलब्धता गलत वर्गीकरण और उचंत शेष में वृद्धि की ओर ले जाती है।

इसके अलावा, लेगेसी बैलेंस भी हैं और लेखा इकाइयों को हमेशानियमित आधार पर राशि का मिलान करते रहने के लिए कहा जाता है।

विभिन्न अनुसूचियों में सस्पेंस और डुप्लिकेट भुगतान शेष के रूप में 10,169.89 करोड़ रुपए में से, 8,898.96 करोड़ रुपए का समाधान किया गया और वापस/ समायोजित किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, उचंत समाधान और डुप्लिकेट भुगतान के संबंध में शेष राशि 1,270.93 रुपए है। इसके अलावा, भविष्य में भी सस्पेंस लेखा शेष की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उत्तर दिया कि सभी उचंत खातों में पड़ी बकाया राशि की शीघ्र निकासी/ निपटान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय ने इन शेष राशियों की पहचान/ मिलान करने के लिए की गई प्रगति को करीब से मॉनिटर करने और अवधि के दौरान समेकित राशि की साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को देने के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती की है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठनको सभी उचंत खातों में पड़ी बकाया राशि की मंजूरी/ निपटान में तेजी लानी चाहिए।

ग.12 विभिन्न अनुसूचियों में प्रतिकूल संतुलन

निम्नलिखित शीर्ष के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय की बैलेंस शीट में प्रतिकूल शेष थे: - (₹ करोड़ में)

| बैलेंस शीट अनुसूची संख्या. | विवरण | राशि |
|----------------------------|-----------------------------|---------|
| अनुसूची 25 | कर्मचारी भविष्य निधि निवेश | -775.85 |
| अनुसूची 26 | स्टाफ प्रोविडेंट फण्ड निवेश | 20.78 |
| अनुसूची 24ए | पूँजीगत कार्य प्रगति | 815.10 |
| अनुसूची 11 | कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज | -58.96 |
| अनुसूची 15 | नई पेंशन योजना देय अंशदान | -0.46 |

इसके अलावा, आंचलिक कार्यालय पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी (पीडीनास) में अनुसूची 25 कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन निधि-निवेश विशेष जमा खाते के तहत -₹82.70 करोड़ का प्रतिकूल शेष दिखाया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उत्तर दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित लेखों संगठन की विशिष्ट परिचालन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किए गए खातों के अधिसूचित सामान्य प्रारूप में तैयार किए जाते हैं। यह मानकीकृत प्रारूप वित्तीय वर्ष 2020-21 से क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी लागू किया

ग.12 विभिन्न अनुसूचियों में प्रतिकूल शेष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय, इकाइयों की जानकारी सहित अपनी सभी लेखा इकाइयों से वित्तीय डेटा को समेकित करके अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है। इस उद्देश्य के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय को एक लेखा इकाई के रूप में भी माना जाता है। व्यक्तिगत लेखा इकाइयों के वित्तीय विवरण में सहायक प्रकृति है और संसद या केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के समेकित वित्तीय विवरण हितधारकों के समक्ष रखे जाते हैं, जो संगठन की समग्र वित्तीय स्थिति का स्पष्ट और स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

व्यक्तिगत लेखा इकाइयों के वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली शेष प्रकृति काल्पनिक है। ये प्रविष्टियाँ मौलिक लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लेखों के डेबिट और क्रेडिट पक्षों को संतुलित करने के उद्देश्य को पूरा करती हैं। मुख्यालय में की गई वार्षिक समेकन प्रक्रिया के दौरान, इन प्रतिकूल शेष राशियों का स्वचालित रूप से मिलान किया जाता है। इस स्तर पर, आंचलिक कार्यालयों के तुलन पत्र से व्यय के आंकड़ों को केंद्र द्वारा प्रबंधित निवेश से उत्पन्न वास्तविक ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सभी काल्पनिक नकारात्मक प्रविष्टिया उचित रूप से पूरी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सटीक और विश्वसनीय समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग होती है।

गया था। सामान्य प्रारूप व्यापक है और सभी लेखा इकाइयों में गतिविधियों की पूरी श्रृंखला को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है - अर्थात्, मुख्यालय (प्रशासनिक व्यय और सभी केंद्रीय निवेश और बैंकिंग कार्यों सहित), क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य। नतीजतन, कुछ लेखा इकाइयां पूरी तरह से खर्च करने वाली इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं - जैसे मुख्यालय (प्रशासनिक सेवा प्रभाग), आंचलिक कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थान। उनके व्यय को केंद्रीय प्राप्तियों/ राजस्व प्रविष्टियों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जो मुख्य रूप से केंद्रीय निवेश और प्राप्तियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ये स्वीप प्रविष्टियाँ उनके खातों में केंद्रीय खातों से स्थानांतरण के रूप में परिलक्षित होती हैं। चूंकि निवेश गतिविधियां विशेष रूप से केंद्रीय स्तर पर की जाती हैं, इसलिए ये व्यय इकाइयां सीधे कोई निवेश संचालन नहीं करती हैं। हालांकि, उनकी व्यक्तिगत रसीदें और भुगतान, आय और व्यय खाते और बैलेंस शीट तैयार करते समय, निवेश और ब्याज खातों से संबंधित अनुसूचियों में केवल काल्पनिक प्रविष्टियां शामिल होती हैं। ये मौलिक लेखा सिद्धांत खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्षों को संतुलित करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं नतीजतन। ऐसे कार्यक्रम अक्सर नकारात्मक संतुलन को दर्शाते हैं। मुख्यालय में खातों के वार्षिक समेकन के दौरान इन नकारात्मक शेष राशियों का स्वचालित रूप से समाधान किया जाता है। उस स्तर पर, क्षेत्रीय कार्यालयों की बैलेंस शीट से व्यय के आंकड़ों को केंद्रीकृत निवेश डेटा से प्राप्त वास्तविक ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि नकारात्मक काल्पनिक प्रविष्टियाँ ऑफसेट हैं, जिससे समेकित स्तर पर सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग प्राप्त होती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह सिफारिश की जाती है कि ईपीएफओ अपने खातों के प्रारूप में उपयुक्त संशोधन करेगा ताकि ट्रांसफर प्रविष्टियों के कारण इतनी बड़ी नकारात्मक शेष राशि उसके खातों में दिखाई न दे क्योंकि यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न हितधारकों के समक्ष अस्पष्टता पैदा कर सकता है।

इस कारण, व्यक्तिगत लेखा इकाइयों के वित्तीय विवरणों में प्रतिकूल शेष की उपस्थिति समेकित विवरणों में प्रस्तुत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की समग्र वित्तीय स्थिति की पारदर्शिता या सटीकता को प्रभावित नहीं करती है।

ग.13 समेकित तुलन पत्र (आं. का.) - समेकित लेखों (आं. का.) और क्षे.का. द्वारा

ग.13 समेकित तुलन पत्र(आं. का.) - क्षे.का (आं. का. बेंगलुरु) द्वारा प्रस्तुत समेकित

प्रस्तुत व्यक्तिगत लेखों (आं. का. बेंगलुरु) के बीच आंकड़ों का अंतर।

आंचलिक कार्यालय बेंगलुरु के समेकित तुलन पत्र में दिए गए आंकड़ों का व्यक्तिगत क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार कुल योग से सत्यापन करने पर कुछ अंतर पाए गए। इन अंतरों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ में)

| अनुसूची का विवरण | आं. का. का समेकित तुलन पत्र /अनुसूची के अनुसार राशि | क्षे.का. द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार राशि | अंतर (2-3) |
|--|---|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 अनुसूची 6- ईपीएस अंशदान निधि | 1,89,14,68,75,308 | 1,85,17,80,87,618 | 3,96,87,87,690 |
| कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना, 1976 अनुसूची 8- ईडीएल अंशदान निधि- | 7,73,01,68,629.39 | 7,49,05,00,440.99 | 23,96,68,188.40 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- अनुसूची 25- ईपीएफ प्रशासन निधि-निवेश | 24,090,147,684.97 | 24,20,11,76,848.21 | (-)11,10,29,163.24 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- अनुसूची संख्या 28- वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण अग्रिम | 3,36,23,479.55 | 3,96,72,389.55 | (-) 60,48,910.00 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952-ईपीएफ अंशदान निधि- अनुसूची-1 ईपीएफ अंशदान निधि में सदस्य परिचालन खाते | 22,76,80,61,55,716 | 22,76,81,03,48,366 | (-)41,92,650 |
| कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - अनुसूची 15- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान | 1,76,66,144.30 | 12,37,02,054.30 | 60,35,910 |
| अनुसूची -18 - कर्मचारी भविष्य निधि-निवेश | 15,10,57,62,93,740 | 15,10,58,04,86,388 | (-) 41,92,648 |

अंतर को समाशोधित करने की जरूरत है।

कभनिसं ने उत्तर दिया कि समेकित तुलन पत्र और व्यक्तिगत लेखों के बीच के

लेखों (आं. का.) और व्यक्तिगत लेखों के बीच के आंकड़ों में अंतर।

समेकित तुलन पत्र में अंतर की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध सीए फर्म को संबंधित आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से समाधान के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

आंकड़ों में अंतर पर विचार किया गया है और इसकी समीक्षा की जा रही है, और आवश्यक समाधान किए जाएंगे।

ग.14 समेकित आय और व्यय विवरण (आं. का.)आं. का. बेंगलुरु द्वारा प्रस्तुत समेकित लेखों (आं. का.) और क्षे.का.(आं.का.) के व्यक्तिगत लेखों के बीच के आंकड़ों में अंतर।

अंचल कार्यालय के समेकित आय और व्यय विवरण में दिए आंकड़ों के और क्षे.का. द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत लेखों के आंकड़ों के अनुसार कुल आंकड़ों के सत्यापन पर, कुछ अंतर देखे गए। अंतर का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(राशि ₹ में)

| अनुसूची का विवरण | आं. का की समेकित आय और व्यय विवरण/अनुसूचियों के अनुसार राशि | क्षे.का. द्वारा प्रस्तुत आय और व्यय विवरण/अनुसूचियों के अनुसार राशि | अंतर (2-3) |
|--|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कर्पेयो1995-अनुसूची 33-पेंशन अंशदान से आय | 68,08,75,10,557 | 64,13,29,94,800 | 3,95,45,15,757 |
| कर्पेयो1995- अनुसूची 35 - अन्य आय | 60,17,43,061.4 | 58,74,71,128.1 | 1,42,71,933.25 |
| ईडीएलआई 1976- आय और व्यय लेखा- आय- ईडीएलआई अंशदान निधि | 3,60,64,80,823.91 | 3,36,68,12,636 | 23,96,68,187.91 |
| अनुसूची 37- ईडीएलआई एस1976- अन्य आय | 3,17,26,075.49 | 3,08,29,902.49 | 8,96,173 |
| क.भ.नि.यो.1952-अन्य आय विविध प्राप्तियां | 23,35,638 | 19,72,571 | 3,63,067 |
| कर्पेयो1995-पेंशन के संवितरण के लिए बैंकों को कमीशन | 6,41,59,438 | 5,82,24,938 | 59,34,500 |
| ईडीएलआईएस 1976- ईडीएलआईएस अंशदान निधि- भुगतान किए गए आश्वासन लाभ | 11,08,10,11,814 | 82,01,90,361 | 26,08,21,453 |

ग.14 समेकित आय और व्यय विवरण (आं. का.) - आं. का. बेंगलुरु द्वारा प्रस्तुत समेकित लेखों (आं. का.) और क्षे.का. द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत लेखों के बीच के आंकड़ों में अंतर।

समेकित आय और व्यय विवरणों में अंतर की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय रूप से सूचीबद्ध सीए फर्म को संबंधित आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से समाधान के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| क.भ.नि.यो, 1952- ईपीएफ- प्रशासन निधि-ए- स्थापना व्यय | 1,06,96,11,439 | 81,15,81,012.8 | 25,80,30,426.1 |
| क.भ.नि.यो, 1952- ईपीएफ- प्रशासन निधि-बी- अन्य प्रशासनिक व्यय | 31,20,36,216.1 | 24,46,24,199.7 | 6,74,12,016.39 |
| ईडीएलआईएस 1976 ईडीएलआई प्रशासन निधि | 1,58,222 | 0 | 1,58,222 |

कभनिस ने उत्तर दिया कि समेकित आय और व्यय विवरण में अंतर पर लेखापरीक्षा टिप्पणी की समीक्षा की जा रही है। आंकड़ों का सत्यापन प्रगति पर है, और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

घ. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

ड. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

- क. उनकी फील्ड ईकाईयों के साथ-साथ कभनिस, मुख्यालय में शेष परीक्षण (ट्रायल बैलेंस) और शीर्ष वार खाता बही तैयार नहीं किए जा रहे थे।
- ख. कभनिस, क्षे.का. इंदौर, में अनुपालन लेखापरीक्षा के 29 लेखापरीक्षा पैरा और आंतरिक लेखापरीक्षा के 147 पैरा अभी भी लंबित हैं।

ड. आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

- क. कभनिस सभी लेखांकन नीतियों और मूलभूत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करता है जिनकी सहमति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ख. एक मैनुअल अपनाया गया है, जो लंबित पैरा को समाप्त करने और बकाया आपत्तियों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई का प्रावधान करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा उठाई गई टिप्पणियों पर लेखापरीक्षित कार्यालय द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों का अध्ययन करने और टिप्पणियों को निपटाने/ड्रॉप करने के लिए तीन (3) अलग-अलग समितियां मौजूद हैं। क्षे.का. इंदौर में, वित्त वर्ष 2023-24 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा के 29 पैरों में से, 15 पैरों को ड्रॉप कर दिया गया है और 14 पैरा अनुपालन के लिए बने हुए हैं।

ii. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :**

- क. कभनिसं, मुख्यालय ने कभनिसं, मुख्यालय सहित 129 इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी। 129 इकाइयों में से, कभनिसं के लेखापरीक्षा विंग द्वारा 2022-23 के दौरान 42 इकाइयों का वास्तव में लेखापरीक्षण किया गया था।
- ख. शेष आपत्तियों पर अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी नहीं थी, क्योंकि दिनांक 31.03.2024 तक कभनिसं, मुख्यालय से जुड़े 232 आंतरिक लेखा परीक्षा पैरा शेष थे। कभनिसं, ने क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े लंबित/ शेष के बारे में जानकारी नहीं दी है।
- ग. कभनिसं, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर का आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2023-24 तक किया जा चुका है। आंचलिक कार्यालय से रिपोर्ट अभी मिलनी शेष है।
- घ. कभनिसं, आंचलिक कार्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है।
- ड. यह देखा गया है कि कभनिसं, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यालय की स्थापना से वित्त वर्ष 2023-24 तक आयोजित नहीं की गई। इस मामले को उच्च प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है और इस संस्थान का आंतरिक लेखा परीक्षा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जा सकती है।
- च. कभनिसं, आंचलिक कार्यालय, विजयवाड़ा में वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया।
- छ. कभनिसं, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया गया।

ii. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

- क. लेखापरीक्षा के लिए 142 कार्यालयों की योजना बनाई गई थी, जिसमें से 2022-23 के दौरान 92 कार्यालयों का लेखा परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा नियमावली के अनुसार, किसी भी विलुप्त /छोड़े गए लेखापरीक्षा अवधि पर आगामी वर्षों में ध्यान दिया जाएगा।
- ख. टिप्पणी नोट की गई।
- ग. आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट मिल गई है।
- घ. स्थापना के बाद से अंचल कार्यालय, फरीदाबाद का दिनांक 02.04.2025 से 23.04.2025 तक लेखापरीक्षण किया गया है।
- ड. स्थापना के बाद से, आंचलिक कार्यालय, चेन्नई का दिनांक 18.02.2026 से 10.03.2026 तक लेखा परीक्षण निर्धारित किया गया है।
- च. स्थापना के बाद से आंचलिक कार्यालय, विजयवाड़ा का लेखापरीक्षण दिनांक 18.11.2025 से 05.12.2025 तक निर्धारित की गई है।
- छ. क्षे.का.जबलपुर का आंतरिक लेखा परीक्षणवर्ष 2023-24 के लिए 18 मार्च, 2025 से 08 अप्रैल, 2025 तक किया गया है।

iii. संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

- क. वर्ष 2022-23 के दौरान कभनिसं, मुख्यालय की अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।
- ख. क्षे.का. इंदौर का वर्ष 2023-24 में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- ग. क्षे.का. पुदुचेरी का वर्ष 2023-24 में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- घ. आं.का., विजयवाड़ा, कावर्ष 2023-24 में अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

iv. वस्तुसूची (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

- क. वर्ष के दौरान कभनिसं, मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन किया गया है
- ख. क्षे.का., इंदौर की वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है।
- ग. आं.का., विजयवाड़ा में, वर्ष 2023-24 में वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

v. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता:

लेखों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक सांविधिक बकाया के संबंध में कोई भुगतान बकाया नहीं था।

iii. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- क. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
- ख. वर्ष 2023-24 में क्षे.का. इंदौर अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन द्वारा पूरा कर लिया गया है।
- ग. क्षे.का., पुदुचेरी द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
- घ. आ.का., विजयवाड़ा द्वारा अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया है

iv. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

- क. कभनिसं, मुख्यालय के संबंध में उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी के संबंध में भौतिक सत्यापन किया गया है और दिनांक 12.10.2023 को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- ख. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
- ग. जांच के अनुसार, वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने सकारात्मक परिणाम के साथ 14.11.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

v. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

च. योजनाओं के तहत सहायता अनुदान

वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-1995 और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। प्राप्त और उपयोग किए गए अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

| (योजना का नाम) | दिनांक 01.04.2023 को प्रारंभिक शेष | वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त राशि और अर्जित ब्याज | कुल अनुदान | अनुदान और वापस किया गया ब्याज | अप्रयुक्त अनुदान |
|---|--|---|------------|----------------------------------|------------------|
| एबीआरवाई | 339.05 | 1,221.06 | 1,560.11 | 1,554.42 | 5.69 |
| कपेयो-1995 (सरकारी शेयर @1.16%) | -22.57 | 8,167 | 8,144.43 | 8,377.84 | -233.41 |
| कपेयो 1995 के तहत प्रति माह ₹1000 की न्यूनतम पेंशन | 28.21 | 960 | 988.21 | 978.64 | 9.57 |
| कुल | 344.69 | 10,348.06 | 10,692.75 | 10,910.90 | -218.15 |

च. योजनाओं के तहत सहायता अनुदान

तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR &
EMPLOYMENT,

GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्यालय/HEAD OFFICE

प्लेट ए, भूतल, ऑफिस ब्लॉक II, ईस्ट

किदवाई नगर, नई दिल्ली – 110023/

PLATE A, GROUND FLOOR,

OFFICE BLOCK-II, EAST

KIDWAI NAGAR, NEW DELHI –

110023

Website: www.epfindia.gov.in

www.epfindia.nic.in